लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

JMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र]

Fourteenth Session

सत्यमेव जयते

[खंड 53 में अंक 31 से 40 तक हैं]
[Vol. LIII contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 39—गुरुवार, 14 अप्रैल, 1966/24 चैत्र, 1888 (शक)

No. 39—*Thursday, April* 14, 1966/*Chaitra* 24, 1888 (*Saka*)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary reference	6539

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.			
1100	नगरीय क्षेत्रों का विकास	Development of Urban Areas .	6539–42
1101	देश में अधिक अस्पतालों का खोला जाना	Opening of more Hospitals in the Country	6542–46
1102	हीराकुड में बिजली का उत्पादन	Power Generation at Hirakud .	6547–48
1103	गंडक परियोजना .	Gandak Project . . .	6548–50
1104	सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टरों का दिया जाना	Allotment of Quarters to Government Employees . .	6550–53
1105	बिजली बोर्डों के अध्यक्षों का सम्मेलन	Conference of Chairmen of Electricity Boards . . .	6553–55
1108	पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दुर्गापुर क्षेत्र में बिजली की बिक्री	Sale of Electricity by the West Bengal Govt. in Durgapur Region	6555–56
1109	क्षेत्रों का नागरीकरण	Urbanisation of Areas . .	6556–58

अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No.			
18	बलिहारी कोयला खान में श्रमिकों की बर्खास्तगी	Dismissal of Workers in Balihari Colliery	6558–60

प्रश्नों कें लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S Q. Nos.			
1106	सिंचाई योजनाएं	Irrigation Schemes . .	6561
1107	ताप बिजली घर	Thermal Power Stations . .	6561
1110	दामोदर घाटी निगम का व्यय	Expenditure of D.V.C. . .	6561–62
1111	मिजो पहाडियों का विकास	Development of Mizo Hills .	6562
1112	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के सहायक इन्स्पेक्टरों के पदों का दर्जा बढ़ाना	Upgradation of Posts of Central Excise Sub-Inspector . .	6562–63

*किसी नाम पर अंकित यह (+) चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1113	अगरतला में बिस्कुट खाने के बाद मृत्यु	Deaths after taking Biscuits in Agartala	6563
1114	ब्रम्हपुत्र नदी का नियंत्रण	Control of Brahmaputra River	6563
1115	रामकृष्णपुरम के निकट झुग्गियां	Jhuggis near Ramakrishnapuram	6564
1116	सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद	Security Paper Mill, Hoshangabad	6564
1117	बम्बई और राजस्थान में छापे	Raids in Bombay and Rajasthan.	6564-65
1118	चौथी योजना में विदेशी ऋणों की अदायगी	Payment of Foreign Loans in Fourth Plan	6565
1119	बम्बई और राजस्थान में छापे	Raids in Bombay and Rajasthan	6565-66
1120	राष्ट्रीय आय के बारे में एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग का सर्वेक्षण प्रतिवेदन	E. C. A. F. E. Survey report on National Income	6566
1121	भ-बन्धक बैंकों के ऋण-पत्र	Debentures of Land Mortgage Banks	6566-67
1122	चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये रूसी सहायता	Soviet Aid for Fourth Plan	6567
1123	गन्दी बस्तियां हटाने के कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Slum Clearance Programme	6567-68
1124	राज्यों में सिंचित भूमि की प्रतिशतता	Percentage of Irrigated Land in States	6568
1125	कुतरने वाले जन्तु नाश सम्बन्धी समिति	Rodent Control Committee	6568-69
1126	विज्ञापनों के सम्बन्धों में नियम	Advertisement Rules	6569
1128	पथरातू क्षेत्र में उद्योग समूह	Industrial Complex in Pathratu Area	6569

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
3611	केरल के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिये मकान भत्ता आदि	House Rent Allowance, etc. for Non-Gazetted Officers of Kerala	6569
3612	महाराष्ट्र में कुष्ठ निवारण केन्द्र	Leprosy Control Centres in Maharashtra	6570
3613	महाराष्ट्र का विकास	Development of Maharashtra	6570
3614	महाराष्ट्र में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये आवास ऋण	Housing Advance to Central Government Employees in Maharashtra	6571
3615	महराष्ट्र में गन्दी बस्तियां हटाने की योजनाओं के लिये सहायता	Aid for Slum Clearance Schemes in Maharashtra	6571
3616	प्लास्टिक सर्जरी	Plastic Surgery	6571
3617	केरल में निर्धारित आय-कर	Income-Tax Assessed in Kerala	6572
3618	केरल में पन-बिजली परियोजनाएँ	Hydro-electric Projects in Kerala	6572

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3621	अेकाधिक्कार/समाहार के लिये महाराष्ट्र को सहायता	Assistance to Maharashtra for Monopoly Procurement . .	6572-73
3622	केरल राज्य बिजली बोर्ड	Kerala State Electricity Board .	6573
3623	केरल राज्य बिजली बोर्ड	Kerala State Electricity Board .	6573
3624	सबारिगिरी पन-बिजली परियोजना	Sabarigiri Hydro-Electric Project	6573-74
3625	केरल राज्य बिजली बोर्ड	Kerala State Electricity Board .	6574
3626	केरल राज्य बिजली बोर्ड के अधीन ठेके	Contracts under Kerala State Electricity Board . . .	6574
3628	कागजी नोटों का छापा जाना तथा उनका परिचालन	Printing and Circulation of Currency Notes	6575
3629	सोने का तस्कर व्यापार	Gold Smuggling . . .	6575
3630	प्रति व्यक्ति आय	Per Capita Income . . .	6576
3631	सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के लिये अनिवार्य बीमा योजना	Compulsory Insurance Scheme for People of Border Areas .	6576
3632	उत्तर प्रदेश में आय-कर अधिकारियों द्वारा छापे	Raids by Income-Tax Officers in U. P.	6576
3633	विद्यार्थियों के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange to Students .	6577
3634	लेखनसामग्री कार्यालय के कर्मचारियों का अभ्यावेदन	Representation from Stationery Office Employees . . .	6577
3635	भारत के नियंत्रक तथा महा लेखा-परीक्षक के कार्यालय के कर्मचारी	Employee in the Office of the Comptroller & Auditor General of India, New Delhi . . .	6577-78
3636	चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा तथा प्रशिक्षण	Medical Education and Training	6578
3637	राजस्थान में सिंचाई और बिजली की क्षमता	Irrigation and Power Potential in Rajasthan	6578
3638	आन्ध्र प्रदेश में उत्पादन शुल्क की वसूली	Excise Collections in Andhra Pradesh	6578–79
3639	उड़ीसा में पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of Backward Areas in Orissa	6579
3640	उड़ीसा के लिये ऋण	Loans to Orissa	6579
3641	उड़ीसा में कुष्ठ नियंत्रण केन्द्र	Leprosy Control Centres in Orissa	6579-80
3642	कुष्ठ मंत्रणा समिति	Leprosy Advisory Committee .	6580
3643	बम्बई में पकड़ा गया सोना	Gold Seized in Bombay . .	6581
3644	दौलेश्वरम् एनीकट	Dowleswaram Anicut . .	6581
3645	आन्ध्र प्रदेश के नगरपालिका क्षेत्रों में पानी की सप्लाई	Water Supply in Municipal Area of Andhra Pradesh . . .	6581-82
3646	माइक्रो-हाइडल योजनाएं	Micro-Hydel Schemes . .	6582
3647	साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली में संसद सदस्यों के फ्लैटों को पानी की सप्लाई	Water Supply in M. Ps' Flats in South Avenue, New Delhi .	6582

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3648	साउथ एवन्यू, नई दिल्ली में संसद् सदस्यों के फ्लैटों में बिजली की सप्लाई	Electric Supply to M.P's Flats in South Avenue, New Delhi .	6582
3649	रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में सैक्टर 5 में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय	C.G.H.S. Dispensary for Sector V of Ramakrishnapuram, New Delhi	6583
3650	महाराष्ट्र में बिजली उत्पादन	Power Generation in Maharashtra	6583
3651	त्रिवन्द्रम आयुर्वेदिक केन्द्र	Trivandrum Ayurvedic Centre .	6583
3652	औषधों में मिलावट	Adulteration of Drugs . .	6584
3653	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन आदि	Emoluments of Central Government Employees . . .	6584
3654	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा हिन्दी में परिपत्रों का जारी किया जाना	Issue of Circulars in Hindi by Central Excise Department .	6584
3655	केरल में नगरपालिकाओं तथा नगर निगमों की आय	Income of Municipalities and Corporations in Kerala . .	6584–85
3656	बम्बई में छापे	Raids in Bombay . . .	6585
3657	पंजाब में ग्राम जल संभरण योजनाएं	Rural Water Supply Schemes in Punjab	6585
3658	पंजाब में बिजली उत्पादन	Power Generation in Punjab .	6585–86
3659	1956 में युनेस्को के प्रतिनिधि मंडल के लिये होटल का निर्माण	Construction of a Hotel for UNESCO Delegates in 1956 .	6586
3660	पंजाब से दिल्ली को मिलने वाली बिजली की दरें	Rates of Punjab Power for Delhi	6587
3661	खोया बनाने पर प्रतिबन्ध	Ban on Preparation of Khoya .	6587
3662	त्रिपुरा में निम्न आय वर्ग आवास योजना	Low Income Group Housing Scheme in Tripura . .	6587–88
3663	पोस्त (अफीम) की खेती	Poppy Cultivation . . .	6588
3664	नये मेडिकल कालेज	New Medical Colleges . .	6588–89
3665	रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में पानी की सप्लाई	Water Supply in Ramakrishnapuram, New Delhi. . .	6589
3666	गैर-सरकारी संस्थाओं के लिये आवास	Accommodation for Private Institutions	6589–90
3667	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसन्धान संस्था	Central Research Institute for Homoeopathy . . .	6590
3668	केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद	Central Homoeopathic Council .	6590
3669	केरल में बिजली कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Electricity Workers in Kerala . .	6590–91
3670	केरल राज्य बिजली बोर्ड	Kerala State Electricity Board .	6591
3671	केरल राज्य बिजली बोर्ड	Kerala State Electricity Board .	6591–92
3672	केरल में भूमि सुधार	Land Reforms in Kerala . .	6592–93

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3673	राजस्थान नहर योजना से सिंचाई का लक्ष्य	Irrigation Target from Rajasthan Canal Scheme	6593
3674	रिजर्व बैंक में करेंसी नोटों का जलाया जाना	Burning of Currency Notes in Reserve Bank	6593
3675	रामकृष्णपुरम में पानी की सप्लाई	Water Supply in Ramakrishnapuram	6594
3676	रामकृष्णपुरम के क्वार्टर	Quarters in Ramakrishnapuram	6594
3677	केरल में बिजली की कमी	Power Shortage in Kerala	6594–95
3678	नेफा में बिजली उत्पादन	Power Production in NEFA	6595
3679	उकई परियोजना	Ukai Project	6595–96
3680	चैकोस्लोवाकिया से पूर्व-विरचन (प्रिफैब्रिकेटिंग) संयंत्र का आयात	Import of a prefabricating Plant from Czechoslovakia	6596
3682	दिल्ली की इन्द्रपुरी कालोनी का विकास	Development of Inderpuri Colony, Delhi	6596
3683	आसाम को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Assam	6596–97
3684	डी० आई० जेड० क्षेत्र आदि में सरकारी क्वार्टर	Government Quarters in D.I.Z. Area, etc.	6597
3685	तुंगभद्रा उच्चस्तरी नरह (हाई लैवल केनाल) प्रक्रम 2	Tungabhadra High Level Canal (Stage II)	6597–98
	अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
	राजस्थान-पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तानियों द्वारा मवेशियों की चोरी	Cattle theft by Pakistanis on Rajasthan-Pak. Border	6598–6601, 6601–02
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	6601, 6605
	30 मार्च, 1966 की कार्यवाही के बारे में	Re: Proceedings of 30th March, 1966	6602
	विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के बारे में	Re : Report of Committee of Privileges	6603–05
	प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	
	98 वां और 99 वाँ प्रतिवेदन	Ninety-eighth and Ninety-Nineth Reports	6605
	अनुदानों की मांगें—	Demands for Grants—	
	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय—	Ministry of Irrigation and Power—	
	श्री न० प्र० यादव	Shri N. P. Yadav	6605–06
	श्री फखरुद्दीन अहमद	Shri Fakhruddin Ahmed	6606–09
	स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय—	Ministry of Health and Family Planning—	
	श्रीमती गायत्री देवी	Shrimati Gayatri Devi	6610–11
	डा० चन्द्रभान सिंह	Dr. Chandrabhan Singh	6611–13
	डा० उ० मिश्र	Shri U. Misra	6613–14

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
डा० मेलकोटे	Dr. Melkote . . .	6616
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharya .	6617–18
श्रीमती जयाबेन शाह	Shrimati Jayaben Shah .	6618
श्री राम सहाय पाण्डेय	Shri R. S. Pandey . .	6618–19
श्री रामेश्वरानन्द	Shri Rameshwaranand .	6619
डा० प० श्रीनिवासन	Dr. P. Srinivasan . .	6620
श्रीमती सहोदराबाई राय	Shrimati Sahodra Bai Rai .	6620
श्री शिंकरे	Shri Shinkre . . .	6620–21
श्री अ० ना० विद्यालंकार	Shri A. N. Vidhyalankar .	6621
श्रीमती अकम्मां देवी	Shrimati Akkamma Devi .	6621–22
श्री मोहन स्वरूप	Shri Mohan Swarup . .	6622–23
श्रीमती लक्ष्मी बाई	Shrimati Laxmi Bai . .	6623
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा	Shrimati Jyotsna Chanda .	6623–24
श्री राजा राम	Shri Rajaram . . .	6624–25
डा० सुशीला नायर	Dr. Sushila Nayar . .	6625–26
भारतीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी के बारे में आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-hour Discussion Re : Indian Academy of Medical Sciences—	
डा० चन्द्रभान सिंह	Dr. Chandrabhan Singh .	6626–27

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 14 अप्रैल, 1966/24 चैत्र, 1888 (शक)
Thursday, April 14, 1966/Chaitra 24, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को श्री सुरेशचन्द्र चौधरी के दु:खद निधन के बारे में सूचित करना है। उनका देहावसान 11 अप्रैल, 1966 को पटना में हो गया। उनकी आयु 71 वर्ष थी।

श्री चौधरी, वर्ष 1957–62 में दूसरी लोक-सभा के सदस्य रहे थे। हमें अपने इस मित्र की मृत्यु पर गहरा दु:ख है और मुझे विश्वास है कि संतप्त परिवार को संवेदना संदेश देने में यह सभा मेरे साथ है।

(इसके पश्चात सदस्य थोड़ी देर के लिये मौन खड़े हुए।)

(The Hon. Members then stood in silence for a shortwhile)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

नगरीय क्षत्रों का विकास

+

***1100. श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :

क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बम्बई और कलकत्ता में नगरीय विकास की योजना तथा वित्त व्यवस्था के संबंध में योजना आयोग के कहने पर किये गये तुलनात्मक अध्ययन की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) क्या दस लाख अथवा इससे अधिक जनसंख्या वाले अन्य नगरों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार का अध्ययन किया जायेगा ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) कलकत्ता महानगरीय योजना संगठन के दो अधिकारियों ने, बम्बई तथा कलकत्ता में नगरीय विकास की योजना तथा वित्त-व्यवस्था के सम्बन्ध में तुलनात्मक अध्ययन किये । प्रतिवेदन के मसौदे पर पश्चिमी बंगाल सरकार छानबीन कर रही है और वह अभी भारत सरकार को नहीं भेजी गई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Madhu Limaye : Is the honourable Minister aware of the fact that the prices of urban lands have very much gone up and that black-market money is being invested in those lands ? If so, I would like to know whether report on urban development will include consideration on the question of nationalisation of all those lands and of giving those lands to industries at a high price and to the poorer section of the society for construction of houses at cheaper rates ?

Shri Asoka Mehta : Talks are going on with State Governments about the kind of taxes which may be imposed on urban lands. Action has also been taken by States. We hope that the State Governments will soon arrive at some decision.

Shri Madhu Limaye : I had asked about nationalisation of lands and not about taxes being imposed on them.

Shri Asoka Mehta : I have told about the action that is being taken.

Shri Madhu Limaye : Did the honourable Minister before taking over as Minister, say that the articles relating to property in the Constitution hindering advancement towards socialism and that their amendment was necessary? If so, does he propose to amend the Constitution and find other means for solving the problem regarding nationalisation of land in connection with urban development and for improving the financial condition of the municipalities ?

Shri Asoka Mehta : This is an important problem and being considered by the Planning Commission and others. Perhaps the honourable Member is aware of the fact that the Congress President has appointed a Committee on behalf of the Congress Party and this matter alongwith other matters is before the Committee for consideration.

Shri Kishen Pattnayak : Since it is now recognised in the civilised countries that the ratio between residential colonies and open space should be 30:70, has the attention of the honourable Minister been drawn to the fact that no change is being made in the densely populated areas like Chandni Chowk in Delhi and Shyam bazar in Calcutta, no widening of roads is being undertaken and no provision for public parks etc. is being made there even though open spaces are available there ? Since, in New Delhi provision is being made for parks and widening of roads is being undertaken, is the honourable Minister taking some effective steps to improve the condition of the densely populated areas also ?

Shri Asoka Mehta : There are Development and Planning Organisations for Delhi and Calcutta both. Those organisations have been carrying out different activities. For further details, concerned Minister may be contacted.

श्री राम सहाय पाण्डेय : कलकत्ता तथा बम्बई में बहुत अधिक गन्दी बस्तियां है। उन गन्दी बस्तियों की सफ़ाई तथा रहने के लिये साफ तथा सुथरे मकानों की व्यवस्था करने के लिये क्या कारवाई की जा रही है?

श्री अशोक मेहता : तीसरी योजना में कलकत्ता शहर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विशिष्ट व्यवस्था की गई थी। "कलकत्ता महानगरी आयोजना संगठन" पहले से ही मौजूद है जो बराबर कार्य कर रहा है और हमें आशा है कि कलकत्ता के अग्रेतर विकास के लिये चौथी योजना के अन्तर्गत और अधिक योजनाएं बनाई जायेंगी।

Shri Kashi Ram Gupta : Is the Government considering to provide residential accommodation to people at cheaper rent during the next ten years who are living in big cities like Delhi and Calcutta and getting less than Rs. 150 *per mensem*? If not, do the Government propose to provide these people with cheaper lands?

Shri Asoka Mehta : The Memorandum to the Fourth Five Year Plan contains details about the different housing programmes like the subsidised Housing programme or the low-income housing programme.

Shri Kashi Ram Gupta : I have asked whether the problem would be solved during the next ten years or whether there is some provision for it?

Shri Asoka Mehta : The figures are there regarding the money which has been allotted for this purpose during the Fourth Five Year Plan. This problem cannot be solved in ten years but it contains information regarding the extent to which progress would be made during the Fourth Five Year Plan.

श्री श्यामलाल सर्राफ : आज बड़े बड़े नगरों के निकटवर्ती क्षेत्रों के शीघ्रतापूर्वक नागरीकरण होने के साथ साथ क्या लोग ग्रामीण क्षेत्रों से हट कर नगरों में जायगे? यदि हां, तो क्या इस प्रश्न पर इस तरह लोगों के हटकर जाने के कारणों का पता लगाने के लिये विचार किया गया है?

श्री अशोक मेहता : ग्रामीण क्षेत्रों से लोग नगरीय क्षेत्रों में जायेंगे और इसीलिये विभिन्न स्थानों में केवल कस्बों तथा नगरों के लिये योजना नहीं बनाई जा रही, बल्कि सम्पूण क्षेत्रों के लिये क्षेत्रीय योजना बनाई जा रही है। सम्पूर्ण क्षेत्र के लिये योजना बनाई जा रही है और कई नये कस्बों के निर्माण के प्रयत्न किये जा रहे हैं ताकि लोग बड़े बड़े नगरों में जाने से पहले ही रोके जा सकें। इसको हम उपनगरों का विकास कहते हैं।

श्री श्यामलाल सर्राफ : ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में लोगों के चले जाने के बारे में क्या उत्तर है?

श्री अशोक मेहता : ग्रामीण क्षेत्रों से लोग नगरीय क्षेत्रों को जाते हैं। मेरा विचार था कि माननीय सदस्य के कहने का यही अभिप्राय था।

श्री श्याम लाल सर्राफ : लोगों का शहरों में आना कहीं तो रोका जाना चाहिये अन्यथा सम्पूर्ण देश में बड़े बड़े नगर ही अधिक हो जायेंगे।

श्री अशोक मेहता : इसमें दो बातें हैं। एक तो विकास की है जिसके अन्दर लोगों द्वारा ग्रामोंस नगरों में आने की बात आ जाती है तथा वहां उद्योगों के स्थापित किये जाने की बात है। दूसरी बात यह देखनी है कि कितने उद्योगों को वर्तमान नगरीय क्षेत्रों से हटाया

जाये । इन दोनों मामलों पर विचार किया जा रहा है । जैसा कि आपको पता है बड़े बड़े नगर-क्षेत्र बन गये हैं । हमें आशा थी कि तीसरी योजना अवधि के दौरान अनेक महत्वपूर्ण तथा नवीन नगरीय क्षत्र बन जायेंगे । ग्रामों का औद्योगिकरण का भी कार्यक्रम बनाया हुआ है परन्तु मूलत: हमें उद्योगों को विभिन्न क्षेत्रों में फैलाने पर अधिक ध्यान देना होगा क्योंकि इस स्थिति में उद्योगों को ग्रामों में भेजकर ही समस्या को हल नहीं किया जा सकता ।

Shri Buta Singh : The honourable Minister has just told that the question of the nationalisation of urban lands is under consideration. I want to know whether urban lands only will be nationalised or urban property also?

Shri Asoka Mehta : At present only the question regarding the kind of taxes to be imposed on urban lands and urban property is being taken up with the State Governments. But, as I have told, the Planning Commission is considering over the question of action to be taken regarding urban property and urban land and the Congress President has set up a Committee which is also considering this matter.

श्री च० का० भट्टाचार्य : नगर में गन्दी बस्तियों के हटाये जाने के कारण कलकत्ता के उपनगरीय क्षेत्रों का बड़ी तेजी से नागरीकरण हो रहा है । क्या योजना अथवा कलकत्ता महानगरी योजना संगठन के प्रयत्नों के अन्तर्गत उन स्थानों में जिनके निकट गन्दी बस्तियों को साफ कर के फिर से बसाने का कार्य किया जा रहा है । जीवनकी सामान्य आवश्यकताओं जैसे, दुकान, बाजार, सड़के तथा अन्य सार्वजनिक सुविधाओं तथा पानी की व्यवस्था के लिये भी प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री अशोक मेहता : कलकत्ता तथा बम्बई जैसे महानगरों के विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों में माननीय सदस्य द्वारा कही गई सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ।

श्री च० का० भट्टाचार्य : जल सम्भरण के बारे में क्या उत्तर है ?

श्री अशोक मेहता : जल सम्भरण को भी उच्च प्राथमिकता दी जा रही है । परन्तु जल संभरण अतिरिक्त अन्य सुविधायें भी है जिन पर अधिक व्यय होगा । उदाहरण के लिये, जहां तक बम्बई का सम्बन्ध है, नगर निगम ने 700 करोड़ रुपये लगाये है । अब हमें इस बात पर विचार करना है कि राज्यों से तथा अन्य स्रोतों से संसाधनों को किस प्रकार जुटाया जाये तथा उनको एक निश्चित समय में विकास कार्य में जुटाने के लिये क्या योजना बनाई जाये । इन सब कार्यों में जल सम्भरण को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जायेगी ।

देश में अधिक अस्पतालों का खोला जाना

+

*1101. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **स्वास्थ्य** एवं **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1965 के अन्तिम सप्ताह में दिल्ली में हुए अन्तर्राष्ट्रीय सर्जन कालेज के भारतीय अनुभाग के ग्यारहवें वार्षिक सम्मेलन में यह सुझाव दिया गया कि

नगरों में बड़े मेडिकल कालेज खोलने के बजाय जिला स्तर पर अधिक अस्पताल खोले जायें; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री व० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) जिला अस्पतालों में सुधार करना और नये मेडिकल कालेज खोलना परस्पर विरोधी बातें नहीं अपितु एक दूसरे की पूरक हैं । देश में डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिये नये मेडिकल कालेज खोलना जरूरी है । जिला स्तर पर भी अस्पताली सुविधायें बढ़ाने तथा उनमें सुधार करने के लिये हरसम्भव प्रयास किये जा रहे है ।

श्री सुबोध हंसदा : क्या सरकार को पता है कि आजकल जिला चिकित्सालयों में विशेषकर, पश्चिमी बंगाल में, आधुनिक शल्य चिकित्सा के औजारों की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन सब चिकित्सालयों में आधुनिक शल्य चिकित्सा के औजारों की व्यवस्था करने के लिये अधिक धनराशि देगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : जी, नहीं । केन्द्रीय सरकार की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । चिकित्सालयों के लिये राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं और हम राज्य सरकारों का ध्यान इस ओर दिलायेंगे कि वहां इन सुविधाओं में सुधार करने की बड़ी आवश्यकता है ।

श्री सुबोध हंसदा : क्या अन्तर्राष्ट्रीय सर्जन कालेज को इस कारण कोई कठिनाई महसूस हुई है कि ये सभी कालेज मुख्य नगरों में स्थापित किये गये हैं, न कि ग्रामीण क्षेत्रों में और क्या इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये उन्होंने कुछ सुझाव दिये हैं ?

डा० सुशीला नायर : उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में कालेज स्थापित करने के बारे में कोई सुझाव नहीं दिये हैं । मुझे खेद है कि एसोसियेशन के प्रधान ने अपने विषय के अतिरिक्त अन्य सभी बातों के बारे में कहा है और विभिन्न चिकित्सालयों में शल्य चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार किये जाने के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है । उन्होंने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों को तिगुना वेतन दिया जाना चाहिये ।

श्री दी० चं० शर्मा : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । क्या यह ठीक है कि एक व्यक्ति के बारे में इस प्रकार की चर्चा की जाये जब कि वह अपनी आलोचना का प्रतिवाद करने के लिये यहां उपस्थित नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जो वक्तव्य दिया है, वह एक सार्वजनिक वक्तव्य है । हम उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं ।

डा० सुशीला नायर : उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि नये मेडीकल कालेजों को न खोलकर हमें इस प्रकार बचाई हुई धन-राशि को अन्य कार्यों पर व्यय करना चाहिये । अतः ऐसा हो सकता है कि कुछ चिकित्सक यह न चाहते हों कि भारत में चिकित्सकों की संख्या बढ़े, क्योंकि यदि संख्या बढ़ेगी तो यह स्वाभाविक है कि इसका असर उन चिकित्सों पर पड़ेगा जिनकी संख्या कम है । परन्तु जैसा कि सभा को पता है, चिकित्सकों की कमी है और हमें और अधिक चिकित्सकों को प्रशिक्षण देना है ताकि कमी की पूर्ति की जा सके ।

श्री स० चं० सामन्त : मैं जानना चाहता हूं कि राज्यों के विभिन्न भागों में कालेजों तथा चिकित्सालयों को खोलने के बारे में सरकार की क्या नीति है तथा उनको इस सम्बन्ध में क्या सलाह दी गई है ?

डा० सुशीला नायर : जैसा कि सभा को पता है स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथा आयोजन समिति ने इस प्रश्न पर बहुत अच्छी तरह से विचार किया है। उन्होंने यह सिफारिश की है कि प्रत्येक 50 लाख लोगों के लिये एक मेडिकल कालेज होना चाहिये। हम उस सलाह के अनुसार कार्य करने का प्रयत्न कर रहे हैं और हम राज्य सरकारों को भी यह समझा रहे हैं कि वे मेडिकल कालेजों को अलग अलग स्थानों में स्थापित करें न कि किसी एक ही स्थान में कइ कालेजों को केन्द्रित कर दे।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Was this matter also given consideration in this conference, that there is a shortage of hospitals at district level, tehsil level and at all levels and that the number of hospitals and beds should be sufficiently increased? What is the number of beds available within the country? Has any thought been given to the fact that beds in hospitals should be available to those patients, who have not recovered after treatment at home and who are anxious to avail themselves of the facility of treatment in a hospital?

Dr. Sushila Nayar : We know that there is a shortage of beds in hospitals throughout the country and we had made efforts to provide one bed for every 1,000 people. We could not achieve our aim during the third plan. At present less than a half bed in available for 1,000 people. We are making efforts to increase it during the next plan period but even then sufficient number of beds will not be available.

Shri Yashpal Singh : When the honourable Minister says that the number of beds will be increased during the next plan period, does it not indicate Government's inability because the number of patients is increasing? What preventive action has been taken by the Government to ensure that there is no necessity of hospitals and none falls ill ? What importance has been given to the maintenance of health? How will things go on if the honourable Minister is not given the rank of a Cabinet Minister because people will go on falling ill and we will go on opening hospitals and in this way crores of rupees will be spent on these things alone ?

Dr. Sushila Nayar : Sir, everybody knows what action has been taken to control disease. Formerly 25 lakh people died from malaria directly or indirectly every year but now not a single person dies from this disease. There is a fall in the number of deaths from small pox and from other diseases also. We are making sincere efforts to control disease but population has also been increasing side by side and people do fall ill.

Shri Bibhuti Mishra : The honourable Minister has just stated that one medical college has been opened for every 50 lakhs of people. Hence there should be ten medical colleges in Bihar because the population of that State is 5 crores. But, to say nothing of the hospitals which would be opened in future, even the present hospitals, especially in the villages are in an awful state and I think even in cities the hospitals are in a similar bad condition. Not only no medicines are available in hospitals, even water is not available there; patients go back without any medicines. The honourable Minister who had been with Gandhiji, should see to it that at least medicines are available in every hospital.

Dr. Sushila Nayar : It is correct that the number of medical colleges in Bihar s not what it should be in view of the population of that State. We hope Government will give attention to this fact during the next plan period. It is also a fact that necessary facilities are not available in most hospitals specially at small places. We are giving full attention to this matter and also drawing the attention of the State Governments to this matter so that their condition may be improved.

दीनेन भट्टाचार्य : क्या यह सत्य है कि पश्चिम बंगाल में आजकल लसीका (lymph) की कमी के कारण यह भय बना हुआ है कि वहां चेचक महामारी के रूप में फैल जायेगी? यदि हां, तो सरकार तुरन्त क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

डा० सुशीला नायर : यह सत्य है कि बड़े बड़े नगरों में, जिनमें कलकत्ता निगम भी शामिल है तथा अन्य नगर पालिकाओं में कोई लोग टीका लगाने के व्यापक आन्दोलन के बावजूद चेचक से पीड़ित हैं। हमने राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया है ताकि वे उन क्षेत्रों में पूरे पूरे प्रयत्न करें, जहां कमी देखी गई हो और हम इस सम्बन्ध में पूर्ण सहायता दे रहे हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैंने विशेषत: पश्चिमी बंगाल सरकार को लसीका की सप्लाई के सम्बन्ध में पूछा है कि क्या पश्चिमी बंगाल सरकार को लसीका, जो कि चेचक को रोकने वाली औषधि है, सप्लाई की जा रही है अथवा नहीं ?

डा० सुशीला नायर : वह सही नहीं हैं। लसीका (lymph) की कमी नहीं है। हम आवश्यक मात्रा में लसीका सप्लाई कर रहे हैं।

श्रीमती विमला देशमुख : क्या सरकार विदर्भ क्षेत्र में जहां आजकल कोई मैडिकल कालेज नहीं है कम से कम एक मैडीकल कालेज खोलने का विचार कर रही है ?

डा० सुशीला नायर : यह एक सुझाव है जिसपर कार्यवाही की जायेगी और हम इसके बारे में सम्बद्ध राज्य सरकार को सूचना देंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है ताकि उत्तर प्रदेश में और अधिक मेडीकल कालिज खोल जा सके और अधिक पलंग उपलब्ध हों सकें ? मैं सरकार की प्रक्रिया के बारे में तथा वित्तीय सहायता के बारे में, जिसके दिये जाने की सम्भावना है, जानना चाहता हूं।

डा० सुशीला नायर : मेरी इच्छा है कि उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की योजना में तीन से अधिक मेडीकल कालेज शामिल करे उनकी योजना में जो कुछ शामिल किया जायेगा उसके लिये केन्द्रीय सरकार सहायता देगी।

श्री दी० चं० शर्मा : एक अखिल भारतीय निकाय है जो इस बात को देखता है कि जो चिकित्सक सरकारी कर्मचारियों के रूप में अथवा निजी रूप में इस व्यवसाय में लगे हुए हैं, वे समुचित योग्यता-प्राप्त हों। क्या ऐसा भी कोई अखिल भारतीय निकाय है जो यह देखता हो कि भारत में चिकित्सालयों में कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या है, वहां पर्याप्त मात्रा में उपकरण हैं तथा उनकी ठीक देखभाल की जाती है ?

डा० सुशीला नायर : जहां तक चिकित्सकों की योग्यता का प्रश्न है, भारत का चिकित्सा परिषद इस बारे में देखभाल करता है और चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा के स्तर का अभिरक्षक है...

श्री दी० चं० शर्मा : मैं चिकित्सालयों के बारे में जानना चाहता हूं।

डा० सुशिला नायर : भारत का चिकित्सा परिषद चिकित्सकों की योग्यता का भी ध्यान रखता है। संविधान के अन्तर्गत चिकित्सालयों के स्तर के बारे में राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

Shri Tulsidas Jadhav : There is shortage of doctors in dispensaries in rural areas because adequate salary is not paid to them with the result that they leave the service and start their own practice. Is there any proposal under the consideration of Government for upward revision of their scales of pay so as to make this job some what attractive?

Dr. Sushila Nayar : It is true that doctors do not like to go to rural areas because adequate salary is not paid to them and in addition they have to experience a lot of difficulty in getting suitable accommodation. There all the State Governments have passed resolutions in the Central Council that adequate pay should be given to them. The Central Government have decided to give some aid for construction of houses.

श्री नरेन्द्र सिंह महोडा : क्या केन्द्रीय सरकार इस बात को प्रोत्साहन देती है कि आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोले जायें और यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा कितने चिकित्सालय चलाये जा रहे हैं ?

डा० सुशीला नायर : किसी प्रकार के चिकित्सालय खोलने से केन्द्रीय सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है; यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है ।

श्री शिंकरे : दिल्ली में जो चिकित्सालय हैं या वे केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं चलाये जाते हैं ? दिल्ली में ऐसे अनेक चिकित्सालय हैं जिनका प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार के हाथ में है परन्तु वह कहती हैं कि इनसे केन्द्रीय सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

डा० सुशीला नायर : यदि दिल्ली के बारे में विशेष रूप से प्रश्न पूछा जायेगा तो मैं उसका उत्तर दे सकूंगी ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या माननीय मंत्री इस बात में अवगत हैं कि कुछ कालेजों में विभिन्न विषयों के प्रोफेसरों के कई स्थान रिक्त पड़े हुए हैं ? इसलिये इससे पहले कि चिकित्सा कालेज खोलने की नई योजनाएं चालू की जायें, अच्छी शिक्षा तथा पहले से विद्यमान कालेजों के लिये आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

डा० सुशीला नायर : इस प्रयोजन के लिये स्नातकोत्तर प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि करने के लिये भारत सरकार हरसम्भव कार्यवाही कर रही है । आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज के अतिरिक्त पांडिचेरी में भी हमने एक और इन्स्टीट्यूट खोली है । जैसे ही वित्त मंत्रालय प्रस्तावों का अनुमोदन कर देगा, हमारा विचार कुछ और ऐसी संस्थायें खोलने का भी है ।

Shri Onkar Lal Berwa : Small-pox epidemic has been spreading even in those areas where the people have been vaccinated. 559 children died of small-pox in Kotah, Bikaner and Udaipur in Rajasthan. May I know whether vaccination compaign was launched there; and if so, the names of areas where it was launched, and if not, the reasons therefor ?

Dr. Sushila Nayar : Vaccination campaign is still going on in Rajasthan. If people have not been inoculated in any areas, and if the hon. Member gives me any specific information about this, I would take up this matter with the State Government.

हीराकुड में बिजली का उत्पादन

+

*1102. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री द्वा० ना० तिवारी :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हीराकुड में बिजली का जो कम उत्पादन हो रहा है क्या वह अभी भी जारी रहेगा ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस निरन्तर कमी तथा उसके परिणामस्वरूप उसे होने वाली हानि को रोकने के लिये कोई तकनीकी अथवा अन्य सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) : हीराकुड में कम बिजली उत्पादन के दो कारण हैं । एक कारण यह है कि हीराकुंड जलाशय में मानसून के बाद (अक्तूबर 1965 से) आम वर्षों की अपेक्षा कम पानी का अन्तर्प्रवाह हुआ है दूसरा कारण अनाज की वर्तमान कमी के संदर्भ में, दूसरी फसल की सिंचाई के लिए पानी छोडने को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है ।

बिजली के उत्पादन में कमी अगली मानसून के शुरू होने तक रहेगी ।

(ग) और (घ) : राज्य सरकार ने बिजली की कमी को दूर करने के लिए दामोदर घाटी निगम से बिजली की थोक सप्लाई का प्रबन्ध करने के लिए केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को लिखा था । केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने दामोदर घाटी निगम से उड़ीसा के लिये 7.5 मैगावाट बिजली सप्लाई का प्रबन्ध कर दिया है और उड़ीसा इस सप्लाई को 6-2-1966 से ले रहा है ।

श्री भागवत झा आजाद : इस मामले विशेष में इस वर्ष बिजली के उत्पादन में कितने प्रतिशत कमी हुई है ?

डा० कु० ल० राव : हीराकुड में बिजली के उत्पादन में 25 प्रतिशत कमी हुई है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या मंत्री महोदय कोई ऐसा उपाय कर सकते हैं कि वर्षा न होने की स्थिति में भी बिजली के उत्पादन में कमी न हो ?

डा० कु० ल० राव : यह देश में सब से बड़ा जलाशय है और यह भी एक सौभाग्य की बात है कि उड़ीसा में कोयले के भंडार हैं । आगामी वर्ष में हम तापीय बिजलीघर तथा पन बिजली घर के बीच सम्पर्क स्थापित कर लेंगे और यह बहुत उपयोगी सिद्ध होगा ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि मानसून के दौरान पानी बांध के ऊपर से बहता है और यदि हां, तो क्या इस जलाशय को बड़ा बनाने अथवा नदी की उस ओर, जिस ओर से पानी आता है, कोई बांध बनाने का प्रस्ताव है ?

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि जितना पानी हम हीराकुड में भर सकते है उससे नदी में छः गुना पानी है। परन्तु कोई और जलाशय नहीं बनाया जा सकता। जितने बड़े जलाशय का हम निर्माण कर सकते थे उतने का हमने कर दिया है।

श्री सुबोध हंसदा : राज्य सरकार के कहने पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने दामोदर घाटी निगम से 7.5 मेगावाट बिजली की व्यवस्था कर दी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रबंध अस्थायी रूप से किया गया है अथवा स्थायी रूप से ?

डा० कु० ल० राव : यह प्रबन्ध केवल तब तक के लिये है जब तक हीराकुड जलाशय में पर्याप्त मात्रा में बिजली का उत्पादन नहीं होने लगता।

श्री द्वा० ना० तिवारी : विवरण में यह बताया गया है कि दामोदर घाटी निगम से उड़ीसा के लिये कुछ बिजली दी जायेगी। क्या दामोदर घाटी निगम के पास फालतू बिजली है अथवा बंगाल या बिहार के कोटे में कोई कमी की जायेगी ?

डा० कु० ल० राव : सौभाग्य से इस क्षेत्र में काफी फालतू बिजली है। यदि अदितयापुर तथा राज खरस्वान के बीच पारेषण लाइनों की पर्याप्त व्यवस्था हो जाये तो हम उड़ीसा की भी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं।

श्री कपूर सिंह : क्या देश भर में तथा बारम्बार होनेवाली यह कमी गलत आयोजन अथवा किन्हीं अप्रत्याशित कारणों से है ?

डा० कु० ल० राव : यह स्थिति कम वर्षा होने के कारण पैदा हुई है। यह वर्ष पिछले 60 वर्षों में से सब से बुरे वर्षों में से एक है।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : इस वर्ष विशेष के अलावा सामान्य वर्षों के दौरान भी अनुभव यह रहा है कि जलाशय में पर्याप्त पानी नहीं आता है और यह उस स्तर तक नहीं पहुंचता है जिससे बिजली का उत्पादन किया जा सके। क्या यह त्रुटि दूर कर दी गई है ?

डा० कु० ल० राव : यह सही नहीं है। जलाशय को पूरी तरह से और अधिकतम स्तर तक भरा जा सकता है। इस वर्ष भी इसमें केवल $1\frac{1}{2}$ फुट पानी कम था।

गंडक परियोजना

*1103. **श्री द्वा० ना० तिवारी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंडक परियोजना के प्लान **और** प्राक्कलनों में **कुछ** परिवर्तन किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या प्राक्कलन बढ़ गये हैं; और

(ख) इस परियोजना के वर्तमान प्राक्कलन क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) गंडक परियोजना की पुनरीक्षित अनुमित लागत 121 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है।

श्री द्वा० ना० तिवारी : यह प्राक्कलन कितने बार पुनरीक्षित किया गया है और मूल प्राक्कलन तथा वर्तमान प्राक्कलन में कितना अंतर है ?

डा० कु० ल० राव : इस परियोजना के लिये 54 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी और इसका यह पुनरीक्षण अब पहली बार किया गया है।

श्री द्वा० ना० तिवारी : बढ़ते हुए प्राक्कलनों को ध्यान में रखते हुए क्या हम आशा कर सकते है कि इस क्षेत्र को कार्यक्रम के अनुसार पानी मिल सकेगा अथवा इस में कुछ विलम्ब होने की संभावना है ?

डा० कु० ल० राव : चूंकि परियोजना का प्राक्कलन बहुत बढ़ गया है, इसलिये यह स्वाभाविक ही है कि परियोजना को पूरा करने में कुछ विलम्ब हो जाये। पानी दिये बिना इस में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

श्री० श्री नारायण दास : क्या कार्य कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है अथवा धन की कमी के कारण इस में कोई विलम्ब हुआ है ?

डा० कु० ल० राव : यह कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है। परन्तु खेद है कि सिंचाई क्षेत्र में सामान्य कटौती किये जाने के कारण दुर्भाग्य से इस वर्ष इसके लिये कुछ कम धनराशि नियत की गई है। इस में कुछ प्रगति हुई है। कम-से-कम बांध के बारे में हम प्रगति कर सकेंगे और कार्यक्रम के अनुसार पानी दे सकेंगे।

Shri Bibhuti Mishra : Is it a fact that the work relating to digging of the canal and construction of the bridge has been entrusted to the Ramaiya Company and the Bharat Sewak Samaj? But since they have no resources, they are doing this work very slowly with the result that there is delay in completing the project and consequently the estimate is going up and if so, whether Government propose to entrust this work to such persons who can complete the project on schedule otherwise the expenditure of this project will go on increasing?

डा० कु० ल० राव : इस प्रयोजन के लिये एक नियंत्रण बोर्ड है, जिसके अध्यक्ष बिहार के राज्यपाल हैं। यह बोर्ड कार्य की प्रगति की समय समय पर जांच करता है। कार्य तेजी से हो रहा है और संतोषजनक प्रगति हो रही है। इस वर्ष केवल धनराशि के कारण रुकावट रहेगी।

Shri K. N. Tiwary : Is it a fact that the construction of the barrage will e completed in 1967, but there will be delay in supply of water on schedule as the canal will not be completed and the water will be supplied only in 1970 and if so, what are the reasons?

डा० कु० ल० राव : जी, नहीं। हम बांध को उच्चतम प्राथमिकता इस लिये दे रहे है क्योंकि तभी हम नहर में पानी भेज सकगे। सारी नहर को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही हम नहर के प्रत्येक भाग को पूरा करेंगे हम भूमि के लिये पानी दे सकेंगे। यही कारण है कि बांध को उच्चतम प्राथमिकता क्यों दी गई है।

श्री क० ना० तिवारी : आरम्भ में यह बताया गया था कि नहर में पानी 1967 तक आयेगा। परन्तु अब यह कहा जाता है कि बांध 1967 तक पूरा हो जायेगा परन्तु उस समय तक नहर में पानी नहीं दिया जा सकेगा परन्तु यह केवल 1970 में आयेगा। क्या यह सब बातें सही हैं और यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

डा० कु० ल० राव : जैसा कि मैंने बताया, बांध 1967 तक तैयार हो जायेगा और फिर मैंने यह भी बताया है कि सारी नहर को बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही कुछ मील लम्बी नहर तैयार हो जायेगी, हम निकटवर्ती भूमि को पानी दे सकेंगे और जैसे ही हमें और धनराशि मिल जायेगी तो हम अधिकाधिक क्षेत्रों को पानी दे सकेंगे।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह सही है कि इस योजना के पूरा होने के तुरन्त बाद हम न केवल राज्य की 12 लाख टन की कमी को ही दूर कर सकेंगे परन्तु 8 लाख टन और अनाज का भी उत्पादन कर सकेंगे और यदि हां, तो क्या इस योजना की महत्ता तथा प्राथमिकता के अनुसार इस वर्ष में जितनी राशि आवंटित की गई है वह मंत्री महोदय तथा सरकार के अनुसार काफी होगी ?

डा० कु० ल० राव : यह बिलकुल सही है कि यह परियोजना देश में सब से अच्छी परियोजनाओं में से एक है और इस से 36 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकेगी और इससे इस राज्य तथा अन्य स्थानों में अनाज की कमी को बहुत सीमा तक दूर किया जा सकेगा। आर्थिक कठिनाइयों के कारण धनराशि में कुछ कटौती करनी पड़ी है। परन्तु मुझे आशा है कि हम कार्यक्रम को निश्चित अवधि में पूरा कर सकेंगे।

श्री सिंहासन सिंह : गंडक परियोजना के दो हिस्से हैं--बिहार क्षेत्र में बांध और नहरें तो बिहार सरकार के अधीन हैं और उत्तर प्रदेश में नहरका जो भाग हैं वह उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है। क्या 121 करोड़ रुपये की यह राशि बांध और नहरों के लिये दोनों सरकारों को दी गई है और इस कार्य को पूरा करने की मूल तारीख क्या थी और अब प्राक्कलन को 121 करोड़ रुपये तक बढ़ाने के पश्चात इसे पूरा करने के लिये कौनसी तारीख निश्चित की गई है ?

डा० कु० ल० राव : वास्तव में तीन नहरों का निर्माण किया जाना है। दो का उत्तरी क्षेत्र की ओर और एक का पश्चिमी क्षेत्र की ओर। पश्चिमी क्षेत्र की ओर की नहर का कुछ भाग उत्तर प्रदेश में होगा। 121 करोड़ रुपये का जो प्राक्कलन है वह बिहार क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र दोनों के लिये है। उत्तर प्रदेश में नहर के भाग पर 121 करोड़ रुपये में से 26 करोड़ रुपये खर्च आयेंगे।

Shri Bibhuti Mishra : I had asked about Ramaiya Company. He has replied that the Governor is its Chairman, but no work is being done there.

Mr. Speaker : He says that work is being done.

Allotment of Quarters to Government Employees

\+

*1104. **Shri Bhagwat Jha Azad :** **Shri Subodh Hansda :**
Shri M. L. Dwivedi : **Shri S. C. Samanta :**
Shri P. C. Borooah :

Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees of the higher categories are allotted quarters below the categories to which they are entitled to because of the non-availability and they are not allotted the quarters to which they are entitled in due time even when their turn for such allotment comes;

(b) if so, whether it is a fact that the employees of the lower categories are hard hit to the extent they do not get suitable accommodation even for ten years; and

(c) the steps taken to remove this difficulty?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Urban Development (Shri Bhagwati) : (a) Only persons entitled to accommodation of types VIII and VII are allotted houses of one category below when houses of their entitlement are not available. Officers entitled to houses in type VI and

below are not now allotted nouses one tpye below their entitlement. Officers are allotted houses of their entitlement when their turn for such allotment comes.

(b) The allotment of next below type houses to officers encitled to types VII and VIII does not affect the chances of junior officers for getting allotments in their turn.

(c) The position of accommodation is however unsatisfactory as, against a demand of about one lakh, we have only about 39,000 houses available for allotment. The solution lies in augmenting accommodation by way of construction of more houses. Our construction programme has however been slashed as a measure of economy.

Shri Bhagwat Jha Azad : The hon. Minister has just stated that when quarters of a particular type are not available, the employees of higher categories are allotted quarters next below the categories to which they are entitled and it does not affect the chances of junior officers for getting allotments. Are they not hit hard and if so, the employees of lower categories may also be allotted quarters same way?

श्री भगवती : मैंने पहले ही बता दिया है कि अब इस प्रणाली को बदल दिया गया है। अब केवल टाईप 7 तथा 8 के हकदार अफसरों को एक श्रेणी नीचे का मकान अलाट किया जाता है और अन्य कर्मचारियों को एक श्रेणी नीचे के मकान नहीं दिये जाते हैं। अतः इस से नीचे के अधिकारियों के हक पर कोइ प्रभाव नहीं पड़ता है।

Shri Bhagwat Jha Azad : May I know the shortage in relation to our requirements according to the presents assessment?

श्री भगवती : मैंने संख्या पहले ही बता दी है। हमें कुल 1,48,401 क्वार्टरों की आवश्यकता है और इस समय हमारे पास 42,631 क्वार्टर हैं। अतः 1,05,770 क्वार्टरों की कमी है।

श्री भागवत झा आजाद : सरकार ने क्या सफलता प्राप्त की है?

श्री भगवती : स्थिति कुछ अच्छी नहीं है।

श्री सुबोध हंसदा: ऐसे उच्च श्रेणी के अधिकारी कितने समय से नौकरी कर रहे हैं, जिनको क्वार्टर मिल चुके हैं और ऐसे निचली श्रेणी के अधिकारी कितनी अवधि से नौकरी कर रहे हैं जिनको अभी क्वार्टर नहीं मिले हैं?

श्री भगवती : जहां तक उच्च श्रेणी के अधिकारियों का सम्बन्ध है, इनकी संख्या बहुत कम है। श्रेणी सात तथा आठ के लिये हमें क्रमशः 246 और 108 क्वार्टरों की आवश्यकता है। इन श्रेणियों में क्रमशः 70 प्रतिशत तथा 61 प्रतिशत अधिकारियों को क्वार्टर मिल चुके हैं। निचली श्रेणियों अर्थात् एक, दो तथा तीन में क्रमशः 46 प्रतिशत, 30 प्रतिशत तथा 32 प्रतिशत कर्मचारियों को क्वार्टर मिले हैं। निचली श्रेणियों की स्थिति निश्चय ही संतोषजनक नहीं है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या मंत्रालय को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उन कर्मचारियों को क्वार्टर नहीं मिले हैं जो 10 वर्ष से भी अधिक समय से नौकरी कर रहे हैं परन्तु उसी श्रेणी के 10 वर्ष से भी कम समय से नौकरी कर रहे लोगों को क्वार्टर दे दिये गये हैं और यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं और इस शिकायत को कैसे निबटाया गया है?

श्री भगवती : मैं नहीं समझता कि कोई भेद भाव बरता जाता है। एक निश्चित नीति का अनुसरण किया जाता है। जहां तक श्रेणी एक से पांच का सम्बन्ध है अर्थात जहां तक निचली श्रेणी के अधिकारियों का सम्बन्ध है, उनकी नियुक्ति की तारीख को प्राथमिकता तिथि के रूप में माना जाता है। अन्य श्रेणियों के लिये उच्चतर पद में स्थायी होने की तारीख अथवा उस श्रेणी में पदोन्नति होने की तारीख को प्राथमिकता तिथि के रूप में माना जाता है। प्राथमिकता तिथि के अनुसार क्वार्टर दिये जाते हैं और कोई भेदभाव नहीं बरता जाता।

श्री स० चं० सामन्त : क्या नियमों का पालन किया गया था ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The employees who come to Delhi on transfers, have to face a lot of difficulty. Will the Government arrange to allot them quarters in advance so that when they come here they may bring their families also along with them?

श्री भगवती : मूल समस्या दिल्ली में मकानों की अत्याधिक कमी की है। नये मकानों का निर्माण करने के लिये हमारे पास धन नहीं है क्योंकि इस वर्ष 100 प्रतिशत कटौती कर दी गई है। अतः वास्तविक स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। सम्बन्धित अधिकारियों को यथासम्भव मकान देने के बारे में कुछ नीतियां हैं जिनका पूरी तरह से पालन किया जाता है।

Shri Onkar Lal Berwa : When a lower type of accommodation is allotted to a officer entitled to higher class he is charged for the lower type of accommodation and thus Government has to suffer a loss. Has Government ever looked into this matter as to how much rent should be charged from such officers?

श्री भगवती : यह सही नहीं है। यदि किसी अधिकारी को ऊंची श्रेणी का क्वार्टर दिया जाता है, परन्तु वह उससे निचली श्रेणी का आवास लेता है तो उससे उच्च श्रेणी के आवास का किराया लिया जाता है।

श्री जोकिम अल्वा : क्या सरकार उन अधिकारियों के बारे में, जिनके पास कारें नहीं हैं और न ही उन्हें कोई आशा है कि वे कारें खरीद सकेंगे, पूछताछ करती है जिससे सचिवालय के निकट आवास देने में उन्हें अधिमान दिया जा सके ? इस के साथ साथ तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के उन कर्मचारियों की स्थिति क्या है जो बीस बीस मील दूर रहते हैं और उनको, सरकारी आवास नहीं मिला है ? क्या उनके क्वार्टरों के लिये कोई दीर्घकालीन व्यवस्था है ?

श्री भगवती : यह आवास की सुलभता पर निर्भर करता है।

Shri Yashpal Singh : Government's policy is to reduce the population. Although in our religious books it has been described as most sinful act. But you may ignore it. Government want to reduce the population and all the methods right from injection to loop have proved unsuccessful. Why in such circumstances the Government shuold not frame a rule that Government accommodation should be provided to unmarried employees only and the married employees should be deprived of this facility to walk on the roads? This will not allow the population to increase. Why preference is not given to unmarried persons?

Mr. Speaker : Shri Limaye.

Shri Madhu Limaye : Whether there is any rule that when old Government quaters are demolished for one or the other reason the occupants of those quarters should be provided with another Government accommodation? If so whether any complaint has been received from Posts & Telegraphs Department that

new quarters were not allotted to those employees who were occupants of quarters which were demolished? If so what action is being taken on such complaints?

The Minister of works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : As far as the Ministry of Works and Housing is concerned we certainly provide accommodation to an eligible allottee if his quarter is demolished. As far as the Posts and Telegraphs Department is concerned, I am not dealing with it. They have their separate pool and a separate Ministry.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि सरकारी महिला कर्मचारियों को सरकारी मकान देने में पूर्ववर्तिता देने के लिए क्या कोई ऐसे सरकारी आदेश थे जो हाल ही में हटा लिए गये हैं ? यदि हां तो क्या सरकारी महिला कर्मचारियों को कोई पूर्ववर्तिता दी जाती है ?

श्री भगवती : महिलाओं के लिए एक पूल है जिसमें से क्वार्टर दिये जाते हैं।

Shri Kashi Ram Gupta : Whether Class III and Class IV employees have the right to keep any of their Class III or Class IV fellow employee co-sharer and if so, whether there is any restriction on its rent?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : चूंकि हमारे पास क्वार्टरों की बहुत कमी है, अत: हम वास्तव में सहमत हैं कि सरकारी कर्मचारी अन्य सरकारी कर्मचारीयों को अपने क्वाटरों मे रख लें। हमने केवल इतनी शर्त लगाई है कि यदि क्वार्टर में किसी को रखना हो, तो केवल सरकारी कर्मचारी को ही रखा जाये, न कि बाहर के किसी व्यक्ति को।

बिजली बोर्डों के अध्यक्षों का सम्मेलन

+

***1105. श्री श्रीनारायण दास :**

श्री कृष्णपाल सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1965 में हुए राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों के सम्मेलन में किये गये निर्णयों तथा सिफारिशों पर, जहां तक उनका केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध है, विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) : विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०-6038/66]**

श्री श्रीनारायण दास : विवरण से यह पता लगता है कि संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रीय ग्राम बिजली सहकारी प्रशासन के विशेषज्ञों के साथ बातचीत होने के पश्चात ही ग्राम बिजली सहकारी संस्थाओं की स्थापना के बारे में अंतिम कार्यवाही की जायेगी। कितने विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है और उनके यहां आने पर कितना व्यय होगा ?

डा० कु० ल० राव : दो विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है और वे किसी समय भी आ सकते हैं, ऐसी हमें आशा है। व्यय केवल उतना होगा जितना उनके यहां ठहरने पर वास्तव में रुपयों में किया जायेगा।

श्री श्रीनारायण दास : विवरण में यह बताया गया है कि ग्राम विद्युतन के लिए पंचवर्षीय सूद मुक्त ऋण देने के प्रश्न पर विभिन्न संबंधित मंत्रालयों द्वारा विचार किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि कब तक निर्णय किया जायेगा और क्या इस प्रयोजन के लिये किसी राज्य ने कोई मांग की है और यदि हां, तो क्या मांग की है ?

डा० कु० ल० राव : वास्तव में सब राज्यों ने यही मांग की है और वित्त मंत्रालय के साथ इस पर विचार किया जा रहा है । इस में कुछ समय लगेगा ।

श्री कृष्णपाल सिंह : मुझे विश्वास है कि इस सम्मेलन में जिन बातों पर विचार किया गया था उनमें एक बात यह भी थी कि ग्राम्य क्षेत्रों में बिजली देने के लिए न्यूनतम शुल्क लगाया जाना चाहिये या नहीं ? वर्ष में वर्षा ऋतु के चार-पांच महीनों में कृषक बिजली का उपयोग नहीं करते । इसके अतिरिक्त वितरक लाइन से मुख्य लाइन को जोड़ने के लिए उनसे ऊंची-लाइन का शुल्क लिया जाता है। मुझे शंका है कि इन बातों पर सरकार ने कोई कार्यवाही की है ।

डा० कु० ल० राव : इन निर्णयों के बारे में राज्य सरकारों के नये विद्युत बोर्डों को सूचित कर दिया गया है और अब तक हमें तीन विद्युत बोर्डों से इन सिफारिशों से सहमति के उत्तर प्राप्त हो चुके हैं और दूसरे बोर्डों से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

श्री जसवन्त मेहता : इस सम्मेलन ने यह राय व्यक्त की थी कि ट्रान्सफार्मरों तथा तांबे की कमी के कारण ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्यक्रम रुका पड़ा है । गुजरात विद्युत बोर्ड ने अपनी मांग पेश कर दी है । इन चीजों को देने के लिए इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

डा० कु० ल० राव : गांवो में बिजली लगाने के हेतु अगले दो वर्षों के लिये अपेक्षित सामान विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों से मांगा गया है और अभी चार या पांच बोर्डों ने ही सूचना भेजी है । शेष बोर्डों की सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्री फिरोदिया : क्या ये ग्राम सहकारी संस्थाएं प्रत्येक किसान को अपने खेतों में विद्युत लाइन लेने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर लेने के लिए ऋण देती है ? यदि हां, तो ये सहकारी संस्थाएं कहाँ से धन प्राप्त करती हैं ?

डा० कु० ल० राव : इस पर अभी विचार किया जाना है । इनमें से यह भी एक प्रश्न है जिसे इन अमरीकी विशेषज्ञों के आने पर सुलझाना है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह निर्णय, कि विद्युत शुल्क की दर प्रति यूनिट 12 पैसे से अधिक होने पर कृषि प्रयोजन के लिए विद्युत शुल्क में राज्य सहायता दी जायेगी तब भी लागू रहेगा जब कि वर्तमान दरें, उदाहरण के लिए दामोदर घाटी निगम में, भविष्य में बढ़ा दी जाती हैं जैसी कि विश्व बैंक के दबाव में आकर किये जाने की सम्भावना है ?

डा० कु० ल० राव : इस वर्ष जनवरी 1 से चल रही दरों के सम्बन्ध में यह लागू रहेगा ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मैं जान सकती हूं कि इस सम्मेलन में इस मामले पर भी विचार किया गया था कि कृषि प्रयोजनों का जहां तक सम्बन्ध है विद्युत शुल्क की दरें एकसम होनी चाहिएं और दरें कम की जानी चाहिए तथा उन्हें औद्योगिक कार्य के लिए ली जाने वाली विद्युत शुल्क की दरों के बराबर ही कर देना चाहिए ।

डा० कु० ल० राव : मैंने इस प्रश्न का उत्तर पहले भी दिया है । इस समय ये दोनों बातें सम्भव नहीं हैं । पहले तो, संपूर्ण देश में एकसम दर लाने के लिए हमें एक बहुत अच्छी ग्रिड व्यवस्था स्थापित करने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । संपूर्ण देश को ट्रान्समिशन लाइनों से जोड़ देना चाहिए केवल तभी-एकसम दरें लाना सम्भव है ।

दूसरे, हमें यह कभी सम्भव नहीं होगा कि प्रत्यक्ष कारणों से औद्योगिक भार के लिए जो शुल्क लेते हैं उसी दर पर कृषि के लिए पम्प से पानी निकालने के लिए विद्युत दी जाए । कारण ये हैं कि औद्योगिक भार बहुत कम है और वर्ष के केवल कुछ समय ही है और बंटा हुआ भी है और जहां भार केन्द्रित भी है उसके लिए विद्युत की बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता है और वह उन स्थानों के

अति निकट है जहां पर हमें विद्युत प्राप्त होती है। अतः उद्योग के लिए जिस दर विद्युत देते हैं उसी दर पर कृषि के लिए पम्प से पानी निकालने के लिये विद्युत देना हमें कभी सम्भव नहीं होगा।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं विवरण के उस अंश का उल्लेख कर रहा हूं जिसमें यह बताया गया है कि संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रीय ग्राम विद्युत सहकारी प्रशासन, जो एक अत्यन्त लम्बा नाम है, के विशेषज्ञ आ रहे हैं। क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि जापान ने जो एशिया में हमारा घनिष्ट मित्र देश है ग्राम विद्युतन के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति की है और यदि हां, तो ऐसा क्यों है कि एशियाई वातावरण होते हुए जिसमें हम कार्य कर रहे हैं और जी रहे हैं, जापानी विशेषज्ञ नहीं बुलाये गये हैं वरन सयुंक्त राज्य अमरीका से बुलाये गये हैं ?

डा० कु० ल० राव : इसका मामूली सा कारण है कि भारत संयुक्त राज्य अमरीका से अधिक मिलता जुलता देश है। उसीकी तरह विस्तृत तथा अधिक दूरियां आदि हैं। भारत जापान की तरह नहीं है जहाँ ग्राम व्यवस्था अधिक है। संयुक्त राज्य अमरीका में ग्राम विद्युत प्रशासन ने सम्भवतः सबसे अधिक सफलता प्राप्त की है जो अब तक किसी भी देश में प्राप्त नहीं हुई है। यह प्रत्यक्ष है कि जब हमें सलाह लेनी ही है तो अच्छे देश से प्राप्त करें।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा प्रश्न एशियाई वातावरण के बारे में था।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कारण बता दिया है।

श्री कण्डप्पन : विवरण में बताया गया है कि समिति के औपचारिक रूप से बनाने से पहले उन्होंने मार्गदर्शक मुख्य बातें रखने पर विचार किया और दूसरे राज्य को विद्युत बेचने में राज्य द्वारा इन बातों का अनुकरण किया जा सकता है और इस के लिए आवश्यक तारीख के बारे में जानकारी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एकत्रित भी कर रहा है। क्या यह समिति बनाई जा चुकी है और क्या सरकार बता सकती है कि यह कितना समय लेगी ?

डा० कु० ल० राव : समिति बनाई जा चुकी है और हम जानकारी तथा आंकड़े पाने का प्रयत्न कर रहे हैं जिससे उन सिद्धान्तों का निश्चय किया जा सके जिन पर राज्यों के बीच बिक्री की जाये। छः महीने के अन्दर हमें प्रतिवेदन मिलने की आशा है।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दुर्गापुर क्षेत्र में बिजली की बिक्री

+

*1108. **श्री कपूर सिंह :**
श्री प० ह० भील :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री दे० द० पुरी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने दामोदर घाटी के दुर्गापुर क्षेत्र में बिजली की बिक्री के लय एकमात्र अभिकरण के रूप में कार्य करने की इच्छा व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार तथा अन्य सम्बन्धित सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है कि दामोदर घाटी निगम के घाटी में बिजली के उत्पादन और सम्भरण के साविधिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव मंजूर करने योग्य नहीं है।

श्री कपूर सिंह : क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने एकाधिकार लाभ प्राप्त करने के अभिप्राय से यह अनुरोध किया था अथवा राजनैतिक शक्ति के अभिप्राय से ?

श्री कु० ल० राव : इसमें अभिप्राय का कोई प्रश्न नहीं है । चूंकि पश्चिम बंगाल सरकार के पास अपनी आवश्यकता से कुछ फालतू बिजली थी, अतः वह इसे अच्छी दर पर बेचना चाहती है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने दामोदर घाटी निगम के मुख्यालय, मैथोन से दुर्गापुर को बिजली देने का विचार किया है ।

डा० कु० ल० राव : हम चाहते हैं कि घाटी में केवल दामोदर घाटी निगम ही बिजली का सम्भरण करे । अधिनियम के अनुसार हम पश्चिम बंगाल सरकार अथवा बिहार सरकार को घाटी में बिजली के संभरण की अनुमति नहीं देना चाहते हैं । ऐसा करने से दामोदर घाटी निगम की वित्तीय स्थिति बिगड़ जायेगी । इसलिये हम प्राधिकार के अलावा किसी को बिजली का संभरण करने की अनुमति नहीं देना चाहते हैं ।

डा० रानेन सेन : उस क्षेत्र में बंगाल सरकार द्वारा कुछ बिजली का उत्पादन किया जाता है । क्या इसका अर्थ यह है कि उससे अपने द्वारा उत्पादित बिजली को अपनी इच्छानुसार दर पर बेचने का अधिकार नहीं है ?

डा० कु० ल० राव : अधिनियम के अन्तर्गत वह पहले से निर्धारित मात्रा से अधिक बिजली नहीं बेच सकती है ।

क्षत्रों का नागरीकरण

***1109. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता महा नगर योजना संगठन द्वारा तैयार की गई भारत के नागरीकरण सम्बन्धी रिपोर्टों का अध्ययन कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता): (क) कलकत्ता महानगर संगठन द्वारा, कलकत्ता महानगर योजना पर किये जाने वाले अध्ययनों में से एक के रूप में "पूर्वी भारत में नागरीकरण और पश्चिमी बंगाल और महानगरी कलकत्ता में नागरीकरण से उसका सम्बन्ध" पर एक नोट तैयार किया गया था । भारत के नागरीकरण के सम्बन्ध में अन्य कोई प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया है ।

(ख) निष्कर्षों का सारांश सभा पटल पर प्रस्तुत है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6039/66 ।]**

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । नगर से सम्बन्धित कार्य विभिन्न मंत्रालयों को दिये गये हैं । नगरीय विकास निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री का कार्य है और नगरीकरण का काम समाज कल्याण मंत्री का । ऐसा क्यों है ?

अध्यक्ष महोदय : इस का निर्णय प्रश्न काल में नहीं किया जा सकता है ।

श्री हरि विष्णु कामत : इस का निर्णय आप करेंगे या मंत्री महोदय ?

श्री ही० ना० मुकर्जी : प्रश्न कलकत्ता महानगर योजना के सम्बन्ध में है न कि ग्रामीण क्षेत्र के नगरीकरण के सम्बन्ध में ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल की अवधि में इस पर निर्णय नहीं किया जा सकता ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस बात को देखते हुए कि उद्योग और व्यापार के विकास के कारण कलकत्ता भीड़भाड़ और घनी आबादी वाला नगर बन गया है, क्या सरकार ने अस्थायी उपाय के रूप में इस प्रक्रम पर यह कार्य आरंभ करने के लिये कोई धनराशि दी है ?

श्री अशोक मेहता : मैं पहले एक प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूं कि कलकत्ता के लिए एक योजना है, जिसका तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने समर्थन किया है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : मैंने धन के नियतन के बारे में प्रश्न पूछा है ।

श्री अशोक मेहता : तीसरी पंचवर्षीय योजना में कलकत्ता नगर के विकास का कार्यक्रम बनाया था जो अभी चल रहा है । हमें यह निर्णय करना है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए क्या कार्यक्रम हों ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम धनी और निर्धनों के बीच की खाई को पाटने का बार बार प्रयत्न कर रहे हैं, क्या सरकार ने कलकत्ता में गन्दी बस्तियों में रहने वाले बारह लाख लोगों को न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का कार्य अब स्वयं अपने हाथ में ले लिया है ?

श्री अशोक मेहता : यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका और इसका उत्तर भी दिया जा चुका है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार कलकत्ता महानगर योजना संगठन के कुछ अधिकारियों का कहना है कि संगठन ने कई कार्यों की सिफारिशों के कई प्रतिवेदन तैयार किये हैं और इन कार्यों को क्रियान्वित करना सरकार का उत्तरदायित्व है किन्तु वह इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर रही है । सरकार इन प्रतिवेदनों को कार्यरूप कब देगी क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना प्रायः पूरी हो गई है ?

श्री अशोक मेहता : अन्ततः इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना पश्चिम बंगाल सरकार का उत्तरदायित्व है । माननीय सदस्य जानते हैं कि राज्य सरकार अनेक कार्यवाही कर रही है । जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, वह यह निर्णय करेगी कि इन कार्यक्रमों पर होने वाला खर्च दोनों सरकारें किस अनुपात में वहन करेंगी ।

श्रीमती सावित्री निगम : केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली में गन्दी बस्तियों में कुछ सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये कुछ अनुदान दिया था । क्या उसी प्रकार कलकत्ता में भी गन्दी बस्तियों में पीने के पानी, पानी की निकासी आदि सुविधाओं की व्यवस्था के लिये सरकार कुछ अनुदान दे रही है ?

श्री अशोक मेहता : मैं बता चुका हूं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में कलकत्ता के विकास के लिये कुछ कार्यक्रम तैयार किये गये थे । केन्द्रीय सरकार ने इन कार्यों के लिये पश्चिम बंगाल की राज्य योजना के अतिरिक्त अपेक्षित धन दिया है । अब हमें यह देखना है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या करना है, उसके लिये कितने धन की आवश्यकता होगी, कार्यक्रमों पर होने वाले खर्च को केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार किस अनुपात में वहन करेंगी तथा राज्य योजना के अन्तर्गत अथवा उससे भिन्न कितने धन की व्यवस्था होगी । इन समस्याओं पर योजना आयोग विचार कर रहा है ।

श्री हरि विष्णु कामत : गत वर्ष स्वास्थ्य मंत्री ने, जो उस समय नगरीय विभाग के लिये उत्तरदायी थी, बताया था कि सरकार नगरीकरण योजना के अन्तर्गत उपनगर बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है । क्या मंत्री महोदय बड़े नगरों के चारों ओर उपनगर बनाने के किसी ठोस प्रस्ताव पर विचार कर रहे है ।

श्री अशोक मेहता : प्रश्न केवल कलकत्ता के बारे में है । मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य कलकत्ता के उपनगर के बारे में जानना चाहते हैं अथवा अन्य किसी और के बारे में ।

श्री हरि विष्णु कामत : जी हां, कलकत्ता के बारे में ।

श्री अशोक मेहता : कलकत्ता महानगर योजना संगठन ने कई योजनाएं बनाई हैं जिनपर योजना आयोग विस्तार पूर्वक विचार कर रहा है । योजना आयोग के सामने ये समस्याएं हैं कि कार्यक्रम किस प्रकार होना चाहिये उसे राज्य योजना में शामिल किया जाये अथवा भिन्न रूप कार्यान्वित किया जाये और क्या इसका खर्च केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार दोनों, वहन करेंगी । यह एक महत्व-पूर्ण मामला है । इस पर अभी अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया गया है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कलकत्ता महानगर योजना संगठन द्वारा तैयार किया गया जो प्रतिवेदन सभापटल पर रखा जा रहा है, उसमें कहा गया है कि कलकत्ता महानगर जिला अधिकांश अन्य बड़े नगरों की तुलना में कम दर से बढ़ रहा है और पश्चिम बंगाल से बाहर कलकत्ता विरोधी भावना है । क्या मंत्री महोदय को पता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार, उड़ीसा के कुछ भागों तथा आंध्र प्रदेश के उत्तरी जिलों के निर्धन क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग कलकत्ता आते हैं, किन्तु कलकत्ता महानगर योजना संगठन द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में इसका कोई उल्लेख नहीं है । इसके विपरीत संगठन ने दूसरी बातों का उल्लेख किया है ।

श्री अशोक मेहता : यह कलकत्ता महानगर योजना संगठन द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिवेदन नहीं अपितु इस संगठन से सम्बद्ध एक विशेषज्ञ का प्रतिवेदन है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपके क्या विचार हैं ।

श्री अशोक मेहता : इस सम्बन्ध में मेरे कोई विचार नहीं हैं । मैं प्रतिवेदन का सारांश सभा को बता चुका हूं । मैं इस सम्बन्ध में विचार प्रकट करना उचित नहीं समझता हूं ।

बलिहारी कोयला खान में श्रमिकों की बर्खास्तगी

अ० सू० प्र० 18. श्री श्रीकान्तन नायर : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बलिहारी कोयला खान, कसुण्डा, धनबाद के तीन सौ छिहत्तर श्रमिकों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां): (क) कोयला खान के 376 श्रमिकों की छंटनी उस के प्रबंधकों द्वारा इस आधार पर कर दी गई है कि कोयला खान की कुछ चलने वाली छिप्पें (Seams) बन्द करनी पड़ी हैं ।

(ख) सहायक श्रम आयुक्त (ग), धनबाद ने इस विवाद को समझौते के लिये ले लिया है और उस की रिपोर्ट मिलने पर अग्रेतर अपेक्षित कार्यवाही सरकार द्वारा की जायेगी ।

श्री श्रीकान्तन नायर : क्या सरकार को पता है कि यह छंटनी 15 मार्च, 1966 के समझौते के प्रतिकूल है । इसका अभिप्राय उस कोयला खान से स्थाई मजदूरों को निकाल कर उनके स्थान पर नमित्तिक मजदूर और ठेके पर मजदूर रखने का है यदि हां, तो क्या सरकार इसे रोकने के लिये कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री शाह नवाज खां : मामला समझौता बोर्ड के सामने है। आज समझौता अधिकारी मजदूर संघ के विचार सुन रहा है ।

श्री श्रीकान्तन नायर: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पहले उस कोयला खान ने मजदूरों को निकालने, उत्पादन बन्द करने तथा देश की राष्ट्रीय सम्पति के संवर्धन को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न किया था, क्या सरकार कोयला खान द्वारा यथाशीघ्र काम आरंभ न किये जाने की स्थिति में उसे अपने हाथ में लेने अथवा मजदूरों द्वारा सहकारी समिति के रूप में चलाने की अनुमति देने के सम्बन्ध में विचार करेगी ?

श्री शाह नवाज खां : पिछले दो वर्ष से कोयला खान में काफी गड़बड़ हो रही है । यहां तक कि एकबार मजदूरों को मजूरी न देने के लिये प्रबन्धकों पर 13 मुकदमे चलाये गये थे । कोयला खान को राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा अपने हाथ में लिये जाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार इस कोयला खान के मालिक की केन्द्रीय सरकार के धनबाद में अपने अभिकरण के द्वारा दिये गये सुझावों को मानने के सम्बन्ध में, हठ पर विचार करेगी और यदि हां, तो इस मामले में सरकार का आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री शाह नवाज खां : इस वर्ष 15 मार्च को मजदूरों और प्रबन्धकों के बीच एक समझौता हुआ था और उसे पूरी तरह क्रियान्वित किया गया है ।

श्री श्रीकान्तन नायर : यह सच नहीं है ।

श्री शाह नवाज खां : जो भी समझौता हुआ था उसे पूरी तरह क्रियान्वित किया गया था। यह कहा गया है कि इसका और उल्लंघन किया गया है । यह मामला समझौते के लिये पड़ा है । यदि समझौता अधिकारी विवाद तय नहीं कर सका तो इसे मध्यस्थता निर्णय के लिये सौंपा जायेगा ।

श्री श्रीकान्तन नायर : मंत्री महोदय ने गलत वक्तव्य दिया है .....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मुझे लिख कर दे सकते हैं ।

श्री इंद्रजीत गुप्त : क्या सरकार ने समझौता कार्यवाही के जो इस समय हो रही है, अतिरिक्त यह जानने के लिये खान निरीक्षणालय से कोई रिपोर्ट मांगी है कि प्रबन्धकों का यह कहने का वास्तविक आधार है अथवा नहीं कि इस कोयला खान में कतिपय परतों को बन्द करना पड़ेगा ?

श्री शाह नवाज खां : जी, हां, खान के मुख्य निरीक्षक की हिदायत पर कुछ परतों को बन्द करना पड़ा क्योंकि उनमें गर्मी पैदा हो गई थी और उनमें पानी भर गया था। परत संख्या 12 और 13 को बन्द करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । समझौता कार्यवाही पूरी हो जाने पर सही स्थिति का पता लगेगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि प्रबन्धकों ने निर्णय किया है कि समझौता कार्यवाही पूरी हो जाने के बाद भी वे इन मजदूरों को काम पर नहीं रखेंगे और यदि हां, तो प्रबन्धकों द्वारा ऐसा किया जाने पर क्या उन्हें किसी दूसरे काम पर रखा जायेगा ?

श्री शाह नवाज खां : निर्णय होने से पहले माननीय सदस्य अपना निर्णय दे रहे है ।

अध्यक्ष महोदय : यह कल्पना मात्र है । पहले समझौता कार्यवाही पूरी होनी चाहिए

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The hon. Minister has stated that due to malice attitude of the management 30 cases of prosecution were launched against them. May I know whether Government will make the management to pay compensation to these 375 workers in case they are retrenched and substituted by contract labourers or take some legal action against them so that they will not behave in this manner?

Shri Shah Nawaz Khan : No workers have been appointed in the places of 375 retrenched workers. The matter is before the conciliation board and it will be premature to say any thing at this stage.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या यह सच है कि इस कोयला खान विशेष के अतिरिक्त गैर-सरकारी क्षेत्र की अन्य कोयलाखानों में किसी न किसी बहाने से मजदूरों को निकालने का प्रयत्न किया जाता है ताकि उनके स्थान पर ठेके के आधार पर मजदूर रखे जा सकें जिससे मालिकों को लाभ हो और यदि हां तो क्या सरकार सभी कोयला खानों में ठेके के आधार पर मजदूर की भर्ती कतई बन्द करने लिये कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री शाहनवाज खां : यह बिल्कुल भिन्न प्रश्न है ।

Shri Bade : May I know whether any provision has been made to these 375 retrenched workers? Is the Government aware that there is more agitation among workers on account of unemployment and how much time will the conciliation Board take to decide the matter?

Shri Shah Nawaz Khan : As I have stated that the point of view of the union is being heard by the conciliation board to-day and I assure you that the board will not take much time.

श्री जोकीम आल्वा : सरकार को पता है कि मजदूरों को बिना किसी सुविधा के बहुत कठिन और जोखिम का काम करना पड़ता है । क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी क्षेत्र की उन कोयला खानों को अपने हाथ में लेकर राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अन्तर्गत रखने का है जिनमें कदाचार होता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक व्यापक प्रश्न है ।

श्री प्रिय गुप्त : मंत्री महोदय ने कहा है कि जो लोग निकाले गये हैं उनके स्थान पर कोई मजदूर नहीं रखे गये हैं । क्या इन लोगों की छंटनी के दौरान अथवा उससे कुछ दिन पहले इस कोयला खान में किसी काम के लिये कुछ मजदूर भर्ती किये गये थे ; और यदि हां तो जब प्रबन्धक यह जानते थे कि कुछ परतें बन्द की जायेंगी, इन लोगों को दूसरे काम पर लगाने के बजाय नये मजदूर क्यों रखे गये ?

श्री शाह नवाज खां : पिछली छंटनी के बारे में 4 अप्रैल को शिकायत मिली । 15 मार्च को एक आम समझौता हुआ था और 15 मार्च से पहले के सभी विवाद प्रबन्धकों और मजदूरों के बीच तय हो गये थे । इस महीने की 4 तारीख के बाद कोई भर्ती नहीं की गई ।

श्री प्रिय गुप्त : मैंने स्पष्ट प्रश्न पूछा था कि .....

अध्यक्ष महोदय : कोई नई भर्ती नहीं की गई ।

श्रीमती सावित्री निगम : मंत्री महोदय ने एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में बताया है कि कोयला खानों के विरुद्ध 13 मुकदमे चल रहे हैं और बहुत से अन्य कोयला खानें अच्छी तरह कार्य नहीं कर रही हैं । देश के उत्पादन को बनाये रखने तथा मजदूरों को कठिनाई से बचाने के लिये सरकार इन कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं करती है ?

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत आम प्रश्न है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Irrigation Schemes

*1106. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether Government give importance to the irrigation schemes on the basis of production or on the basis of increase in the revenues accruing therefrom; and

(b) whether it is a fact that Government are giving importance uptill now on the basis of revenue?

The Minister for Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed) : (a) & (b). Importance is now being given to production. Since October, 1964 benefit-cost ratio, which reflects production, is being given consideration.

ताप-बिजली घर

*1107. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जल विद्युत परियोजना के स्थान पर बड़े ताप बिजली घर बनाने के लिये कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस योजना पर कितनी लागत आयेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं । दोनों प्रकार जलीय तथा ताप परियोजनाएं विविध राज्यों में कार्यान्वियन के लिये शुरू की जा रही हैं । इस सम्बन्ध में कई एक बातों पर ध्यान रखा गया है जैसे कि बिजली संसाधनों की उपलब्धता (जलीय अथवा ताप), तकनीकी क्षमता और आर्थिक स्थिति ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

दामोदर घाटी निगम का व्यय

*1110. **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रानेन सेन :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम का बिजली सप्लाई करने का काम वित्तीय दृष्टि से संतोषजनक ढंग से नहीं चल रहा है क्योंकि कार्य संचालन सम्बन्धी व्यय, जिसमें अधिकारी बाहुल्य वाला प्रशासन (टाप हेवी ऑडमिनिस्ट्रेशन) भी शामिल है, निरन्तर बढ़ता जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अन्य अप्रत्यक्ष व्यय के, जिसका बिजली की सप्लाई से कोई सम्बन्ध नहीं है, बिजली के खाते में डाले जाने के स्थिति और अधिक खराब हो गई है ; और

(ग) सभी प्रकार के अनावश्यक व्यय को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, नहीं । यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान कार्य संचालन संबंधी व्यय बढ़ गए हैं । परन्तु इस के कई कारण हैं—जैसे कि निर्माण कार्य की गति में वृद्धि, कोयले की कीमत का बढ़ना, आपतकालीन बीमें और बोनस का प्रबन्ध, स्टाक को अधिक मंहगाई भत्ते का अनुदान इत्यादि ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) दामोदर घाटी निगम, यथासंभव, व्यय को हर तरह से कम करने का निरन्तर प्रयत्न करता है । दामोदर घाटी निगम ने मितव्ययिता तथा सुदक्षता प्राप्त करने हेतू विभिन्न विभागों के स्टाफ-ढांचे के पुनर्विलोकन के लिए दो समितियां भी स्थापित की हैं ।

मिजो पहाड़ियों का विकास

*1111. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम सरकार योजना आयोग के साथ सलाह कर के मिजो पहाड़ियों में नकदी-फसलों के बड़े पैमाने पर विकास, विक्रय सुविधाओं तथा संचार के लिए एकीकृत कार्यक्रम तैयार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर कुल कितना व्यय होगा ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (ग): मुख्य मंत्री, असम, के सुझाव पर, कृषि और वन विकास, संचार और अन्य पहलुओं सहित असम के पहाड़ी जिलों में विकास की प्रगति और भावी विकास की रूपरेखा का एक केन्द्र-राज्य अध्ययन दल ने अध्यन किया । अध्ययन दल ने जनवरी में मिजो पहाड़ियों का और फरवरी तथा मार्च में अन्य जिलों का दौरा किया । अध्ययन दल में जो असम सरकार के अधिकारी हैं वे विस्तृत ब्यौरा तैयार कर रहे हैं । निकट भविष्य में इनकी जांच की जानी है ।

Upgradation of Posts of Central Excise Sub-Inspectors

*1112. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have considered the recommendations of the Central Excise Reorganisation Committee set up in 1960;

(b) if so, whether all its recommendations had been accepted and implemented;

(c) whether one of the recommendations also related to the upgrading of the post of Sub-Inspectors and whether that recommendation has been accepted; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri B. R. Bhagat) : (a) Yes, Sir.

(b) The decisions of the Government on the various recommendations made by the Central Excise Reorganisation Committee in their Report were placed on the Table of the House on 19th December, 1963 *vide* Parliament Lib. No. L.T. 2186/63.

(c) Yes, but this particular recommendation was not found to be acceptable to the Government.

(d) The recommendation was not accepted by the Government because it was felt that there was adequate justification for continuing the grade of Sub-Inspectors as distinct from the grade of Inspectors of Central Excise since they were generally employed on less responsible types of duties and administrative exigencies justified the continuance of the grade of Sub-Inspectors.

Deaths after taking Biscuits in Agartala

*1113. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 16th March, 1966, eleven persons died and 240 persons were taken ill in Khowai, Agartala as a result of eating biscuits made at that place;

(b) if so, the causes thereof, and

(c) the action taken against the owner of the biscuit factory?

The Minister of Health and Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) & (b). There were about 310 cases and 11 deaths, on account of food poisoning due to consumption of biscuits manufactured at a local bakery in Khowai town in Tripura.

(c) Four persons were arrested and the bakery owner, who has been absconding is being traced by the Police.

ब्रम्हपुत्र नदी का नियंत्रण

*1114. **श्री नि० रं० नास्कर :**
श्री लीलाधर कटकी :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा, करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी विशेषज्ञ, डा० आइ० बर्टन ने ब्रम्हपुत्र नदी के नियंत्रण तथा उसके विकास के लिए एक समेकित बहु प्रयोजनीय योजना तैयार करने की सिफारिश की है ;

(ख) क्या सरकार ने उन सिफारिशों का अध्ययन कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : डा० बर्टन ने, जिन्हें असम सरकार ने बुलाया था, अपनी रिपोर्ट असम सरकार को प्रस्तुत कर दी है । असम सरकार रिपोर्ट की जांच कर रही है ।

Jhuggis near Ramakrishnapuram

*1115. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**

Shri Bade :

Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided to allot shops to the Jhuggi dwellers of the Mohammadpur village near Ramakrishnapuram;

(b) whether it is also a fact that the villagers have again unauthorisedly constructed a market consisting of 150 shops adjacent to the said Jhuggis;

(c) if so, whether Government have issued orders for demolition of the said market; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) No.

(b) A market consisting of about 26 shops was recently constructed unauthorisedly by some land owners of Mohammadpur village.

(c) These shops have been demolished by the Municipal Corporation of Delhi on the 11th April, 1966.

(d) Does not arise.

सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद

*1116. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चालू हो जायेगा; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : 25 नवम्बर 1965 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1251 के उत्तर में यह बताया गया था कि मिल में 1966 की दूसरी छमाही में उत्पादन शुरू होने का अनुमान है । आशा है कि यह कार्यक्रम निर्धारित समय पर पूरा हो जायगा ।

Raids in Bombay and Rajasthan

1117. **Shri R. S. Tiwary :** **Shri Krishnapal Singh :**
Shri Vishwa Nath Pandey : **Shri A. S. Saigal :**
Shri Pratap Singh : **Shri Ram Swarup :**
Shri Ramanand Shastri : **Shri Chandak :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to a news-item appearing under the heading "demand for investigation by Central Bureau of Investigation into an alleged recovery of 300 tolas of diamonds, worth more than six crores of rupees, by the Income-tax Department, Bombay", published at pages

3 and 4 of a Hindi Weekly of Bhiwani, 'Poorvi Punjab' dated the 15th March, 1966;

(b) if so, whether any enquiry has been conducted into the matter;

(c) if so, the details and basis thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri B. R. Bhagat) : (a) Yes, Sir.

(b), (c) and (d). Detailed investigations by the Income-tax Department are in progress.

चौथी योजना में विदेशी ऋणों की अदायगी

*1118. **श्री रा० बरुआ :**
श्री मुरली मनोहर :
श्री राम हरख यादव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में विदेशी ऋणों की अदायगी के लिये विशेष प्रयत्न करने पड़ेंगे ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रयत्न करने पड़ेंगे ; और

(ग) ऋणों की अदायगी की अवधियां फिर से निश्चित करवाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) से (ग) : चौथी आयोजना की अवधि में वर्तमान ऋणों को चुकाने के लिए जितनी रकम अदा करनी होगी वह तीसरी आयोजना की अवधि के ऋण-भार से लगभग 425 करोड़ रुपया अधिक है। ये अदायगियां करने के लिए

(क) निर्यात बढ़ाने,

(ख) बाहर से मंगायी जाने वाली चीजों के बदले देश में वैसी ही चीजों के उत्पादन में वृद्धि करने, तथा

(ग) मित्र देशों और संस्थाओं से अधिक मात्रा में गैर-प्रायोजना सहायता प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता होगी। ऋणों का पुनर्वित्त-प्रबन्ध या उनकी अवधियों का पुनर्निर्धारण उसी हद तक किया जायगा जिस हद तक सहायता देने वाला देश या संस्था इसे गैर-प्रायोजना सहायता देने का एक तरीका मान ले और इसे चौथी आयोजना के लिए पर्याप्त विदेशी सहायता प्राप्त करने के प्रयत्न के एक भाग के रूप में मानना पड़ेगा और इसके सम्बन्ध में उसी रूप में कार्रवाई करनी पड़ेगी।

बम्बई और राजस्थान में छापे

*1119. **श्री अ० सिं० सहगल :**
श्री कृष्णपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नई दिल्ली से प्रकाशित 7 मार्च, 1966 के "पार्लियामेंटरी टाइम्स" के पृष्ठ संख्या 6 में दिये गये इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि राजस्थान राज्य में आयकर विभाग, बम्बई द्वारा मारे गये छापे के परिणामस्वरूप 300 तोले हीरे तथा पन्ने की कथित प्राप्ति हुई ; और

(ख) क्या यह सच है कि सम्बन्धित व्यापारी ने राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड खरीदने के लिए बम्बई के आयकर अधिकारियों से स्वयं ही आवेदन किया था परन्तु उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई तथा तलाशी ली गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

राष्ट्रीय आय के बारे में एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग का सर्वेक्षण प्रतिवेदन

***1120. श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग द्वारा हाल में किये गये एक सर्वेक्षण में यह कहा गया है कि भारत को जापान की वर्तमान राष्ट्रीय आय स्तर तक पहुंचने में 137 वर्ष और न्यूजीलैंड के स्तर तक पहुंचने में 205 वर्ष लगेंगे ;

(ख) यदि हा, तो क्या सरकार इसे ठीक प्राक्कलन समझती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग के उक्त सर्वेक्षण प्रतिवेदन के परिणामस्वरूप जनता पर हुए प्रभाव को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) एशिया और दूर-पूर्व सम्बन्धी आर्थिक आयोग की वार्षिक समीक्षा के मसविदे में, जो इस आयोग के, हाल में हुए सम्मेलन में विचार के लिए पेश किया गया था, यह कहा गया था : "यदि भारत में प्रति-व्यक्ति आय की वृद्धि की वार्षिक गति 1.5 प्रतिशत ही रहीं – जो 1951 से 1963 तक की अवधि में प्रतिव्यक्ति आय में हुई वृद्धि की गति का औसत है–तो भारत की प्रति-व्यक्ति आय को जापान की प्रति-व्यक्ति आय के मौजूदा स्तर तक पहुंचने में 137 वर्ष और न्यूजीलैंड की प्रति-व्यक्ति आय के मौजूदा स्तर तक पहुंचने में 205 वर्ष लग जायेंगे ।"

(ख) सरकार की राय में यह वक्तव्य भ्रामक है, क्योंकि आयोजन का सारा उद्देश्य ही, वृद्धि की गति को बढ़ाना है । इसलिए वृद्धि की पिछली गतियों के आधार पर अनुमान लगाना उचित नहीं है ।

(ग) भारत के प्रतिनिधि ने, एशिया और दूर पूर्व सम्बन्धी आर्थिक आयोग के सम्मेलन में इस विषय में अपने विचार प्रकट किये थे और उसके परिणामस्वरूप आयोग की समीक्षा से ये अंश हटाये जाने हैं ।

Debentures of Land Mortgage Banks

***1121. Shri D. S. Patil :**
Shri Tulsidas Jadhav :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have imposed restrictions on the Reserve Bank of India, Life Insurance Corporation and State Bank of India in the matter of investments in the debentures of Land Mortgage Banks;

(b) whether it is also a fact that the Reserve Bank of India has fixed a ceilin on the debentures of Land Mortgage Banks;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) its effects on credit for agricultural production?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri B. R. Bhagat) : (a) and (b). Government has not imposed any restrictions, but as a result of discussions at a meeting held in the Reserve Bank of India at Bombay on the 28th February 1966, it was decided that the total face value of the debentures floated by all the land mortgage banks in 1966-67 should be Rs. 35·75 crores, and that the total subscriptions to these debentures by the Reserve Bank, the State Bank and its subsidiaries and the Life Insurance Corporation should be of the order of Rs. 18·70 crores. The Reserve Bank has indicated, however, that if the land mortgage banks are in a position to issue further debentures, without additional support from these institutions, there will be no objection to a suitable revision of the programme.

(c) and (d). In view of the fact that the resources available to the Reserve Bank, the State Bank and its subsidiaries and the Life Insurance Corporation are limited, it has not been possible for the Reserve Bank to formulate a more ambitious programme. It is not possible to indicate at this stage the extent to which agricultural production may be affected, as a result of the reduction in the investment, which was otherwise envisaged, but this may not, perhaps, be very considerable.

चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए रुसी सहायता

*1122. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये रूसी सहायता प्राप्त करने के बारे में हाल ही में बातचीत होती रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के लिये अब तक कितनी सहायता मिलने की सम्भावना है ;

(ग) क्या किसी रूसी प्रतिनिधि-मण्डल ने हाल ही में भारत का दौरा किया था ; और

(घ) यदि हां, तो उस के साथ हुई, बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ की सरकार भारत की चौथी पंचवर्षीय आयोजना के लिए सहायता देने के प्रश्न पर, विचार कर रही है ।

(ख) आशा है कि सोवियत संघ का एक प्रतिनिधि-मण्डल इस सम्बन्ध में शीघ्र ही भारत आयेगा। सहायता किस रूप में होगी, कितनी होगी और किन शर्तों पर दी जायगी, ये बातें सोवियत प्रतिनिधि-मण्डल से बातचीत करके तय की जानी हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

गन्दी बस्तियां हटाने के कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय सहायता

*1123. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने गन्दी बस्तियां हटाने के कार्यक्रम के लिये राज्य सरकारों को सहायता देने सम्बन्धी पद्धति को उदार बना दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी हां ।

(ख) गंदी बस्ती सफ़ाई परियोजना की अनुमोदित लागत का 75 प्रतिशत ($37\frac{1}{2}$ प्रतिशत ऋण के रूप में तथा $37\frac{1}{2}$ प्रतिशत सहायता के रूप में) से $87\frac{1}{2}$ प्रतिशत (50 प्रतिशत ऋण के रूप में तथा $37\frac{1}{2}$ प्रतिशत सहायता के रूप में) केन्द्रीय सहायता बढ़ा दी गयी है । पुरानी पद्धति के अन्तर्गत 25 प्रतिशत के स्थान पर राज्य सरकारें स्थानीय निकाय शेष $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत सहायता की व्यवस्था करेंगी ।

राज्यों में सिंचित भूमि की प्रतिशतता

*1124. **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि महाराष्ट्र, गुजरात, मैसूर और राजस्थान में सिंचित भूमि की प्रतिशतता सबसे कम है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका इन राज्यों में सिंचित क्षेत्र में वृधि करने के लिये एक विशेष कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार है ; और

(ग) उसकी मुख्य बातें क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां । मध्य प्रदेश में भी प्रतिशतता कम है ।

(ख) और (ग) : चौथी और पांचवी योजना अवधि के दौरान नई परियोजनाओं को मंजूर करत समय इन राज्यों के सिंचित क्षेत्रों में वृद्धि करने की आवश्यकता पर ध्यान रखा जायेगा ।

कुतरने वाले जन्तु नाश सम्बन्धी समिति

*1125. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वारियर :
श्री वासुदेव नायर :
श्री प्रभात कार ।

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुतरने वाले जन्तु नाश सम्बन्धी समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण क्या हैं ; और

(घ) इन जन्तुओं पर काबू पाने के लिये सरल तरीके निकालने हेतु, जिन्हें किसान आसानी से प्रयोग में ला सकें, सरकार ने पहले क्या उपाय किये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पूरे आंकड़े एकत्र करने तथा समस्या के तत्स्थान अध्ययन करने के लिये समिति के सदस्यों को देश के विभिन्न स्थानों और संस्थाओं का निरीक्षण करना पड़ता है । ये निरीक्षण अभी अभी पूरे हुये हैं । सम्भवतया समिति अप्रैल, 1966 के अन्त तक अपनी रिपोर्ट दे देगी ।

(घ) जिंक फास्फाइड तथा कैल्सियम सायनाइड घूल की गंध वाली विषैली गोलियां देना घरों/भण्डारों/खेतों में चूहों के नियन्त्रण के प्रचलित उपाय हैं ।

विज्ञापनों के सम्बन्ध में नियम

*1126. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वित्त** मंत्री 11 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 154 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञापनों पर कर-मुक्त व्यय की सीमा निर्धारित करने के नियमों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो वे नियम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : जी, नहीं । दिनांक 27 अगस्त 1965 के भारत के गजट में प्रकाशित किये गये नियमों के प्रारूप पर जनता से और व्यापार तथा व्यवसाय संस्थाओं इत्यादि से सुझाव और टिप्पणियों के बहुत सारे पत्र प्राप्त हुए हैं । इन पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया है, और प्राप्त सुझावों और टिप्पणियों को दृष्टि में रखकर, सरकार संशोधित नियम बनाने पर विचार कर रही है ।

पथरातू क्षेत्र में उद्योग समूह

*1128. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में (दामोदर घाटी के एक अंग के रूप में) पथरातू क्षेत्र में एक उद्योग समूह स्थापित करने की योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार सरकार को भी बिजली बेचने के लिये एकमात्र अभिकरण के रूप में कार्य करने की सुविधा दी जायेगी यदि पश्चिम बंगाल सरकार की ऐसी ही मांग स्वीकार की गई ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां । बिहार सरकार पथरातू क्षेत्र में उद्योग की एक शृंखला स्थापित करने का विचार रखती है ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है और यदि यह प्राप्त होगा तो इस पर ध्यानपूर्वक विचार किया जायेगा ।

केरल के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिये मकान भत्ता आदि

3611. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के अराजपत्रित कर्मचारियों ने मांग की है कि उन्हें कम से कम 10 रुपए मकान भत्ता दिया जाये ;

(ख) क्या उन्होंने यह अनुरोध भी किया है कि महंगाई भत्ता निर्वाह व्यय सूचकांक पर आधारित होना चाहिए ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : केरल सरकार के कर्मचारियों के कुछ सेवा संघों ने अनुरोध किया है कि कम से कम 10 रुपया मकान किराया भत्ता दिया जाय और महंगाई भत्ता की दरें निर्वाह-व्यय-सूचक अंक पर आधारित होनी चाहिएं ।

(ग) इन अनुरोधों को स्वीकार करना सम्भव नहीं हुआ है ।

Leprosy Control Centres in Maharashtra

3612. Shri D. S. Patil :
Shri Kamble :

Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of Leprosy Control Centres functioning in Maharashtra State at present;

(b) the number of patients for whom arrangements have been made in the centres;

(c) the total amount of loans or grants given by the Central Government to these centres during 1965-66; and

(d) the amount out of these loans and grants utilised by the centres during the above period?

The Minister of Health and Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) At present 26 Leprosy Control Units, 232 Survey, Education and Treatment Centres and 6 centres under Voluntary Agencies working in the field of leprosy, are functioning in Maharashtra under the National Leprosy Control Programme.

(b) Maharashtra being a moderately endemic State, each Leprosy Control Unit, Survey Education and Treatment Centre and a centre under the Voluntary Agencies in that State is at present catering to about 1600, 270 and 1500 patients respectively on an average.

(c) & (d). The Central assistance amounting to Rs. 22·43 lakhs was released to the Government of Maharashtra during 1965-66 for the control of various diseases including leprosy. According to the existing procedure for the release of Central assistance, allotment of funds is not made scheme-wise but the grant-in-aid is sanctioned at the end of each financial year for broad groups or categories of health schemes including the scheme for the control of leprosy. Apart from this, a sum of Rs. 32·253 has been given as grant-in-aid to the voluntary agencies working in the field of leprosy in Maharashtra in the year 1965-66. As the Central assistance has been given for a group of schemes, the exact amount out of it, spent by the State Government on the Leprosy Control Programme during the year 1965-66 is not known.

Development of Maharashtra

3613. Shri D. S. Patil :
Shri Kamble :

Will the Minister of **Planning** and **Social Welfare** be pleased to state :

(a) the amount allocated to the Government of Maharashtra during 1965-66 for development of that State and the amount spent so far; and

(b) the amount proposed to be allocated to that State for this purpose during 1966-67?

The Minister of Planning and Social Welfare (Shri Asok Mehta) : (a) The approved Annual Plan Outlay for 1965-66 was Rs. 121·45 crores. The figures of actual expenditure incurred during the year are not yet available.

(b) The approved Annual Plan Outlay for 1966-67 is Rs. 120·3 crores.

Housing advance to Central Government Employees in Maharashtra

3614. Shri D. S. Patil :
Shri Kamble :

Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of applications received from the Central Government employees in Maharashtra from February, 1965 till to date for constructing houses;

(b) the number of applications sanctioned by Government so far; and

(c) the total amount of loan granted to them during the above period?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) 67.

(b) 28.

(c) Rs. 2,84, 950.

Aid for Slum Clearance Schemes in Maharashtra

3615. Shri D. S. Patil :
Shri Kamble :

Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to state :

(a) the total amount actually paid to the Government of Maharashtra in 1965-66 for Slum Clearance Schemes; and

(b) the amount proposed to be given to that Government for this purpose in 1966-67?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) Rs. 96·00 lakhs.

(b) Rs. 105·00 lakhs.

प्लास्टिक सर्जरी

3616. श्री राम हरख यादव : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्लास्टिक सर्जरी सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसंधान कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) प्लास्टिक सर्जरी में अनुसंधान से सम्बन्धित आरम्भ की गई अनुसंधान परियोजनाओं और संस्थाओं के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या अमरीकी विशेषज्ञों के सहयोग से बम्बई में टाटा प्लास्टिक सर्जरी विभाग में कोई अनुसंधान एकक स्थापित किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

केरल में निर्धारित आय-कर

3617. **श्री प० कुन्हन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1963-64 और 1964-65 में केरल में आय-कर के रूप में कुल कितनी रकम वसूल की जानी थी; और

(ख) उक्त अवधि में आय-कर की कितनी रकम वसूल की गई ?

वित्त मंत्री (श्री सचीन्द्र चौधरी) : (क)

	1963-64	6.78 करोड रुपये
	1964-65	6.72 करोड़ रुपये
(ख)	1963-64	3.54 करोड़ रुपये
	1964-65	3.89 करोड़ रुपये

केरल में पन-बिजली परियोजनाएं

3618. **श्री अ० व० राघवन :**

श्री वारियर :

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कुट्टीयाडी, शोलायार समरीगिरी तथा इडीक्की पन-बिजली परियोजनाओं पर ठेकेदारों द्वारा 10 लाख तथा इससे अधिक लागत के पूरे किये जा चुके कार्यों का ब्योरा क्या है ?

(ख) इन कार्यों में से प्रत्येक काम की अनुमानित लागत कितनी है और उनके लिए दिए गए टेण्डरों में से सब से कम कितनी-कितनी राशि के टेण्डर थे और प्रत्येक मामले में टेंडर देने वाले लोगों के नाम क्या थे ;

(ग) क्या सबसे कम राशि वाले टेंडरों को स्वीकार किया गया था और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण थे ; और

(घ) प्रत्येक परियोजना के पूर्ण हो चुके कार्यों पर, पृथक-पृथक, अनुमानित लागत से कुल कितना अधिक व्यय हुआ है ?

सिचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) : जानकारी एकट्ठी की जा रही है और उसे यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

Assistance to Maharashtra for Monopoly Procurement

3621. **Shri Tulsidas Jadhav :**

Shri D. S. Patil :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Central Government had given an assurance to the Maharashtra State that it will provide finances for monopoly procurement and purchase of Jowar and Paddy;

(b) the amount of funds asked for by the Government of Maharashtra for the said monopoly procurement and purchase; and

(c) the amount of funds given to the Government of Maharashtra?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) Yes, Sir.

(b) Rs. 15 crores.

(c) A limit of Rs. 5 crores has already been sanctioned. This will be increased to Rs. 10 crores or to some other suitable figures, depending on the availability of funds from other sources to the State Government or the State Cooperative Bank

केरल राज्य बिजली बोर्ड

3622. श्री वासुदेवन नायर :

श्री वारियार :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य बिजली बोर्ड के पास इस समय कितनी स्वचालित गाड़ियां (वैन) लारियां; ट्रैक्टर ट्रैक्टर ट्रेलर तथा सड़क कुटने वाले इंजन है ;

(ख) प्रत्येक मद पर अब तक कुल कितना धन लगाया जा चुका है; और

(ग) प्रत्येक श्रेणी की गाड़ियों का नवीनतम पुस्त मूल्य क्या है तथा वह मूल्य किस किस तारिख से है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उसे यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

केरल राज्य बिजली बोर्ड

3623. श्री वारियर :

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य बिजली बोर्ड तथा उसके कर्मचारियों के बीच वर्तमान बोर्ड के कार्यकाल के दौरान कितने झगड़े हुए तथा कितने मुकदमे चलाये गये ;

(ख) वर्तमान बोर्ड के पहले वाले बोर्ड के कार्यकाल के दौरान झगड़ों तथा मुकदमों की संख्या क्या थी; और

(ग) यदि इन मामलों में कोई वृद्धि हुई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उसे यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

सबारिगिरी पन-बिजली परियोजना

3624. श्री वासुदेवन नायर :

श्री वारियार :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सबारीगिरी पन-बिजली परियोजना में बिजली की सुरंग (पावर टनल) बनाने का काम टेंडर मंगाने के पश्चात दो फर्मों को—प्रत्येक को एक भाग—सौंपा गया था;

(ख) सबसे कम मूल्य का टेंडर देने वाले को सारा काम न सौंपने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि अनुभव न होने के कारण सब से कम मूल्य का टेंडर देने वाले को कार्य का केवल एक भाग ही सौंपा गया था;

(घ) क्या यह भी सच है कि सबसे कम मूल्य का टेंडर देने वाले ने अपना कार्य दूसरे ठेकेदारों की तरह दक्षता से तथा समय पर पूरा कर दिया था और उसने काम बहुत कम लागत पर किया था; और

(ङ) यदि दोनों ठेकेदरों की दरों में कोई अन्तर है तो वह क्या है और प्रत्यकी की कुल राशि में कितनी अन्तर है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) से (ङ) : राज्य सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और उसे यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

केरल राज्य बिजली बोर्ड

3625. श्री वासुदेवन नायर :

श्री वारियर :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार तथा केन्द्रीय सरकार ने केरल राज्य बिजली बोर्ड के कार्यों को केरल के महालेखापाल द्वारा सामान्य जांच पड़ताल तथा प्रतिजांच से, जैसा कि सरकारी विभागों के सम्बन्ध में की जाती हैं, मुक्त कर रखा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) : केरल राज्य बिजली बोर्ड बिजली (संभरण) अधिनियम, 1948 के उपबन्धों के अन्तर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। इसका कार्य संचालन इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा किया जाता है। अधिनियम की धारा 69 बोर्ड के लेखा तथा परीक्षण से सम्बन्धित है। बोर्ड का लेखा भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षण के साथ सलाह करके केरल सरकार द्वारा निर्धारित एक फार्म में रखा जाता है। लेखे का परीक्षण भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे वह इस बारे में अधिकार दे दे, किया जाता है, बोर्ड के लेखे तथा परीक्षण के लिये अधिनियम के अधीन बनाई गई प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

केरल राज्य बिजली बोर्ड के अधीन ठेके

3626. श्री वासुदेवन नायर :

श्री वारियर :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल राज्य बिजली बोर्ड के अधीन दिये जाने वाले सभी ठेकों के मामले में सर्वोच्च अधिकार बोर्ड को प्राप्त होता है अथवा किसी प्रकार के ठेकों के मामले में, ठेका देने से पहले राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होती हैं; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के ठेकों के लिये सरकार की मंजूरी पहले लेनी होती है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) : बोर्ड के अधीन कार्यों के सम्बन्ध में सभी ठेकों को देने के लिये केरल राज्य बिजली बोर्ड ही अन्तिम प्राधिकार है। किसी ठेके को देने के पूर्व अथवा पश्चात राज्य सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

Printing and Circulation of Currency Notes

3628. Shri M. L. Dwivedi : **Shri Subodh Hansda :**
Shri S. C. Samanta : **Shri Bhagwat Jha Azad :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the value of currency notes of different denominations printed at the Security Press and thrown into circulation during the year 1965 in comparison to the year 1964;

(b) the reasons for the shortage of security paper for currency notes and the steps being taken in supply it ;

(c) when this shortage would be removed ;

(d) whether it is proposed to establish a factory for manufacturing security paper for currency notes in India ; and

(e) if so, when it is likely to be established ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) The value of currency notes of all denominations printed by the India Security Press was Rs. 1598·8 crores in 1965 and Rs. 1325·8 crores in 1964.

The value of notes in circulation was Rs. 2867 crores at the end of December, 1965, and Rs. 2654 crores at the end of December, 1964.

(b) to (e). The demand for currency and bank note paper is at present fully met by imports and the amount of foreign exchange made available is the only factor governing the availability of security paper. To avoid dependence on imports for this essential commodity, a Security Paper Mill is being established at Hoshangabad, which is expected to go into production in the latter part of 1966. When the Mill is in full production, by about the beginning of 1968, there will be no shortage of currency note paper.

Gold Smuggling

3629. Shri M. L. Dwivedi : **Shri Subodh Hansda :**
Shri S. C. Samanta : **Shri Bhagwat Jha Azad :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state the number of cases of gold smuggling and hoarding of gold not declared under the Gold Control Rules detected by the Customs and Excise Departments during the year 1965 and the value of gold confiscated as a result thereof?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : The information asked for is as follows :—

(i) *Gold smuggling :—*

(a) Number of cases detected	570
(b) Value of gold confiscated	Rs. 63,68,047

(ii) *Gola Hoarding not declared :—*

(a) Number of cases detected . .	248
(b) Value of gold confiscated . . .	Rs. 3,32,972

प्रति व्यक्ति आय

3630. **श्री मधु लिमये :**

डा० राम मनोहर लोहिया :

श्री किशन पटनायक :

क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सांख्यिकी संस्था द्वारा राज्यवार तथा जिलावार प्रति व्यक्ति आय के संबंध में मूल तथा नियंत्रक आंकड़े एकत्र करने में विलम्ब के क्या कारण है ;

(ख) इन आंकड़ों को एकत्र करने के आदेश कब जारी किये गये थे; और

(ग) सांख्यिकी संस्था द्वारा ये आंकड़े कब तक एकत्र तथा संकलित किये जायेंगे ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 6040/66।]**

Compulsory Insurance Scheme for People of Border Areas

3631. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether any proposal is under consideration to formulate a compulsory insurance scheme for the people of border areas;

(b) if so, when the final decision is likely to be taken; and

(c) the expenditure to be incurred by Government under that scheme ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) No, Sir.

(b) & (c). Do not arise.

Raids by Income-tax Officers in U. P.

3632. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Income-tax Officers of Uttar Pradesh raided on the 7th December, 1965, a firm of Dildarpur near Varanasi, U. P. and the houses of its four share-holders and recovered foodgrains worth four lakhs of rupees and 340 tolas of gold ornaments worth more than Rs. 50,000; and

(b) if so, the action being taken by Government in this regard?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) Yes, Sir. A raid did take place during the course of which, gold ornaments weighing 341 tolas and silver utensils weighing 10 seers (both valued at about Rs. 50,000) were found, besides foodgrains worth over Rs. 4 lakhs, Hundis worth Rs. 90,000 and certain books of accounts and documents. However, only Hundis and the books of accounts and documents were seized.

(b) Investigations are in progress.

विद्यार्थियों के लिये विदेशी मुद्रा

3633. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, जिन्हें 1 जनवरी, 1966 से 31 मार्च, 1966 तक की अवधि में विदेशों में अध्ययन के लिये विदेशी मुद्रा दी गई है ;

(ख) उन्हें उक्त अवधि में कुल कितनी विदेशी मुद्रा दी गई ; और

(ग) क्या उपरोक्त अवधि में किन्हीं विद्यार्थियों को विदेशी मुद्रा देने से इन्कार किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क)

जारी किये गये नये परमिट . . .	263
पहले से विदेशों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिये दोबारा जारी किये गये परमिट	638
(ख) नये परमिट	17,60,097 रुपये
दोबारा जारी किये गये परमिट . . .	36,24,737 रुपये

(ग) जी हां। 109 आवेदन-पत्र अस्वीकृत किये गये थे।

लेखनसामग्री कार्यालय के कर्मचारियों का अभ्यावेदन

3634. **श्री कोल्ला वेंकैया** :

श्री म० ना० स्वामी :

श्री लक्ष्मी दास :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के लेखन सामग्री कार्यालय के कर्मचारी संघ से उनके कार्यालय का विकेन्द्रीकरण किये जाने के परिणामस्वरुप उनकी सेवा अधिकारों आदि के बारे में हाल ही में कोई अभ्यावेदन विचारार्थ प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन किन किन मुख्य बातों के बारे में है ; और

(ग) उनके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी हां।

(ख) अभ्यावेदन मुख्यतः भारत सरकार के लेखन सामग्री कार्यालय, कलकत्ता के पुनर्गठन के संबंध में सरकारी निर्णय लागू किये जाने के विरोध में है।

(ग) मुद्दों पर सरकार के द्वारा समुचित रूप से विचार किया गया किन्तु विधिमान्य नहीं पाया गया।

भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यालय के कर्मचारी

3635. **श्री घुलेश्वर मीना** :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के कार्यालय में इस समय सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की क्या संख्या है; और

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) 459।

(ख) अनुसूचित जातियों के कर्मचारी 31

अनुसूचित आदिम-जातियों के कर्मचारी 2

चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा तथा प्रशिक्षण

3636. श्री घुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में "चिकित्सा संबंधी शिक्षा तथा प्रशिक्षण" शीर्षक के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा आरम्भ की गई योजनाओं के लिये राजस्थान सरकार को कुल कितनी राशि दी गई थी; और

(ख) उक्त अवधि में राजस्थान सरकार ने इस राशि का किस प्रकार उपयोग किया ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) "चिकित्सा शिक्षा तथा प्रशिक्षण" शीर्षक के अन्तर्गत 1965-66 में राजस्थान सरकार को केन्द्र समर्थित योजनाओं के लिये 12.04 लाख रुपये का एक अनुदान अस्थायी रूप में मंजुर किया गया, जिसका हिसाब-किताब अन्तिम रूप से 1966-67 में राज्य सरकार द्वारा बतलाये गये वास्तविक खर्चे के आधार पर बैठाया जायेगा।

(ख) इस रकम को राजस्थान सरकार ने "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा" और "संकटकालीन स्थिति के कारण मेडिकिल कालेजों में प्रवेश संख्या में वृद्धि" नामक योजनाओं पर खर्च किया।

राजस्थान में सिंचाई और बिजली की क्षमता

3637. श्री घुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि 1966-67 में राज्य की बिजली और सिंचाई क्षमता का विकास करने के लिये अतिरिक्त सहायता दी जाये;

(ख) यदि हां, तो 1966-67 में जिन योजनाओं के लिये अतिरिक्त सहायता मांगी गई है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में उत्पादन शुल्क की वसुली

3638. श्री घुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1965-66 में आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से कितना राजस्व वसूल किया गया ?

वित्तमंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : 1965-66 (केवल फरवरी 1966 तक) के लिये अपेक्षित सूचना नीचे दी गयी है:—

आन्ध्र प्रदेश

फरवरी 1966 तक वसुल राजस्व

	(रुपये 000)
सकल	37,11,81
वापसी	46
शुद्ध	37,11,35

2 मार्च 1966 महीने के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

उड़ीसा में पिछड़े क्षेत्रों का विकास

3639. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में उड़ीसा को अपने पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये कितनी रकम दी गई; और

(ख) उक्त अवधि में राज्य सरकार ने इस रकम का किस प्रकार उपयोग किया ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) 1965-66 या किसी अन्य वर्ष के दौरान पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये किसी प्रकार का अलग से नियतन नहीं किया गया। पिछड़े क्षेत्रों का विकास समस्त राज्य योजना का एक भाग है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा के लिये ऋण

3640. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1965–66 में केन्द्रीय सरकार ने उडीसा सरकार को उसकी मार्गोपाय स्थिति को सुधारने के लिये कोई ऋण दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : उड़ीसा सरकार के लिए जून 1965 में 8.25 करोड़ रुपये के एक अर्थोपाय अग्रिम की मंजूरी दी गयी थी और यह रकम पिछला वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले ही वसूल कर ली गयी थी।

उड़ीसा में कुष्ठ नियंत्रण केन्द्र

3641. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) इस समय उड़ीसा में कितने कुष्ठ नियंत्रण केन्द्र हैं;

(ख) इन केन्द्रों में कितने रोगियों के लिये व्यवस्था की गई है; और

(ग) 1965-66 में केन्द्रीय सरकार ने इन केन्द्रों को कुल कितना ऋण अथवा अनुदान दिया था ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा में इस समय 20 कुष्ठ नियंत्रण एकक और 24 सर्वेक्षण, शिक्षा एवं उपचार केन्द्र चल रहे हैं ।

(ख) उपर्युक्त कुष्ठ नियंत्रण एककों में 25,609 कुष्ठ रोगियों तथा सर्वेक्षण शिक्षा एवं उपचार केन्द्रों में 2174 रोगियों के उपचार की व्यवस्था की गई है । प्रत्येक कुष्ठ नियंत्रण एकक तथा सर्वेक्षण, शिक्षा एवं उपचार केन्द्र के अन्तर्गत क्रमश: 1.50 लाख तथा 15 से 20 हजार तक की आबादी आती है ।

(ग) विभिन्न रोगों के नियंत्रण के लिए 1965-66 में उड़ीसा सरकार को 19.48 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई थी । केन्द्रीय सहायता देने की वर्तमान पद्धति के अनुसार धन का नियतन योजनावार नहीं किया जाता बल्कि प्रत्येक वर्ष के अन्त में स्वास्थ्य योजनाओं के व्यापक समूहों या श्रेणियों के लिए सहायकानुदान मंजूर किया जाता है । इन में कुष्ठ नियंत्रण की योजना भी सम्मिलित है । अत: राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के लिये उड़ीसा सरकार को ठीक ठीक कितनी रकम केन्द्रीय सहायता के रूप में दी गई इसके बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

कुष्ठ मंत्रणा समिति

3642. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या कुष्ठ मंत्रणा समिति की बैठक जनवरी, 1966 में हैदराबाद में हुई थी;

(ख) क्या कुष्ठ रोगियों के अस्थायी प्रवेश के लिये कुष्ठ निवारण संस्थाओं तथा केन्द्रों को प्रति व्यक्ति अनुदान देने के बारे में कोई निर्णय किया गया है;

(ग) 1965 में विदेशी सहायता तथा विशेषज्ञ मंत्रणा से देश में कितनी संस्थाएं खोली गई और उनमें कितनी पूंजी लगाई गई; और

(घ) कुष्ठ रोगी खुले आम भिक्षा न मांगें इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) कोई निर्णय नहीं कया गया है किन्तु कुष्ठ सलाहकार समिति ने कुष्ठ संस्थाओं तथा केन्द्रों को कुष्ठ रोगियों के अस्थायी अस्पताली इलाज के लिये प्रति व्यक्ति अनुदान देने के प्रश्न पर विचार किया और यह सुझाव दिया कि इस प्रस्ताव को विचारार्थ राज्य सरकारों को भेज दिया जाये ।

(ग) विदेशी सहायता से 1965 में देश में कोई नयी कुष्ठ संस्था नहीं खोली गई है ।

(घ) भिखारी कुष्ठ रोगियों को पकडने के लिये कुष्ठ अधिनियम, 1893, रेलवे अधिनियम 1890 और राज्यों के म्यूनिसिपल अधिनियमों में कानूनी शक्तियां निहित हैं । भले ही भिखारी कुष्ठ रोगियों की समस्या को हल करने के लिये यह वैधानिक व्यवस्था पर्याप्त समझी जाती है परन्तु आर्थिक और प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण इन उपबन्धों को अभी तक तेजी से लागू नहीं किया गया है । सरकार इस विषय पर ध्यान दे रही है ।

बम्बई में पकड़ा गया सोना

3643. श्री किन्दर लाल :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई पुलिस ने जो 2 जनवरी, 1966 को छापा मारा था उसमें दक्षिण बम्बई के एक व्यापारी के निवास-स्थान से 3,11,000 रुपये के मूल्य का 2,110 तोले सोना और 21,000 रुपये नकद पकड़े थे; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) बम्बई पुलिस अधिकारियों ने 2 जनवरी, 1966 को बड़े सवेरे दक्षिण बम्बई में एक व्यापारी के निवास-स्थान की तलाशी ली और 2,110 तोले विदेशी मार्का सोना तथा 21,005 रुपये की मुद्रा पकड़ी । पकड़े गये सोने का अन्तर्राष्ट्रीय दर पर मूल्य 1,31,875 रुपये है ।

(ख) जिस आदमी के निवास-स्थान से यह माल पकड़ा गया था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया । मामले की जांच-पड़ताल अभी चल रही है ।

दौलश्वरम् एनीकट

3644. श्री कोल्ला वेंकैया:

श्री म० ना० स्वामी :

श्री लक्ष्मीदास :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न देशों के इंजीनियरों के एक दल ने दौलेश्वरम् एनीकट का अध्ययन किया है;

(ख) इस दल में किन-किन देशों के इंजीनियर थे; और

(ग) उन्होंने किन किन बातों का अध्ययन किया और इन बातों पर इंजीनियरों की क्या राय थी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आन्ध्र प्रदेश के नगरपालिका क्षेत्रों में पानी की सप्लाई

3645. श्री कोल्ला वेंकैया : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने पानी की कमी वाले नगरपालिका क्षेत्रों को ताजे पानी की सप्लाई की व्यवस्था करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार से कोई प्रार्थना की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि मांगी है; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) 21,83,600 रुपये ।

(ग) आन्ध्र प्रदेश को सूखे से पीड़ित क्षेत्र नहीं माना गया है । राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव दीर्घकालीन स्वरूप के हैं जिनकी अर्थ व्यवस्था राष्ट्रीय जल पूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के सामान्य ढांचे के अन्तर्गत की जा सकती है और उन पर इसी प्रकरण में विचार किया जा रहा है ।

माइक्रो-हाइडल योजनाएं

3646. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में कितनी माइक्रो-हाइडल योजनाएं पूरी की गई ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में 12 लघू पन बिजली स्कीमें पूर्ण हो गई हैं ।

Water Supply to M.Ps' Flats in South Avenue, New Delhi

3647. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that water supply in M.Ps' flats in South Avenue was suspended on the 13th February, 1966 without any prior notice to M.Ps; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) Due notice was given in the Press regarding the restricted hours of water supply from the 11th to the 15th February, 1966.

(b) Does not arise.

Electric supply to M.Ps' Flats in South Avenue, New Delhi

3648. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that electric supply in M.Ps' flats in South Avenue was suspended on the 13th February, 1966 without any prior notice to M.Ps; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister for Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed) : (a) & (b). For attending to an urgent work in the line supplying power to the M.Ps' flats in the South Avenue and the adjoining areas, which could not be postponed, a shutdown was pre-arranged by the N.D.M.C. for the 13th February, 1966 between 09·40 to 17·00 hrs. A press notification to that effect was also issued to some of the leading news papers but it was unfortunately not published. On completion of the work at 15·00 hrs. when the line was switched on, the Circuit breaker controlling supply to the M.P's flats tripped off indicating a separate fault which was located later to be due to the collision of Vehicle No. DLF 7863 with Pole No. 12 at the South Avenue. This was attended to and the supply resumed at 18·00 hrs.

रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में सैक्टर 5 में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय

3649. **श्री बागड़ी** : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली के सेक्टर 5 में बहुत से क्वार्टर अलाट हो जाने के बावजूद वहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सवा का कोई भी औषधालय नहीं खोला गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) वहां कब औषधालय खुले जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग) : अब तक प्रस्तावित स्थान उपयुक्त नहीं है । उपयुक्त स्थान उपलब्ध होते ही रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में एक अतिरिक्त केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना डिस्पेन्सरी खोल दी जायेगी ।

महाराष्ट्र में बिजली उत्पादन

3650. **श्री द्वारका दास मंत्री** : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र की बिजली उत्पादन करने की वर्तमान क्षमता क्या है;

(ख) क्या वर्ष 1966-67 में उक्त राज्य में बिजली की मात्रा में वृद्धि करने के बारे में कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) महाराष्ट्र की वर्तमान प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता 1304 मेगावाट है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) 1966-67 के दौरान प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता में निम्नलिखित वृद्धियां करने की संभावना है :

कोयला, चरण-2	225 मैगावाट
पारस ताप केन्द्र	625 मैगावाट
	2875 मैगावाट

त्रिवेन्द्रम आयुर्वेदिक केन्द्र

3651. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री 4 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 96 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम आयुर्वेदिक केन्द्र का स्तर ऊंचा कर के उसे स्नातकोत्तर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्था का रूप देने के प्रस्ताव पर अब विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला; और

(ग) इस के कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग) : इस विषय पर राज्य सरकार से परामर्श करके अभी विचार किया जा रहा है ।

औषधों में मिलावट

3652. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 दिसम्बर, 1965 से प्रत्येक राज्य तथा संघ राष्य क्षेत्र में औषधों में मिलावट के मामलों में कितने मुकदमें चलाये गये;

(ख) कितने मामलों में दण्ड दिया गया; और

(ग) प्रत्येक मामलें में क्या दण्ड दिया गया ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) 15 दिसम्बर, 1965 से असम के एक मामले को छोड़कर किसी राज्य अथवा संघ क्षेत्र में औषधों में मिलावट के बारे में कोई मुकदमा नहीं चलाया गया ।

(ख) यह मामला अभी चल रहा है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन आदि

3653. **श्री लखमू भवानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन आदि संसार में सब से कम हैं तथा विभिन्न श्रेणियों के बीच का अन्तर भी बहुत अधिक है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस अन्तर को कम करने के लिये सरकार विचार कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) संसार के दूसरे देशों के सरकारी कर्मचारियों के वेतन आदि के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की आय के बीच के अन्तर को बराबर कम किया गया है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

Issue of Circulars in Hindi by Central Excise Department

3654. Shri Jagdev Singh Siddhanti : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the date by which the arrangements for issuing Hindi version of the standing orders and circulars relating to the Central Excise Department along with the English version will be finalised; and

(b) the reason for the delay in the matter ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) & (b). The information is being collected and will be laid on the table of the Lok Sabha.

केरल में नगरपालिकाओं तथा नगर निगमों की आय

3655. **श्री वासुदेवन नायर :**

श्री वारियर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने मोटरगाडियों पर कर से प्राप्त होने वाली आय में से नगरपालिकाओं तथा नगर निगमों को अधिक भाग देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन स्थानीय निकायों को 1966-67 में कितनी अतिरिक्त राशि दी जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

बम्बई में छापे

3656. डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रवर्तन निदेशालय तथा अन्य एंजेन्सियों ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के कितने मामलों में मुकदमें चलाये; और

(ख) 1965-66 में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कानपूर में कितने मामलों में दन्ड दिलाया गया ?

वित्त मंत्री (श्री शचींद्र चौधरी) : (क) और (ख) : इस सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

पंजाब में ग्राम जल संभरण योजनाएं

3657. श्री दलजीत सिंह : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में अनुमोदन के लिये कुछ ग्राम जल संभरण योजनाएं भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो उन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) 1965-66 में पंजाब सरकार ने भारत सरकार की स्वीकृति के लिये 93 ग्राम जल पूर्ति योजनायें भेजीं। 1966-67 में अभी तक कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) : अपेक्षित सूचना परिशिष्ट में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6041/66।]**

पंजाब में बिजली उत्पादन

3658. श्री दलजीत सिंह : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब की बिजली उत्पादन करने की वर्तमान क्षमता क्या है ;

(ख) क्या वर्ष 1966-67 में उक्त राज्य में बिजली की मात्रा में वृद्धि करने के बारे में कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई व विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) पंजाब की वर्तमान प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता 610.4 मैगावाट है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) 1966-67 के दौरान प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता में निम्नलिखित वृद्धियां करनेकी संभावना है :—

भाखडा दक्षिण तट (पंजाब का भाग) . . .	408.0 मैगावाट
इन्द्रप्रस्थ बिजली घर (पंजाब का भाग) . .	62.5 मैगावाट
डीजिल सैट	1.0 मैगावाट
	471.5 मैगावाट

1956 में युनेस्को के प्रतिनिधि मंडल के लिये होटल का निर्माण

3659. श्री विश्राम प्रसाद : क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 1956 में हुए युनेस्को के सम्मेलन में आये हुए प्रतिनिधियों के लिये रहने की व्यवस्था करने हेतु एक होटल बनाने के लिये होटल मालिकों की एक फर्म को जमीन दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो उस करार की शर्तें तथा निबंधन क्या थे; और

(ग) इमारत कब बन कर तैयार हो गई थी ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी हां ।

(ख) (i) 5.46 एकड़ का एरिया 2 लाख रुपये प्रति एकड़ तथा 0.76 एकड़ का एरिया 1 लाख रुपये प्रति एकड़ पर आवंटित किया गया था ।

(ii) फर्म को प्रीमियम का 10 प्रतिशत तुरंत जमा करना था तथा शेष 90 प्रतिशत 15 जनवरी, 1956 से पूर्व जमा करना था । जो राशि 15 दिसम्बर, 1955 के बाद बगैर भुगतान के रह गयी उस पर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज लिया जाना था ।

(iii) सामान्य सुविधाओं जैसे कि लाउन्ज, खाने का कमरा, मनोरंजन के स्थाम, स्वीमिंग पूल, दूकाने इत्यादि के स्थान के अतिरिक्त होटल में 200 कमरों की व्यवस्था होनी थी जिसमें कि कर्मचारियों के स्थान, बैन्डस तथा मनोरंजन आदि के लिये आवश्यक स्थान शामिल था । 31 मार्च 1956 तक कम से कम 100 कमरे तैयार हो जाने थे । इस शर्त को पूरा करने की गारंटी के रूप में फर्म को 25,000 रुपये की सीक्योरिटी जमा करनी थी जो कि इस शर्त के पूरा न होने पर जब्त की जा सकती थी ।

(iv) फर्म को नगर पालिका के अन्य उप-नियमों (बाच-लाज) का भी पालन करना था । प्रीमि- अथवा भूमि किराये के कारण बगैर अतिरिक्त प्रभार लिए होटल की इमारत को 109 फीट की ऊंचाई तक बनाने की अनुमति थी ।

(ग) जुलाई, 1965 में ।

पंजाब से दिल्ली को मिलने वाली बिजली की दरें

3660. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने भाखड़ा से दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को मिलने वाली बिजली की दर बढ़ा दी है ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं। अभी तक दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम ने पंजाब सरकार अथवा पंजाब राज्य बिजली बोर्ड से भाखड़ा स बिजली की सप्लाई की दरों में वृद्धि के सम्बन्ध में कोई पूचना प्राप्त नहीं की है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

Ban on preparation of Khoya

3661. Shri Rameshwaranand : Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether any demand was made to ban the preparation of Khoya, from milk in various States to make milk available to the soldiers during the Indo-Pak. conflict and whether it was enforced;

(b) if so, whether this ban is still in force even after the conflict has ended and the names of the States where it is still in force; and

(c) when this ban is likely to be lifted ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) Government are not aware of any demand having been made in the various States to ban the preparation of Khoya from milk to make milk available to the soldiers during the Indo-Pak. conflict.

(b) & (c). Some States have banned the use of milk for the preparation of Khoya, Rubree, Panir and sweets in order to conserve milk for liquid consumption.

त्रिपुरा में निम्न आय वर्ग आवास योजना

3662. **श्री दशरथ देव:** क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में निम्न आय-वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत त्रिपुरा संघ राज्यक्षेत्र के लिए कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई थी ;

(ख) अब तक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है ; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान त्रिपुरा में आदिम जाति के कितने लोगों को ये ऋण दिये गये ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकासमंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) 8.53 लाख रुपये ।

(ख) 8.03 लाख रुपये ।

(ग) 9 ।

Poppy Cultivation

3663. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that poppy is grown on a large scale in Kotah, Rajasthan; and

(b) if so, the amount allocated by the Central Government for increasing its production?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) Area under poppy cultivation in Kotah Opium Division during three years ending 1965-66 has been as hereunder :—

Opium Year	Area under poppy cultivation (in hectares)
1963-64	1,995
1964-65	1,835
1965-66	1,235

While the above figures indicate that poppy cultivation in Kotah area is not insignificant, it cannot at the same time be deemed to be on a 'large scale'.

(b) Licences for cultivation of poppy are issued by the Central Government to the poppy cultivators. The cultivators are required to deliver tee entries produce to the Government at a pre-determined price. No amount is allocated by the Central Government specifically for increasing the production of opium. In order, however, to provide incentive to poppy cultivators for increasing the average yield of opium, higher prices are paid to those cultivators who account for yields above the prescribed minimum. In addition cash prizes are also given to those cultivators who have secured very high yields of opium.

New Medical Colleges

3664. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have announced that many medical colleges will be opened in the country during this year;

(b) if so, the names of the places where they will be opened; and

(c) when they are likely to start?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) to (c). 30 new medical colleges have been proposed to be opened in the draft Fourth Five Years Plan. The matter of locating new Medical Colleges can only be considered when the Plan has been finalised.

रामकृष्णपुरम नई दिल्ली में पानी की सप्लाई

3665. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 मार्च, 1966 को बिना पूर्व सूचना रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली को पानी की सप्लाई बन्द कर दी गई थी जिस से वहां के निवासियों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी ;

(ख) क्या इस मामल में कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) 22 मार्च, 1966 को रामकृष्णपुरम को पानी की सप्लाई बन्द नहीं की गई थी। 'सी' पावर स्टेशन से वाटर वर्क्स पम्पिंग स्टेशन को बिजली की सप्लाई बन्द हो जाने के कारण वहां पानी सीमित घण्टों में दिया गया। इन क्षेत्रों में पानी के दबाव कम रहने की सूचना जनता को समाचार पत्रों और आकाशवाणी के माध्यम से 22 और 23 मार्च, 1966 को दे दी गई थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

Accommodation for Private Institutions

3666. Shri R. S. Tiwary : Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of private instituions which applied to Government for office accommodation during the last four years;

(b) the number of institutions out of them provided with office accommodation together with the dates of allotment; and

(c) if no allotment has been made, the reasons therefor?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) 110.

(b) and (c). Twelve private institutions were allotted accommodation from time to time as indicated below :—

Year	No. of institutions
1962	1
1963	2
1964	8
1965	1

The institution to which accommodation was allotted in 1962 and one of the two institutions to whom allotments were made in 1963 have since vacated the accommodation provided to them. No accommodation was allotted in the remaining 98 cases as there is an acute shortage of accommodation in the general pool.

केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्था

3667. श्री मोहन नायक : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री 19 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 395 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्था ने काम करना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस में विलम्ब होने के क्या कारण है ; और

(ग) इस में कब तक काम आरम्भ हो जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) से (ग) : यह विषय अभी विचाराधीन है। हाल ही के संकट और आर्थिक कठिनाइयों के कारण बहुत ही योजनायें जिनमें यह योजना भी सम्मिलित है आगे नहीं बढ़ाई जा सकीं। परिस्थिति सुधरने पर इस पर आगे कार्यवाही की जायेगी।

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद

3668. श्री मोहन नायक : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री 30 अप्रैल, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2735 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) एक केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् स्थापित करने के बारे में विभिन्न सरकारी समितियों, जैसे दवे समिति, होम्योपैथी जांच समिति, तथा योजना आयोग द्वारा की गई सिफारिश को अब तक क्रियान्वित नहीं करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार सभी देसी चिकित्सा प्रणालियों के लिए एक ही केन्द्रीय परिषद् बनाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो उस की स्थापना में कितना समय लगेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग) : देश भर में होम्योपथी शिक्षा का एक जैसा स्तर किये जाने के बाद ही केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् बनाने के प्रश्न पर विचार किया जाना था। यह कार्य अभी तक नहीं हो पाया है तथापि सरकार आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अतिरिक्त, जिसके लिये एक परिषद् पहले से ही बनी हुई है, अन्य सभी चिकित्सा पद्धतियों के लिए एक मिली जुली परिषद् बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है। ऐसी परिषद् कब तक बनाई जा सकेगी यह कहना अभी सम्भव नहीं है।

केरल में बिजली कर्मचारियों के लिये मजुरी बोर्ड

3669. श्री वारियर :

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बिजली कर्मचारी संघ द्वारा 24 मार्च, 1966 को एर्णाकुलम में आयोजित की गई अपनी बैठक में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के लिये एक मजूरी बोर्ड बनाने

1964 से बोनस के बारे में समझौते और निर्वाह व्यय सूचकांक में हुई वृद्धि के अनुसार महंगाई भत्ते में वृद्धि के बारे में पास किये गये संकल्पों की ओर दिलाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) : जानकारी इकटठी की जा रही है और उसे यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

केरल राज्य बिजली बोर्ड

3670. श्री अ० व० राघवन :

श्री वारियर :

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल राज्य बिजली बोर्ड के एक ठेकेदार द्वारा दायर की गई लघु याचिका पर उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया है कि बोर्ड ने मुख्य ठेके को विनियमित करने वाले नियम नहीं बनाये हैं तथा ऐसे नियम बनाना आवश्यक होगा ;

(ख) उच्च न्यायालय की इस टिप्पणी पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) : अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न है ।

विवरण

केरल राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि एक ठेकेदार ने केरल के उच्च न्यायालय में एक अभियोग (ओ० पी० 3321/64) चलाया था जिस में थेनी रेलवे स्टेशन से पंबा और अनाथोडे के विभागीय स्टोर तक सीमेंट ले जाने के लिये बोर्ड द्वारा दिये गये ठेके पर आपत्ति उठाई गई थी। आवेदक ने यह प्रार्थना भी की कि एक आज्ञा पत्र भी जारी किया जाए जिसमें बोर्ड को कहा जाए कि वे बिजली (संभरण) अधिनियम की धारा 79(छ) के अन्तर्गत विनियम बनाएं। दोनों ओर के तर्क-वितर्क को सुनने और रिकार्ड देखने के पश्चात् उच्च न्यायालय ने इस मुकदमे को खारिज कर दिया। नियमों को तैयार करने के लिये कोई अनिवार्य निदेश नहीं था परन्तु फैसला देते समय एक सुझाव दिया गया था कि बोर्ड के मार्गदर्शन के लिये इस विषय पर अधिनियम होने चाहियें और बोर्ड इस विषय पर अधिनियम बनाए।

बिजली (संभरण) अधिनियम, 1948 की धारा 79 के अन्तर्गत बोर्ड अब व्यापक रूप में विनियमों को तैयार करने के लिये कार्यवाही कर रहा है।

केरल राज्य बिजली बोर्ड

3671. श्री अ० व० राघवन : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार अथवा केरल बिजली बोर्ड ने बोर्ड के कार्य संचालन, उसके चेयरमैन लेखा-कार्य प्रभारी, सदस्य तथा सचिव की शक्तियों के बारे में नियम बनाये हैं अथवा आदेश जारी किये हैं या संकल्प पारित किय हैं ;

(ख) क्या ऐसे नियम, आदेश, विनियम अथवा संकल्प सभा पटल पर रखे जायेंगे ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) में निर्दिष्ट नियम अभी नहीं बनाये गये हैं, तो उपरोक्त भाग (क) में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस समय कैसे काम कर रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) केरल सरकार द्वारा तैयार किये गये केरल राज्य बिजली बोर्ड नियम, 1957, केरल राज्य बिजली बोर्ड (बैठकें) विनियम, 1957 और बोर्ड द्वारा पारित संकल्पों की प्रतियां, जिनमें बोर्ड के अध्यक्ष, लेखा-कार्य सदस्य और सचिव के अधिकार दिये हुये हैं, संसद के पुस्तकालय में रखी जा रही हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में भूमि सुधार

3672. श्री अ० व० राघवन : क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग द्वारा परिकल्पित भूमि सुधारों को क्रियान्वित करने के लिए केरल की सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) पूरे केरल भूमि सुधार अधिनियम को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) पूरे अधिनियम को लागू करने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या समस्त अधिनियम को लागू करने के लिए कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित की गयी है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (घ) : भूमि सुधारों को कार्यान्वित करने के लिए केरल सरकार ने निम्नलिखित कार्रवाई की है :

बिचौलियों की समाप्ति

एदावगै जागीरों और पट्टाझी देवस्वम् और जेन्मी पट्टेदारी को समाप्त करने के लिए विधि निर्माण किया जा चुका है। एदावगै जागीरों को समाप्त करने का कानून पूरी तरह क्रियान्वित किया जा चुका है। जेन्मी पट्टेदारी की समाप्ति के कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। पट्टाझी देवस्वम् भूमि सम्बन्धी कानून को संशोधित किया गया है जिससे कि उसे लागू करने में आसानी हो और आशा है यह कार्य एक वर्ष में पूरा हो जाएगा।

श्रीपदम् और श्रीपन्दरवगै जागीरों को समाप्त करने का कानून विचाराधीन है।

पट्टेदारी सुधार

केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963 में लगान को नियमित करने, पट्टों को स्थायी करने और काश्तकारों को स्वामित्व अधिकार देने की व्यवस्था शामिल है। सितम्बर, 1965 तक लगान निर्धारित करने के लिए 68,000 अर्जियां प्राप्त हुई हैं जिनमें से 48,000 अर्जियों का निपटान भूमि ट्रिब्यूनलों द्वारा किया जा चुका है। निपटान में शीघ्रता लाने के लिये कुछ भूमि ट्रिब्युनों के अधिकार क्षेत्रों में परिवर्तन किये गये हैं।

पट्टे स्थायी किये गये हैं किन्तु निजी खेती के लिये पुनर्ग्रहण के सीमित अधिकार दिए गए हैं। पुनर्ग्रहण के लिए प्रार्थनापत्र इस अधिनियम के लागू होने के बाद एक वर्ष के अन्दर, अर्थात् 1 अप्रैल, 1965 तक दे देने थे। पुनर्ग्रहण के लिए केवल 9,000 प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से 961

का निपटान किया गया और उनमें केवल 159 मामलों में पुनर्ग्रहण की स्वीकृति दी गई है। यह स्वीकृति केवल छोटे भूस्वामियों को उन्हें अपनी जोत के एक भाग के लिए दी गई है।

सितम्बर, 1965 तक स्वेच्छा से स्वामित्व अधिकार खरीदने के लिए 930 प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से 150 का निपटान कर दिया गया था।

जब उचित लगान निर्धारित करने और पुनर्ग्रहण के अयोग्य क्षेत्रों को निश्चित करने का काम सामान्यतया पूरा हो जाएगा तब काश्तकारों को अपुनर्ग्रहणीय क्षेत्रों के बारे में स्वत: स्वामित्व अधिकार हस्तान्तरित करने संबंधी उपबन्ध को लागू किया जाएगा।

जोतों की सीमा का निर्धारण

ऐसे हस्तान्तरणों को रोकने की व्यवस्था लागू कर दी गई है जिनसे किसी व्यक्ति के पास निर्धारित सीमा से अधिक भूमि पहुंच रही हो। जोतों की सीमा से संबंधित अन्य उपबन्धों को लागू करने पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

राजस्थान नहर योजना से सिंचाई का लक्ष्य

3573. श्री तन सिंह : क्या **सिंचाई** तथा **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 के लिये राजस्थान नहर योजना से सिंचाई का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था ;

(ख) लक्ष्य पूरा न होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) ऐसे कारण दोबारा उत्पन्न न हों, इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) : 1965-66 के वर्ष के लिये राजस्थान नहर परियोजना से सिंचाई का आरंभिक लक्ष्य 1.29 लाख एकड़ था। इस परियोजना के लिये धन की कमी के कारण बाद में इस लक्ष्य को घटा कर 80,000 एकड़ कर दिया गया। इस परियोजना के लिये पर्याप्त धन को सुनिश्चित करने के लिये सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

Burning of Currency Notes in Reserve Bank

3674. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Shri Bade :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of currency notes which are released after circulation and are burnt daily by the Reserve Bank of India; and

(b) the total number of such notes burnt during the last three years?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) & (b). The average number of notes cancelled for destruction daily, on the basis of last twelve months figures, is 43,96,470. Information about the number of notes actually burnt daily and during the last 3 years is not readily available, but is being collected.

रामकृष्णपुरम में पानी की सप्लाई

3575. **श्री वारियर :**

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय रामकृष्णपुरम् में पानी की सप्लाई की अत्यधिक कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो पानी की पर्याप्त सप्लाई के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) दिल्ली और नयी दिल्ली में पीने के पानी की सामान्य कमी है। इस कारण तथा पानी के नलों में अपर्याप्त दबाव होने के कारण अधिकतर बस्तियों में विशेष रूप से गर्मियों में पानी की सप्लाई प्राय: अनियमित हो जाती है। इस समय रामकृष्णपुरम के I से IV तक, VII तथा XIII के पड़ौस के क्वार्टरों पर कब्जा है। इन क्वार्टरों में, सुबह और शाम के कुछ घंटों तक पानी की सप्लाई सीमित कर दी गयी है।

(ख) और अधिक पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए पानी के संग्रह तथा बूस्टिंग की व्यवस्था की जा रही है।

रामकृष्णपुरम् के क्वार्टर

3676. **श्री वारियर :**

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामकृष्णपुरम में स्थित फ्लेटों के अलाटी वहां मकान लेने के बारे में काफी अनिच्छा प्रदर्शित कर रहे हैं ;

(ख) क्या वहां मकान लेने वाले व्यक्ति वहां से आवास-परिवर्तन के इच्छुक हैं ;

(ग) अलाटियों ने वहां क्या-क्या कमियां बताई हैं ; और

(घ) इन कमियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी नहीं।

(ख) सामान्य आवंटन नियमों के अन्तर्गत सभी अधिकारी अपनी पसंद की बस्ती में निवास स्थान परिवर्तन के लिए एक बार आवेदन करने के हकदार हैं। रामकृष्णपुरम फ्लैट के आवंटियों के साथ साथ उन आवंटियों से भी जिन्हें कि अन्य बस्तियों में आवंटन दे दिया गया है, परिवर्तन के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) : फ्लैटों में कोई खामी सरकार के नोटिस में नहीं लाई गयी है।

केरल में बिजली की कमी

3677. **श्री वारियर :**

श्री वासुदेवन नायर :

श्री प० कुन्हन :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंचाई और विद्युत राज्य मंत्री ने केरल राज्य में बिजली की कमी की समस्या का अध्ययन करने के लिये मार्च, 1966 के अन्तिम सप्ताह में उस राज्य का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) मद्रास ग्रिड के जरिये मैसूर की शरावती परियोजना से यथा संभव अधिकाधिक ऊर्जा की सहायता प्राप्त करने के लिये प्रबन्ध कर दिये गये हैं। (1) अप्रैल, 1966 के मध्य तक शोलाभार (18 मैगावाट) और सागिरिगिरि (50 मैगावाट) के प्रथम उत्पादन यूनिटों को चालू करने में और (2) शरावती से अतिरिक्त थोक बिजली को सुविधापूर्वक लेने के लिये मैसूर में मंगलोर और केरल में कसारगोड के बीच 110 के० वी० पारेषण सम्पर्क के निर्माण में तेजी लाने के लिये भी कार्यवाही की गई है।

नेफा में बिजली उत्पादन

3678. श्री रिशंग किशिंग :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री जं० ब० सिं० बिस्ट :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री 25 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न सं० 1310 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में नेफा में बिजली उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये क्या अतिरिक्त योजनाएं आरम्भ की गई हैं ;

(ख) वहां पर कितने अतिरिक्त नगरों तथा गांवों में बिजली की व्यवस्था की गई ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये निर्धारित लक्ष्य में कितनी कमी रही ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में डीजल द्वारा उत्पादन की 29 अतिरिक्त स्कीमें और एक लघु पन बिजली स्कीम आरम्भ की गई थी।

(ख) 13 अतिरिक्त बस्तियों में बिजली लगाई गई थी।

(ग) तीसरी योजना में 1142 किलोवाट प्रतिष्ठापित करने और 20 बस्तियों में बिजली लगाने के लक्ष्य के प्रति 792 किलोवाट का प्रतिष्ठापन किया गया है तथा 13 बस्तियों में बिजली लगाई गई है। प्रतिष्ठापन के लिये प्रस्तावित 46 डीजल के उत्पादन सैटों में से 14 सैट कठिन और दुर्गम क्षेत्रों में अभी भेजे जाने वाले हैं।

उकई परियोजना

3679. श्री जसवन्त मेहता : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण उकई परियोजना की प्रगति काफी धीमी रही है ;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र से प्रार्थना की है कि अपेक्षित मशीनों का आयात करने के लिये विदेशी मुद्रा नियत करने हेतु तुरन्त कार्यवाही की जाये ; और

(ग) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा नियत करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) मिट्टी हटाने के साज-सामान के आयात के लिये अन्य बातों के साथ साथ विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में कठिनाइयों के कारण निर्माण कार्य अनुसूचित समय से पीछे रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) 379.27 लाख रुपये की विदशी मद्रा फ्रांसीसी, बैलजियम तथा डच ऋणों, अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था द्वारा दिये गये परियोजना निरपेक्ष ऋणों इत्यादि के अधीन उकाई परियोजना के लिये दे दी गई है। साज सामान और दूसरी मदों के लिये, जिन पर लगभग 84 लाख रुपयों की विदशी मुद्रा लगेगी, प्रार्थना पत्र कार्यवाही के विविध चरणों में हैं।

चैकोस्लोवाकिया से पूर्व-विरचन (प्रिफैब्रिकेटिंग) संयंत्र का आयात

3680. **श्री रामपुरे :**

श्री फिरोडिया :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चैकोस्लौवाकिया से पूर्व-विरचन संयंत्र का आयात करने का एक प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसको कब स्थापित किया जायेगा ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली की इन्द्रपुरी कालोनी का विकास

3682. **श्री रामपुरे :** क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री 24 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2741 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्द्रपुरी कालोनी के निवासियों से मकान-कर वसूली किया जा रहा है हालांकि वहां शुद्ध पेय जल, मल-नालियों तथा पक्की सड़कों जैसी मूल सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : इन्द्रपुरी कालोनी के निवासियों से मकान कर लिया जा रहा है। यह दिल्ली नगर निगम द्वारा दी जा रही संरक्षण आदि जैसी आम सेवाओं के लिये है। इन्द्रपुरी जो एक प्राइवेट कालोनी है, के निवासियों से कोई पानी का कर नहीं लिया जा रहा है। पानी की सप्लाई, नालियां, सड़कें आदि जैसी आन्तरिक सेवाओं की व्यवस्था करना कालौनाइज़र का काम है। निगम इन आन्तरिक सेवाओं की व्यवस्था का काम करने के लिये तैयार है बशर्ते वहां की जायदादों के मालिक निर्धारित दर पर विकास शुल्क जमा कर दें।

आसाम को केन्द्रीय सहायता

3683. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वित्त** मंत्री 18 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 877 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार की केन्द्रीय सहायता संबंधी मांगों पर इस बीच विचार किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बीच उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : राज्य की आयोजना के लिए अधिक केन्द्रीय सहायता देने के, राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार करने के बाद यह फैसला किया गया है कि पहले बतायी गयी 20.40 करोड़ रुपये की रकम के अलावा 3 करोड़ रुपये की और रकम उसे दे दी जाय।

डी० आई० जेड० क्षेत्र आदि में सरकारी क्वार्टर

3684. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी० आई० जड० क्षेत्र तथा मिन्टो रोड और जफर मार्ग के बीच के क्षेत्र के काफी क्वार्टर जिन्हें इस कारण तोड़ दिया गया था कि उनकी निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी थी, उनका पुनर्निर्माण नहीं किया जा रहा है और उनके स्थान पर दुमंजिले क्वार्टर नहीं बनाये जा रहे हैं जैसी कि मूल रूप से योजना बनाई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उनके स्थान पर क्वार्टरों के निर्माण के सम्बन्ध में नवीनतम योजना क्या है ; और वहां प्रत्येक टाइप के कितने क्वार्टरों का निर्माण किया जायेगा ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) से (ग) : दिल्ली के मास्टर प्लान के अनुसार डी० आई० ज़ेड० तथा मिन्टो रोड क्षेत्रों के पुनर्विकास की योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है। फिर भी, इन क्षेत्रों के छोटे खंडों में क्वार्टरों को बनाने की आयोजना बनायी जा चुकी है तथा मंजूरी दी जा चुकी है।

डी० आई० ज़ेड० क्षेत्र में पुराने क्वार्टरों को गिरा कर उनके स्थान पर अभी तक टाईप I के 720 क्वार्टर बनाये जा चुके हैं। इस क्षेत्र में और क्वार्टर बनाने की आयोजना तैयार की जा रही है।

मिन्टो रोड क्षेत्र में कुछ क्वार्टर गिरा दिये गये थे तथा टाईप I से IV तक के 616 क्वाटरों के बनाने की मंजूरी दी गयी थी। किन्तु कार्य शुरू नहीं किया जा सका, क्योंकि दिल्ली नगर निगम ने आयोजना को अनुमोदित नहीं किया है। अतएव निगम की आपत्तियों को दूर करने के लिए फिर से अभिन्यास तथा क्वार्टरों की डिज़ाइन बनाई जा रही है।

1966-67 के बजट में नये कार्यों के लिए निधियों की बिल्कुल व्यवस्था न होने के कारण कार्यक्रम को धक्का लगा है।

तुंगभद्रा उच्चस्तरीय नहर (हाई लैवल केनाल) प्रक्रम 2

3685. श्री किन्दर लाल :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर (हाई लैवल केनाल) के दूसरे प्रक्रम को स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर अनुमानतः कुल कितना व्यय होगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) यद्यपि स्कीम को तकनीकी तौर पर स्वीकार कर लिया गया है, दूसरे चरण के प्राक्कलनों को अभी स्वीकृति नहीं मिली है।

(ख) दूसरे चरण के प्राक्कलन मैसूर सरकार से अभी प्रतीक्षित है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

राजस्थान-पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तानियों द्वारा मवेशियों की चोरी

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Sir, I gave notice of this Calling Attention Notice on the 6th April whereas it is being taken up to-day. The Calling Attention Notice loses all importance if it is taken after so many days.

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में जांच कर रहा हूं कि ऐसा किस कारण से हुआ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement there on :

"Resported Intrusions by Pakistanis in Bikaner and Ganganagar districts of Rajasthan and lifting of cattle in large numbers".

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : राजस्थान सरकार से अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्थान-पाकिस्तान सीमा पर बीकानेर और गंगानगर जिलों में पाकिस्तानियों द्वारा 27 बार मवेशियों की चोरी की गई है। यह सूचना ताशकन्द घोषणा पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद की अवधि के बारे में है।

बीकानेर जिले में 12 घटनाएं हुई है जिनका ब्यौरा दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6042/66।]**

सूचना मांगी गई अवधि के दौरान बीकानेर जिले में घुसपैठ का कोई मामला नहीं हुआ है।

राजस्थान सरकार से अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार गंगानगर जिले में मवेशियों की चोरी की 15 घटनाएं हुई हैं जिनमें 4 ऊंटनियां, 17 ऊंट, 14 बैल, 1 गऊ, 1 भैंस, 2 गधे, 150 भेड़ और 5 बकरी शामिल है। इनका ब्यौरा दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6042/66।]**

इस अवधि में लूट-पाट की कोई घटना नहीं हुई है।

गंगानगर जिले में पाकिस्तानियों द्वारा अवैध प्रवेश के 10 मामलों के समाचार मिले है और सम्बन्धित व्यक्तियों का चालान कर दिया गया है।

सभी मामलों में 'ग्राउन्ड रुल्स' 1960 के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रों के पुलिस अधीक्षकों ने पश्चिमी पाकिस्तान के पुलिस अधीक्षकों से कड़ा विरोध प्रकट किया है। इस अवधि के दौरान हुई चोरी की अनेक घटनाओं के बारे में वैदेशिक कार्य मंत्रालय में भी भारत स्थित पाकिस्तानी उच्च आयोग से कड़ा विरोध प्रकट किया है।

राजस्थान से लगता हुआ भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र एक रेतीला इलाका है जहां बहुत ही कम आबादी है। वहां पर इस तरह की चोरी की छुटपुट घटनाओं का पता लगाना बड़ा कठिन है।

सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की सरकार को पूर्ण जानकारी है। 25 मार्च, 1966 से राजस्थान में भारत-पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा का भार सीमा सुरक्षा दल ने संभाल लिया है और मवशियों के बड़ी संख्या में उठाए जाने की घटनाओं को रोकने के लिये वे पर्याप्त उपाय कर रहे है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I want to know the contents of the letter of protest sent to the Pakistani High Commissioner in India. What reply has been received from Pakistan?

Shri Vidya Charan Shukla : No reply has yet been received.

Shri Bade (Khargone) **:** The Indian Officers taken into custody by the rebels in Mizo Hills are still being kept in East Pakistan and incidents of thefts by Pakistanis have again appeared in the Ganganagar and Bikaner districts of Rajasthan. Are these not sufficient indications that Pakistan has been violating the Tashkent Declaration? If so, have Government told the Pakistani Government that there would be serious consequences of these incidents and that they amount to violation of the Tashkent Declaration by Pakistan?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जैसा मैने कहा इन घटनाओं के बारे में कड़ा विरोध पत्र भेजा गया है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते है कि क्या यह ताशकन्द घोषणा का उल्लंघन नहीं है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : जी हां। हमने उन्हें यह बता दिया है।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : पाकिस्तानी गंगानगर तथा बीकानेर में कहां तक घुस आये थे और हमारी सीमा सुरक्षा पुलिस कहां पर तैनात थी?

श्री विद्याचरण शुक्ल : ये चोर है जो पाकिस्तान की ओर से आते है। ये पाकिस्तानी सेना के सदस्य अथवा इस प्रकार के व्यक्ति नहीं होते है। ये तस्कर होते है जो सीमा की दूसरी ओर से आते है। ये कुछ फर्लांग अथवा एक-दो मील तक अन्दर घुस आते है। इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। ये केवल सीमा सम्बन्धी घटनाएं है। हमारे क्षेत्र में घसपैठ की छुटपुट घटनाएं ही हुई है।

श्री दी० चं० शर्मा : यदि वे नियमित रूप से तस्करी करने वाले लोग है तो यह ताशकन्द घोषणा का उल्लंघन कैसे हो सकता है? यह एक घुसपैठ का मामला है और माननीय मंत्री इस बात से मुकर रह है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : जैसा मैंने कहा यह घसपैठ का मामला नहीं है। यह तस्करी तथा चोरी का मामला है। ये चोर मवेशियों की चोरी करने के लिये हमारे क्षेत्र में आये थे। उनमें से कुछ गिरफ्तार कर लिये गये और कुछ मवशी चोरी करके ल गये। एसे मामलों को घुसपैठ का मामला नहीं समझा जा सकता (**अंतर्बाधा**)

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। इन सभी बातों को कार्यवाही के वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा। (**अंतर्बाधाएं**)**

**कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री श्याम लाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : माननीय मंत्री ने कहा है कि इससे ताशकन्द घोषणा का उल्लंघन होता है। ऐसी स्थिति में तस्करों का प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ? यह स्पष्ट किया जाना चाहिये।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnore) : May I know whether any special arrangement has been made to check the increasing number of such incidents on the borders of Rajasthan, Bengal and Jammu and Kashmir after the Tashkent Agreement and if so, the nature thereof? May I also know whether this lodging of protests is just a routine matter?

Shri Vidya Charan Shukla : As I stated, the Border Security force has assumed charge of that area from 25th March. We have taken some special measures to check smuggling and thefts there. This is all that we can do there.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : May I know whether any Indo-Pak. meeting on the ministerial level is in the offing to discuss these violations of the Tashkent Agreement?

Shri Vidya Charan Shukla : There is yet no such proposal.

Shri Priya Gupta (Katihar) : The hon. Minister maintains that this is not a case of intrusion but only of smuggling. Still he says that it amounts to violation of the Tashkent Agreement. Has any information been received from the Pakistan's Government about the whereabouts of these thieves and smugglers?

Shri Vidya Charan Shukla : We have not received any reply from the Pakistan Government as yet. According to the Tashkent spirit both parties are to ensure the security of the border and to see that such incidents do not take place there?

Mr. Speaker : Hon. Members want to know as to how it amounts to violation of the Tashkent Agreement. Because smuggling is done by some individuals and is a quite separate case which can be dealt with by Government. No question of breach of Tashkent spirit is involved therein. When it is not a case of intrusion, as has been stated by the hon. Deputy Minister, how does it then violate the Tashkent Agreement?

Shri Vidya Charan Shukla : According to the Tashkent Agreement both the Governments are responsible for the security of their borders. Cases of thefts and smuggling also come under it and both the Governments should make endeavours to prevent such incidents. (**Interruptions**)**

Shri Buta Singh (Moga) : The arms supplied to the people of these areas of Rajasthan have been taken back by the State Government perhaps keeping in the view Tashkent Declaration. Will these arms be restored to them in view of the prevailing circnmstances so that they can defend themselves from such in truders?

Shri Vidya Charan Shukla : Border Security Force has now assumed charge of that area. Further action would be taken when it is considered necessary.

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री म० ह० भील (दोहद) : क्या राजस्थान सरकार ने राजस्थान के सीमा क्षेत्रो में रहने वाले लोगों से हथियार वापिस ले लिये हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मेरे पास यह जानकारी नहीं है। पृथक सूचना दिये जाने पर ही मैं यह जानकारी दे सकूंगा।

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) **:** May I know whether these thefts took place in day light or at night and what is the position of the villages affected by such thefts so far as their distance from the border is concerned?

Shri Vidya Charan Shukla : These thefts generally take place at night. I have not got detailed information now. If a separate notice is given, I shall give the information.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम तथा सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति, जो दिनांक 26 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 451 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 6034/66।**]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 37वां संशोधन नियम 1966 जो दिनांक 19 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 394 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 38वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 16 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 415 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6035/66।**]

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 395 की एक प्रति, जो दिनांक 19 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 6036/66।**]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

राजस्थान-पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तानियों द्वारा मवेशियों की चोरी—जारी

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : This Calling Attention is being replied after 8 days, even then information has not been gathered.

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : मैं भविष्य के लिये आप का विश्निचय जानना चाहता हूं । —

श्री शिकरे (मरमागोआ) : क्या आप माननीय मंत्री के उत्तरों से संतुष्ट हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यदि उनके पास जानकारी नहीं है, तो मैं उन्हें उत्तर देने के लिये बाध्य नहीं कर सकता । **(अन्तर्बाधाएं) ****

श्री रंगा (चित्तूर) : जब यह प्रश्न पूछा गया था तो क्या उन्हें पूरी जानकारी एकत्र नहीं करनी चाहिये थी ? यह प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है कि ये चोरियां आदि हमारे क्षेत्र में कितने मील अन्दर घुस कर की गई । माननीय मंत्री ने इसके लिये अलग से प्रश्न पूछने को कहा है । इस तरह हम कैसे अपना कार्य कर सकेंगे ? क्या यह उत्तर उचित है ?

अध्यक्ष महोदय : उनके पास इस समय यह जानकारी नहीं है । मैं उनसे यह जानकारी सभा पटल पर रखने के लिये कहूंगा । —

श्री हेम बरुआ : इससे पहले एक बार भारतीय राज्य क्षेत्र में चीनी घुसपैठ का उत्तर देते हुए एक माननीय मंत्री ने कहा था कि वे केवल तीन मीलअन्दर घुस आये थे । इससे सभा में हंगामा मच गया था और श्री कामत ने पूछा था कि एक इंच में कितने मील होते हैं । उस समय पीठासीन अधिकारी ने मंत्री महोदय को डांटा था और उनसे कहा था कि उन्ह इस तरह से उत्तर नहीं देना चाहिये था । इस समय मंत्री महोदय घुसपैठ के बारे में सही स्थिति नहीं बता सके हैं । मैं जानना चाहता हूं कि 'एप्रिशियबल पेनिट्रेशन' का अर्थ क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : उनके पास इस समय जानकारी नहीं है । मैं उनसे यह जानकारी सभा पटल पर रखने के लिये कहूंगा ।

---

30 मार्च 1966 की कार्यवाही के बारे में
RE : PROCEEDINGS OF 30TH MARCH 1966

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur) : I had given notice under rule 377......

Mr. Speaker : I have not given my consent, so he cannot raise it.

Shri Kishen Pattnayak : Because of your wrong decision we were detained throughout the country. It was not a decision by the House under rule 377.

Mr. Speaker : This decision cannot be debated here. I cannot allow him to proceed like this. Otherwise I will have to take action.......

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : You should not hold out threats so frequently. This is not proper.

Mr. Speaker : This is no question of any threat. I have repeatedly asked him to resume his seat.

Shri Madhu Limaye (Monghyer) : On a point of order.......

Mr. Speaker : There is no point of order. Even if it was a wrong decision, only the House can take any action. I cannot allow any hon. member to debate it now.

**कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के बारे में

RE : REPORT OF COMMITTEE OF PRIVILEGES

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : I want to raise a question of privilege about the order of business.....

Mr. Speaker : I have not given my consent to raise it. If the Deputy Speaker takes a decision while exercising his authority as Chairman of the Committee no point of privilege can be raised on that.

श्री कपूर सिंह : (लुधियाना) : यह अधिकार का उचित प्रयोग नहीं है। प्रश्न अवश्य ही उठाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह प्रश्न नहीं उठता। माननीय सदस्य मुझ से मेरे कमरे में बातचीत कर सकते हैं।

श्री कपूर सिंह : क्या विमत्ति टिप्पण सदस्यों को परिचालित नहीं किया जा सकता? इस बारे में सभा को निर्णय करने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : तो फिर विमत्ति टिप्पण देने का कोई ायदा ही नहीं है जबकि व प्रतिवेदन के साथ संलग्न हीं नहीं किये जाते हैं।

श्री कपूर सिंह : सभा से तथ्य नहीं छिपाये जाने चाहियें।

श्री ह० प० चटर्जी (नवद्वीप) : इसपर सभा में चर्चा होनी चाहिये, अध्यक्ष के चैम्बर में नहीं।

अध्यक्ष महोदय : सभापति को यह देखने का अधिकार है कि प्रतिवेदन के साथ संलग्न विमत्ति टिप्पण में जो बाते कहीं गई हैं व संगत हैं अथवा कोई असंगत अथवा अनुचित बात भी उसमें जोड़ दी गई है अथवा नहीं।

श्री कपूर सिंह : सभा के सामने यह चीज रखी जाये।

अध्यक्ष महोदय : यह सभापति के निर्णय पर निर्भर है।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : मैं काफी समय से विशेष।धिकार समिति का सदस्य रहा हूं और मुझे यह जान कर बड़ा आश्चर्य हुआ है कि एक माननीय सदस्य द्वारा दिया गया विमत्ति टिप्पण संलग्न नहीं किया जा रहा है। समिति के सदस्यों को सूचना दी गई थी कि ऐसा टिप्पण दिया जायेगा और मैंने समिति में कहा था कि हमें उस टिप्पण के विषय से अवगत कराया जाये अन्यथा हम अपनी राय नहीं बता सकेंगे। टिप्पण बहुत देर से आया जबकि हम निर्णय ल चुके थे। टिप्पण का प्रतिवेदन में उल्लेख है परन्तु वह सभा को उपलब्ध नहीं कराया गया है। यदि सभापति को यह अधिकार है कि वह उसे पूरे के पूरे टिप्पण को, जिसका प्रतिवदन में उल्लेख है, हटा सकता है हालांकि टिप्पण देने वाला सदस्य चाहता है कि उसे प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया जाये, तो ऐसी सूरत में हम किसी भी समिति में कार्य नहीं कर सकते क्योंकि अधिकांश मामलों में हमें विमत्ति टिप्पण देने होत हैं और हमारा यह कतव्य होता है कि हम सभा को उनसे सूचित करें। संसदीय लोकतंत्र में ऐसी स्थिति सहन नहीं की जा सकती।

श्री रंगा (चित्तूर) : मैं अपने माननीय मित्र श्री मुकर्जी से पूर्णतया सहमत हूं। आप अभी कोई निर्णय न लें अपितु विभिन्न दलों के नेताओं से बातचीत करके ही कोई निर्णय लें।

अध्यक्ष महोदय : मुझ कोई आपत्ति नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि वे 3 अथवा 3½ बजे मुझ से मिलें।

श्री कपूर सिंह : यह टिप्पण सदस्यों में परिचालित किया जाना चाहिये।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : विमत्ति टिप्पण के बिना भी समाचारपत्रों में समाचार निकल चुके हैं और इसका उद्देश्य पूरा हो चुका है। आपके चम्बर में नहीं अपितु सभा में ही इस चीज को दुरुस्त किया जाना चाहिये।

Dr. Ram Manohar Lohia : Kindly listen to me also for only a minute.

Mr. Speaker : Let me meet the leaders of the various parties first. He is also welcome there.

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : यह वाद-विवाद किस बारे में हो रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : पहले नेताओं से बातचीत हो जाये। यदि आवश्यक होगा, तो इस पर सभा में चर्चा की जायेगी..... (**अन्तर्बाधाएं**) **

Dr. Ram Manohar Lohia : At least allow me to say a few words. I will not take more than 2-3 minutes.

I want to draw your attention to page 114 of "May's Parliamentary Practice" I am reading out only a small portion of it.

"It is highly criminal, and a breach of the privilege of this House for any person whatever to make any alterations in papers or accounts presented to this House without the special order of the House".

Note the words "It is highly criminal and a breach of the privileges....."

In the Rules of Lok Sabha relating to Committee on privileges in para 2 it is given :

> "The chairman of the committee may omit or expunge words, phrases or expressions which in his opinion are unparliamentary, irrelevant or otherwise inappropriate from the note given by a Member for being appended to the report of the committee".

Only some words or phrases can be omitted, if this is to be our basis. From the judgement of Sardar Kapur Singh in regard to Shri Madhu Limaye's which runs into 15 or 16 pages, seven pages have altogether been omitted. Not a few words but full seven pages. So we should come to a decision so that this question can be discussed here. It is a criminal act, and the culprit should be brought to book. Either that judgement should have been incorporated in full or the whole of it could have been omitted. In the present circumstances, this matter should be immediately referred to the committee on privileges.

It is a different question altogether whether Sardar Kapur Singh is entitled to be a member of the Privileges Committee or not, but so long as he is a member,

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

any interference by the Secretariat or Chairman is improper. The Secretariat is violating the dignity of the House. I request you to sentd this question to the Privileges Committee forthwith.

सभा पटल पर रखे गये पत्र--जारी

PAPERS LAID ON THE TABLE—*Contd.*

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : मैं खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (दूसरा संशोधन) नियम, 1965 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो दिनांक 8 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 74 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-6037/66।]**

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

98 वां और 99 वां प्रतिवेदन

श्री अ० चं० गुह (बारसाट): श्रीमान्, मैं खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय (सामुदायिक विकास विभाग) के बारे में प्राक्कलन समिति का 98 वां और 99 वां प्रतिवेदन भाग 1 और भाग 2--प्रस्तुत करता हूं ।

अनुदानों की मांगें--जारी

DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय--जारी

Shri N. P. Yadav (Sitamarhi) : I want to draw the attention of Dr. K. L. Rao towards Baghmati river. Shri Alshori Prasad, Chief Engineer, North Bihar submitted a scheme regarding Baghmati river to the Central Water and Power Commission in 1963. Another Chief Engineer, who was appointed after him, submitted a revised scheme. The first scheme was more advantageous and that scheme should be implemented. The revised scheme should be ignored. The length of dam, according to the revised scheme is 105 miles. 105 villages will be affected by this scheme. The small houses constructed at the bank of the river will have to be demolished and this will affect thousands of poor people. The original scheme for the use of flood water should, therefore, be implemented. That scheme will benefit not only Sitamarhi sub-division but also Muzaffarpur, Motihari and Darbhanga.

There is no arrangement of a sluice gate in the dam constructed on Adhwara river. A sluice gate should be provided and arrangements should be made for construction of canals so that the land in that area could be irrigated. Sluice gates should also be provided for irrigation schemes on Kato and Kamtawa rivers. Baghmati and Adhwara river scheme will benefit millions of people living in that area covering two hundred miles.

[Shri N. P. Yadav]

There is a big difference in the rates charged for electricity in Northern and Southern Bihar. The rate should be brought at par. There is also difference in the rates of minor irrigation between Northern and Southern Bihar. In Southern Bihar 75 per cent subsidy is given by the Government whereas in Northern Bihar the rate of subsidy is 25 per cent.

Tube wells should also be provided in North Bihar. Till there is no provision for irrigation from Baghmati and Adhwara schemes, the Government should provide a tubewell in every village with a population of more than one thousand persons.

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : मैं सदस्यों का सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण तथा विद्युत विकास योजनाओं सम्बन्धी समस्याओं तथा कठिनाईयों की ओर ध्यान दिलाने के लिये आभारी हूं। सिंचाई, विद्युत और बाढ़ नियंत्रण न केवल देश की सामान्य समृद्धि के लिए बल्कि विशेष रूप से खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। आज यह देश की सब से महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कहना ठीक है कि मंत्रालय ने इस क्षेत्र में बहुत कम काम किया है और हमारे सामने समस्या की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुये अभी बहुत कुछ करना शेष है। परन्तु यह बात भी ध्यान में रखी जानी चाहिये कि हमारे समक्ष वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि का प्रश्न है। हमें सीमित साधनों के अन्तर्गत ही अपनी योजनायें बढ़ानी हैं। उसके अतिरिक्त यदि कोई राज्य सरकार उन के लिए निर्धारित की गई राशि में से कुछ राशि किसी विशेष काम के लिए व्यय करना चाहती है तो हम उनके निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करते। राज्य सरकारें हमारी सलाह के बावजूद सिंचाई पर कम से कम व्यय करना चाहती हैं। वे समझती हैं कि विद्युत पर अधिक व्यय की आवश्यकता है।

केन्द्रीय मंत्रालय का सम्बन्ध मुख्य रूप से तकनीकी सलाह देना है। हमारा कार्य यह बताना है कि कौन सी योजनायें देश के विकास के लिए लाभदायक होंगी। योजनाओं का निष्पादन राज्य सरकारों का काम है।

हमारे देश में 33.7 करोड़ एकड़ भूमि में कृषि की जाती है। उसमें से लगभग 11.2 करोड़ एकड़ भूमि ऐसी है जिसकी सिंचाई बड़ी और छोटी सिंचाई योजनाओं द्वारा की जा सकती है। 1950-51 में पहली योजना पर काम शुरू होने से पहले केवल 2.38 करोड़ एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती थी। हमारे सामने 8.8 करोड़ एकड़ भूमि को बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत लाने का काम था।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान हमने 4.4 करोड़ एकड़ भूमि को सिंचाई के अन्तगत लाने की योजनायें आरम्भ की है। इस लिए यह कहना ठीक नहीं है कि हम ने इन वर्षों में सिंचाई की उपेक्षा की है। हम चौथी और पांचवीं योजना के दौरान शेष 4.4 करोड़ एकड़ भूमि के लिए सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था कर सकेंगे।

यह कहा गया है कि देश में अन्न की कमी है। अन्न की कमी के कई कारण है। देश में लगभग 50 लाख टन अन्न की कमी है। धन उपलब्ध होने पर हम कुछ ही वर्षों में इतने क्षेत्र के लिए सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था कर सकेंगे कि 50 लाख टन फालतू अनाज उगाया जा सके।

हमने सिंचाई पर अब तक 1,260 करोड़ रुपये व्यय किये हैं और चौथी योजना के लिए और 810 करोड़ रुपय रखे गय हैं। यदि इस मंत्रालय को 1,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जायें तो हमारे लिए सभी राज्यों में योजनायें क्रियान्वित करना सम्भव है। इस प्रकार देश में खाद्यान्न की उपज में वद्धि हो सकेगी।

बाढों से प्राय: प्रति वर्ष देश के विभिन्न भा ों पर प्रभाव पड़ता है। जिन राज ों में बाढ़ें अधिक आती हैं उनमें आसाम, उत्त ी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में डेल्टा वाले क्षेत्र हैं। बाढ़ के कारण प्रति वर्ष बहुत हानि होती है। केवल आसाम में प्रति वर्ष लगभग 9 अथवा 10 करोड़ रुपये ी अन्न, सम्पत्ति, ढोरों और अन्य वस्तुओं की हानि होती है। बाढ़ के कारण लगभग 35 लाख टन अन्न नष्ट हो जाता है। इस लिए सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने के साथ साथ बाढ़ नियंत्रण की ोजनायें प्रारम्भ करना भी आवश्यक है।

जहां तक बाढ़ नियंत्रण के उपायों का सम्बन्ध है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 13.7 करोड रुपये, द्वितीय योजना के दौरान 49.15 करोड़ रुपये और तृतीय योजना के दौरान 85.6 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। आसाम, बिहार जैसे राज्य या पूर्वी उत्तर प्रदेश संसाधन सीमित होने के कारण बाढ़ नियंत्रण पर खर्च करने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसे मामलों पर हमें गम्भीरता से विचार करना होगा और इन त्रुटियों को दूर करने के लिए उपाय करने होंगे।

मैं मानता हूं कि हमारी योजना के मूल भूत सिध्दान्तों तथा आधारों में से एक यह है कि हम देश के विभिन्न भागों में असन्तुलन दूर करने के लिए प्रयास करे परन्तु कुछ राज्यों में उद्योग होने के कारण उन्हें संसाधन प्राप्त है और वे बिजली और सिंचाई पर अधिक खर्च कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मद्रास तथा महाराष्ट्र राज्य आसाम, जम्मू तथा काश्मीर तथा अन्य सीमित संसाधनों वाले राज्यों की तुलना में विद्युत पर अधिक व्यय कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप उनका प्रति व्यक्ति उपभोग बढ़ रहा है। इस असन्तुलन को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार उन क्षेत्रों के विकास के लिए योजना की अधिकतम सीमा के अन्दर नहीं बल्कि उस से अधिक खर्च करने के लिए तैयार है।

हमारी लगभग 4 करोड़ 10 लाख किलोवाट बिजली के विकास की सामर्थ्य हैं। तीन पंच-वर्षीय योजनाओं के दौरान हम 1,05,00,000 किलोवाट विद्युत का उत्पादन कर सके हैं। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उसके लिए भी संसाधनों की आवश्यकता है और उस सीमा के अन्दर रहते हुये हमने पिछले 10 या 15 वर्षों में जो काम किया है वह कम महत्वपूर्ण नहीं है।

हमारे देश के अधिकांश लोग ग्रामों में रहते हैं। इस लिए, हमें ऐसी योजनायें बनानी होंगी जिन से ग्रामों में रहने वाले अधिकांश लोगों को बिजली की सुविधायें प्राप्त हो सकें। विद्युत की आवश्यकता केवल कृषि में सहायता करने के लिए ही नहीं बल्कि ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए भी है। हमारे लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि जब पैदा की जाने वाली बिजली से अधिकांश रूप से ग्रामीण क्षेत्र का विद्युतीकरण किया जाये। पहली पंचवर्षीय योजना से पहले केवल 3,000 ग्रामों में बिजली थी। अब यह संख्या बढ़कर लगभग 55,000 हो गई है। ग्रामों की संख्या के विचार से तो यह वृद्धि केवल 9.1 प्रतिशत है परन्तु जनसंख्या की दृष्टि से 31 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसका कारण यह है कि विभिन्न ग्रामों में अलग अलग जनसंख्या होती है।

ग्रामों में बिजली देने के प्रश्न के साथ सस्ते दर पर बिजली देने का प्रश्न सम्बन्धित है। हाल ी में हमने निणय किया है कि 12 पैसे से अधिक की दर के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा सहायता दी जाये। दोनों 50-50 प्रतिशत सहायता देंगे। इस योजना के अधीन आगामी वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकार को 60 लाख रुपये की सहायता देनी होगी।

औद्योगिक प्रयोजनों के लिए दर में वृद्धि के बारे में प्रश्न यह है कि क्या उद्योग बढ़े दरों का बोझ सहन कर सकेंगे। माननीय सदस्यों को स्मरण रखना चाहिये कि जहां तक औद्योगिक विकास का सम्बन्ध है, हम आरम्भिक प्रक्रम पर है।

एक ही राज्य में भिन्न भिन्न दरों के बारे में प्रश्न यह है कि क्या राज्यों को दी जाने वाली बिजली के दर सभी प्रयोजनों के लिए एक से होंगे। उदाहरण के लिए, कृषि के लिए तथा उद्योग के लिए दरों में अन्तर है। यह किसी विशेष सार्थ द्वारा प्रयोग की जा रही बिजली की मात्रा और दूसरी ऐसी बातों पर निर्भर है। जब तक हम एक ऐसी पद्धति नहीं अपना सकेंगे जिस से देश में पदा

[श्री फखरुद्दीन अहमद]

होने वाली सारी बिजली को एक स्थान पर जमा किया जा सकें तब तक हम देश के सभी राज्यों में समान दर निर्धारित नहीं कर पायेंगे ।

मुझे खेद है कि डा० सिंघवी इस समय यहां नहीं है । उन्होंने सर्वेक्षण प्रतिवेदन से कुछ वाक्यों का उल्लेख किया था । परन्तु वे वाक्य मुझे न तो प्रतिवेदन में और न ही सारांश में मिले हैं । मैं नहीं जानता कि उन्हों ने यह कहां से लिये हैं ।

माननीय सदस्य ने कार्यक्रम मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर विद्युत परियोजनाओं के बारे में जो कहा है वह ठीक नहीं है क्योंकि उक्त प्रतिवेदन में विद्युत परियोजनाओं का उल्लेख नहीं किया गया है ।

सिंचाई की केवल मात्र परियोजनाओं का अध्ययन किया गया है । माननीय सदस्य डा० सिंघवी ने ककरापार परियोजना के बारे में विशेष परिस्थितियों का पहले ही उल्लेख कर दिया है । इस लिये मैं इस परियोजना के बारे में कुछ नहीं कहूंगा । तुंगभद्रा परियोजना को छोड़कर शेष छः परियोजनाओं की क्षमता 18 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई करने की है । मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि इसमें से 93% भूमि पर सिंचाई की जा रही है ।

राज्यों के पुनर्गठन के कारण तुंगभद्रा परियोजना के बारे में कुछ कठिनाई उत्पन्न हो गई है । इस परियोजना के लिये पर्याप्त धन नहीं मिला है । बायें किनारे की नहर पर क्षमता बनाने में कुछ देर हुई है । यह परियोजना शुष्क फसलों की सिंचाई के लिये बनाई गई थी । इस बारे में पर्याप्त अनुभव न होने के कारण हम इसका पूर्ण लाभ नहीं उठा सकेंगे । संकर बीजों का विकास किया जा रहा है इस लिये आशा है कि बायें किनारे की नहर द्वारा उत्पन्न की गई क्षमता का पूरा तथा शीघ्र लाभ उठाया जायेगा ।

विशेष सेवाओं के लिये केन्द्रीय जल, विद्युत आयोग की मांग काफी बढ़ गई है । यह आयोग न केवल मित्र देशों को ही तकनीकी सहायता देता है अपितु राज्य सरकारों के लिये परामर्शदाता का कार्य भी करता है । आयोग के कार्यसंचालन के पुनर्विलोकन पर विचार किया जा रहा है ताकि वह अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा सके । इस उद्देश्य हेतु सिफारिशें करने तथा उपाय बताने के लिये एक समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव है । श्री ए० एन० खोसला ने इस समिति का अध्यक्ष बनना स्वीकार कर लिया है । आशा है कि इस समिति की सिफारिशों के आधार पर यह आयोग सिंचाई सम्बन्धी बाढ़ नियंत्रण तथा विद्युत के विकास सम्बन्धी योजनाओं को अधिक अच्छे तरीके से निष्पादन, समन्वित तथा उनको आयोजन कर सकेगा ।

सरकार फरक्का बांध परियोजना को जल्दी से पूरा करने के प्रश्न को अधिक महत्व दे रही है क्योंकि इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य कलकत्ता पत्तन का संरक्षण करना है । इसके अतिरिक्त इस परियोजना से पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद तथा माल्दा जिलों को संचार के लिये आपस में जोड़ा जा सकेगा । धन की भी कुछ कमी है परन्तु फिर भी मैं काम को धीमा नहीं होने दूंगा । मैं जून या जुलाई के महीने में वित्त मंत्री से इस परियोजना के लिये वित्त उपलब्ध करने के लिये बातचीत करूंगा ।

कृष्णा, गोदावरी तथा नर्मदा के बारे में कुछ अन्तर्राज्यीय समास्याएं हैं । मैं विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों से उनकी समस्याओं तथा कठिनाइयों का पता लगाने के लिये अलग अलग मिलूंगा और इसके पश्चात इन समस्याओं को हल करने के लिये मैं उनको इकट्ठा करूंगा और उनसे बातचीत करूंगा ।

आशा है कि मुझे सभी माननीय सदस्यों तथा सम्बन्धित मुख्य मंत्रियों का सहयोग प्राप्त होगा ।

नर्मदा परियोजना पर लगभग एक हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है । किसी भी राज्य के लिये इस परियोजना को अपने हाथ में लेना असम्भव है ।

कोपिली योजना के बारे के परियोजना सम्बन्धी प्रतिवेदन में विस्तृत अध्ययन के कारण कुछ विलम्ब हो गया है। इस क्षेत्र में चूने के पत्थर है तथा इसमें बहुत सी गुफायें हैं। समचा मार्ग अबड़-खाबड़ है। परामर्शदाता बोर्ड तथा युगोस्लाविया के विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर अग्रेतर खोज तथा खुदाई का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। विस्तृत जांच पूरी हो जाने के बाद ही राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा परियोजना प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिया जायेगा। यद्यपि वह इस परियोजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये उत्सुक है परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि अगले वर्ष के अन्त से पूर्व यह प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होगा।

जहां तक बाढ़ समस्या का सम्बन्ध है हाल ही में अमरीका से एक विशेषज्ञ आये हैं। वह दो या तीन दिनों में आसाम जायेंगे और वहां पर ब्रह्मपुत्र तथा हमारे देश की दूसरी नदियों की कटाव सम्बन्धी समस्याओं का गम्भीरता से अध्ययन करेंगे। आशा है कि उनका प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात हम कटाव सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिये कुछ योजनाएं बना सकेंगे।

हाल ही में केन्द्रीय जल विद्युत आयोग को बागमती परियोजना के बारे में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार ने इस परियोजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का प्रस्ताव किया है। महादेव नाला सिंचाई योजना के बारे में राज्य अधिकारियों से बातचीत की गई है। योजना सम्बन्धी प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

अनुमान है कि अन्ततः 1120 लाख एकड़ भूमि पर मुख्य तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं से सिंचाई की जायेगी। मेरा इरादा है कि ऐसी योजनाएं बनाई जायें जिससे अगले 20-25 वर्षों में इस समस्त क्षेत्र पर सिंचाई की जा सके।

भविष्य में विद्युत योजनाएं देश में जल, तापीय तथा परमाणु शक्ति की उपलब्ध क्षमता के अनुसार ही बनानी होंगी। अनुमान है कि देश में जल विद्युत की कुल क्षमता चार करोड़ दस लाख किलोवाट है। 62 जल विद्युत परियोजनाओं के लिये संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत 50 परियोजनाओं की जांच का कार्य पहले ही आरम्भ किया जा चुका है। तापीय परियोजनाओं के बारे में विद्युत सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रारम्भिक अध्ययन किया जा रहा है।

मुझे केवल 45 मिनट का समय दिया गया था परन्तु मैंने एक घंटे से अधिक समय ले लिया है। माननीय सदस्यों ने जिन योजनाओं का उल्लेख किया है मैं उन पर ध्यान दूंगा।

Shri Rameshwaranand (Karnal) : The schemes mentioned by the hon. Minister are concerned with the Southern India. May I know whether any scheme to construct a barrage on Jammu at Chakrota is under consideration of the Government so that flood in Jammu could be controlled and people might get sufficient water.

श्री कु० ल० राव : मंत्री महोदय की ओर से मैं उत्तर देता हूं। जमना की एक सहायक नदी टनज पर एक बांध बनाने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया जा रहा है और इस कार्य को हाथ में लिये जाने की बहुत सम्भावना है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।/*The cut motions were put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मांग मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई । *[The following Demands of grants in respect of the Ministry of Irrigation and Powers were put and adopted:*

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
67	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय	23,97,000
68	बहु प्रयोजनी नदी योजनायें	1,34,37,000
69	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	6,00,01,000
132	बहु योजनी नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय . . .	17,95,24,000
133	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय . .	8,80,20,000

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय

वर्ष 1966-67 के लिये स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय की निम्न लिखित मांगे प्रस्तुत की गई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रूपये
41	स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय . . .	20,72,000
42	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	13,49,24,000
43	स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय का अन्य राजस्व .	40,27,000
127	स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	9,75,78,000

श्रीमती गायत्री देवी (जयपुर) : स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय के प्रतिवेदन में लगभग सभी विषयों पर चर्चा की गई है । मैं केवल छः या सात महत्वपूर्ण विषयों पर ही बोलूंगी ।

हमारे देश की लगभग 80 प्रतिशत लोगों ग्रामों में रहते हैं । वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तो हैं परन्तु उनमें से लगभग 40 प्रतिशत केन्द्रों में डाक्टर नहीं हैं । यदि हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य में सुधार करना चाहते हैं तो हमें इन केन्द्रों में डाक्टरों की तुरन्त व्यवस्था करनी चाहिये । डाक्टरों को ग्रामों में काम करने के हेतु प्रोत्साहन देने के लिये उनकों पर्याप्त सुविधायें दी जानी चाहिये । इससे पूर्व कि डाक्टर जिले में जाकर कार्य करें उनके लिये कुछ समय के लिये ग्रामों में कार्य करना अनिवार्य किया जाना चाहिये । इस प्रकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये हम अर्हता प्राप्त डाक्टर सुनिश्चित कर सकते हैं ।

समाजवाद तथा लोगों का जीवन स्तर ऊंचा करने सम्बन्धी बातों के बावजूद देश में गरीब लोगों की उपेक्षा हो रही है । बड़े अस्पतालों में गरीब रोगियों के रिश्तेदारों के ठहरने का कोई प्रबन्ध नहीं है । इन अस्पतालों में इन लोगों के ठहरने के लिय पर्याप्त प्रतीक्षालय भी नहीं है ।

नई दिल्ली में आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मैडिकल साइंस में गरीब रोगियों के रिश्तेदारों को बड़ी कठिनाई होती है। इस इंस्टीट्यूट में गरीब लोगों के सम्बन्धियों के ठहरने के लिय एक धर्मशाला बनाये जाने के प्रश्न पर सहानुभूति पूर्ण विचार किया जाना चाहिये।

सेमिनार तथा प्रदर्शनियों पर बहुत सा रुपया अपव्यय किया जाता है। संतति-निग्रह के लिये ग्रामों में घर घर में प्रचार किया जाना चाहिये। लोगों को इसके लाभ तथा महत्व बताये जाने चाहिये। इस काम के लिये महिलाओं का चुनाव किया जाना चाहिये। लखनऊ के कारखाने में बनने वाले 'लूप' का उत्पादन दुगना किया जाना चाहिये। देश में अन्य कारखाने भी लगाये जाने चाहिये।

यह बड़े खेद की बात है कि भारतीय चिकित्सा सेवा को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया है। इस सेवा को पुनः चालू करने की व्यवहार्यता पर विचार किया जाना चाहिये क्योंकि मैं महसूस करती हूं कि समूचे देश में चिकित्सा अधीक्षण समान स्तर का होना चाहिये।

विभिन्न उद्योगों के अपने निजी अस्पताल हैं। उनका स्तर बहुत ऊंचा किया जा सकता है क्योंकि उनको धन का अभाव नहीं है।

अनुसंधान की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये। देश के लिये अनुसंधान के क्षेत्र में प्रगति करना बहुत ही आवश्यक है।

हमें इस बात पर विचार करना है कि क्या कारण है कि बहुत से भारतीय डाक्टर इंग्लैंड की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में कार्य कर रहे हैं। दिल्ली में स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिये हमें एक विश्व-विद्यालय स्थापित करना चाहिये। यह विश्वविद्यालय आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मैडिकल साइसज़ से संलग्न होना चाहिये। अवर-स्नातक लेडी हार्डिंग जैसे अन्य कालेजों में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और स्नातकोत्तर विद्यार्थी, जिन का अनुसंधान तथा अन्य उच्चस्तरीय कार्य से अधिक सम्बन्ध हो, इस प्रस्तावित नये विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इससे स्नातकोत्तर शिक्षा का स्तर बढ़ जायेगा और विद्यार्थी ऐसी डिग्रियां लेने के लिये विदेशों में जाने की बजाय यहीं पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने लगेंगे।

हमें डाक्टरों को अधिक सुविधायें देनी चाहिये। उनके वेतनक्रमों में वृद्धि की जानी चाहिये तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार करना चाहिये। इसीसे ही उनको विदेशों में जाने से रोका जा सकता है।

देश में नर्सों की कमी है। उच्च माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाई के अतिरिक्त उपचर्या के पाठ्यक्रमों की भी व्यवस्था की जानी चाहिये। समाज की युवा महिलाओं के लिये यह व्यवसाय अधिक आकर्षक बनाया जाना चाहिये। आशा है कि इस पहलू पर भी ध्यान दिया जायेगा।

राजस्थान में लोगों को पीने के पानी के लिये कई कई मील जाना पड़ता है। राजस्थान के लिये 20 लाख रुपये की जो व्यवस्था की गई है वह बहुत ही कम है। खाद्य की कठिन स्थिति पर काबू पाने के लिये भारत को विदेशों से करोड़ों रुपयों की सहायता मिली है केवल इटली ने 4 करोड़ रुपये दिये हैं। राजस्थान में कुएं खोदने तथा पाईप लाइन बिछाने के लिये अधिक धन नियत किया जाना चाहिये।

डा० चन्द्रभान सिंह (बिलासपुर) : बहुत से क्षेत्रों में स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिय ह। चेचक, कोढ़, फिलेरिया, कुकरे, प्लेग तथा अन्य ऐसे रोगों का उन्मूलन भी सदा के लिय कर डालना चाहिये। मैं महसूस करता हूं कि इस उद्देश्य हेतु ग्रामों में पर्याप्त प्रचार नहीं किया गया है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह ग्रामों में पानी सप्लाई करने की है। 17-18 वर्ष की आजादी के पश्चात भी हम ग्रामों में पानी की समस्या को हल नहीं कर सके

[डा० चन्द्रभान सिंह]

हैं। ग्रामों में 80-90 प्रतिशत रोग पानी के कारण ही होते हैं। पेचिश, पेट दर्द, सिर दर्द तथा अन्य ऐसे रोग पानी के अभाव के कारण ही होते हैं। ग्रामों में लोग कुओं, और तालाबों का जो पानी पीते ह वह पीने योग्य नहीं है।

यद्यपि मंत्रालय मांग को पूरा करने के लिये भरसक प्रयत्न करता रहा है परन्तु उचित सुविधाओं के अभाव में उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई है।

ग्रामों में पाइप लाइन द्वारा जल-सम्भरण का कार्य एक मंत्रालय के अधीन है तो कुंओं और जलाशयों आदि के द्वारा जल-सम्भरण का कार्य दूसरे के अधीन। इससे कुछ कठिनाइयां होती हैं। यह समस्त कार्य एक ही मंत्रालय के अधीन होना चाहिये। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत ग्राम्य जल सम्भरण योजना में वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग ने जो भारी कटौती की है वह उचित नहीं है। स्वास्थ्य विभाग केवल व्यय करने वाला विभाग ही नहीं है अपितु लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करते हुए वह वास्तव में उत्पादन में सहायता ही करता है। वित्त मंत्री ने बताया था कि स्वास्थ्य योजनाओं में एक वर्ष में 520 लाख रुपये की कटौतियां की गई थीं। इस प्रकार की कटौतियां नहीं की जानी चाहिये। गांवों में जल संभरण के कार्य को प्रतिरक्षा कार्य से भी ऊपर प्राथमिकता देनी चाहिये क्योंकि देश की सुरक्षा के लिये हमें स्वस्थ लोगों की आवश्यकता होती है और शुद्ध पेय जल स्वास्थ्य का आधार है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों और जनजातियों के क्षेत्र में हाल ही में किये गये सर्वेक्षण से पता चला कि 17,000 गावों में जलसंभरण कि स्थिति कठिन है और उनमें से 13,000 गांव तो ऐसे हैं जिनमें शुद्ध जल संभरण के लिये तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिये।

दूसरी महत्वपूर्ण बात परिवार नियोजन की है। बढ़ती हुई जनसंख्या हमारी योजना की असफलता का मुख्य कारण है। 5,00,000 वर्ष पहले मनुष्य एक दुर्लभ प्राणी था, ईसायुग के प्रारंभ में संसार की जन संख्या 20 से 25 करोड़ तक थी, अकबर के समय में यह 50 करोड़ थी, रानी ऐलिज़ाबेथ के समय अर्थात् सन् 1900 तक यह 100 करोड़ हो गई, और 1960 में संसार की जन संख्या 300 करोड़ थी। यदि इसी प्रकार वृद्धि होती रही तो बीसवी शताब्दी के अन्त तक यह 600-700 करोड़ हो जायगी और अनुमान है कि इस दर से सन 2400 ई० पश्चात् में जन संख्या इतनी हो जायेगी कि प्रत्येक व्यक्ति के लिये केवल चार गज़ मात्र ही स्थान उपलब्ध होगा। परिवार नियोजन के लिये मंत्रिमण्डल की विशेष समिति है, परिवार नियोजन निदेशालय है, एक विशेष आयुक्त भी अभी नियुक्त किया गया है और छः प्रादेशिक कार्यालय आदि हैं परन्तु फिर भी इस समस्या को सुलझाने की दिशा में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया जा सका है। अधिकांश धन उपकरणों आदि पर व्यय किया जा रहा है जो कि उच्च वर्ग तथा उच्च मध्यम वर्ग के लोगों के लिये ही सुविधायें प्रदान करने में खर्च हो जाता है और निम्न वर्ग के लोग उन सुविधाओं से वंचित रह जाते है और नही उन्हें इस बारे में कुछ जानकारी होती है। नगरों में ही इसका प्रचार पर्याप्त नहीं है, ग्राम-ग्राम घर-घर में सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि की सहायता से हमें इस बारे में लोगों को जानकारी देनी चाहिये तथा सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिये। परिवार नियोजन के जो दस तरीके हैं उनमें से प्रत्येक उपयोगी है। केवल एक ही तरीके पर निर्भर नहीं करना चाहिये। तीन या तीन से अधिक बच्चे वालों को 100 रुपये की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जा सकती है।

एक आम शिकायत डाक्टरों की कमी के बारे में है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अगली पंचवर्षीय योजना में तीस मेडिकल कालेज बनाने की योजना रखी है। देश में इस समय 90 मेडिकल कालेज हैं जिनमें 10,000 छात्र प्रवेश पाते हैं परन्तु केवल 6,000 ही डाक्टर बन कर निकलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल कालेज खोलने के लिये सुविधायें प्रदान की जानी चाहिये। नागालैंड, मनीपुर, नेफा, आसाम क्षेत्रों में मेडिकल कालेजों की बड़ी मांग है। उस क्षेत्र में एक मेडिकल कालेज खोला जाये। मध्य प्रदेश में यदि दो नहीं तो एक मेडिकल कालेज अवश्य खोला जाये। $7\frac{1}{2}$ करोड़ की जन संख्या वाले उत्तर प्रदेश में केवल 6 मेडिकल कालेज हैं, वहां पर 9 मेडिकल कालेज और खोले जाने चाहिये। 5 करोड़ की आबादी वाले बिहार प्रदेश में केवल 6 ऐसे कालेज हैं जब कि वहां

10 तो होने ही चाहिये। मेडिकल कालेजों में अध्यापकों की भारी कमी है। गत वर्ष यह 4,000 थी, इस वर्ष 7,000 के लगभग हो जायगी। पुराने 50 मेडिकल कालेजों में 250-300 रुपये की 2,000 छात्रवत्तियां दी जानी चाहिये। तीन वर्ष की अवधि में वे कनिष्ठ अध्यापक बनकर हाउस सर्जन के रूप में कार्य करेंगे और तीन वर्ष की अवधि में डिमोन्सट्रेटर का कार्य करेंगे। इस प्रकार अध्यापकों की कमी पूरी हो सकती है। आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज़ से आशा थी कि वह देश भर में अध्यापक भेज सकेगा। परन्तु वास्तव में हुआ इसके विपरीत है। इस इंस्टीट्यूट से कोई भी व्यक्ति अध्यापक बनकर मेडिकल कालिज में नहीं गया। इंस्टीट्यूट के व्यय में कमी की जानी चाहिये। अनुसन्धान कार्य वे लोग कर रहे हैं जो पोस्ट-ग्रेजुएट नहीं हैं और अनुसन्धान का स्तर अच्छा नहीं है। अधिकांश अनुसंधान कर्ता अच्छे पद की तलाश में ही अनुसन्धान कार्य करते हैं और उनमें से कुछ को निदेशक आदि बना भी दिया जाता है। चिकित्सा अनुसन्धानकर्ताओं की पृथक श्रेणी होनी चाहिये जिसमें पदोन्नति आदि की व्यवस्था होनी चाहिये और सर्वोच्च पद का वेतन क्रम निदेशक के वेतन क्रम को भी अधिक रखा जाना चाहिये। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि के मेडिकल कालेजों में वेतन मान 1966 में भी वही हैं जो कि 1935 में निर्धारित किये गये थे जब कि अब तक निर्वाह-व्यय 400-500 प्रतिशत बढ़ चुका है। वेतन-मानों में वृद्धि की जानी चाहिये। हाल के भारत-पाक संघर्ष में चिकित्सा विभाग ने सराहनीय सेवा की थी। वे लोग जवानों की इस सेवा के लिय सराहना के पात्र हैं।

डा० उ० मिश्र (जमशेदपुर) : विज्ञान की कृपा से हैज़ा और मलेरिया जैसे रोगों पर विजय प्राप्त की जा सकी है। परन्तु आर्थिक सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन होने, औद्योगीकरण तथा तथा तीव्र नगरीयकरण आदि के कारण अनेक भयानक रोग अधिक होने लगे हैं, जैसे कि क्षयरोग। क्षयरोग नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों दोनों ही में फैल रहा है। औद्योगिक क्षेत्रों और विशषत: कोयले की खानों के क्षेत्रों में, जहां कि रहने की दशा बहुत अच्छी नहीं है, इसका अधिक प्रभाव है। यद्यपि इसके उपचार के लिय रसायन-चिकित्सा निकाल ली गई है परन्तु गांवों में वह अभी नहीं पहुंच पाई है। प्रथम अवस्था में रोग का पता चलाने और रसायन-चिकित्सा द्वारा उसका विचार करने के लिये चलती-फिरती गाड़ियों में एक्सरे करने की सुविधा भी अभी तक गांवों में उपलब्ध नहीं है। सरकार को बी०सी०जी० के टीके पर अधिक जोर नहीं देना चाहिये क्योंकि यह अभी तक एक विवादास्पद वस्तु है। देश के लोगों को पौष्टिक पदार्थ उपलब्ध कराने, चल एक्सरे तथा रसायन चिकित्सा पर जोर दिया जाना चाहिये तथा इसे गांवों तक पहुंचाना चाहिये।

दूसरा रोग जघन्य कुष्ठ रोग है जो कि रहन-सहन के उच्च स्तर वाले लोगों में भी फैल रहा है और जन सामान्य के लिये अधिक खतरनाक होता जा रहा है। इस रोग का सामना करने के लिये गांवों मे भी रसायन चिकित्सा की व्यवस्था की जानी चाहिये। एक नया खतरा मस्तिष्क-शोध की बीमारी से बढ़ता जा रहा है जो कि विशेषत: बच्चों को अधिक होती है। देश में मानसिक रोगियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है जो कि दु:ख का विषय है। अस्पतालों में मानसिक रोगियों के लिये अधिक पलंगों की व्यवस्था की जानी चाहिये अथवा प्रत्येक अस्पताल में मानसिक रोगियोंका एक पृथक वार्ड बना दिया जाना चाहिये।

अस्पतालों में भोजन आदि की व्यवस्था इतनी खराब है कि उसे मानवता के लिये अभिशाप कहा जा सकता है। एक अस्पताल में मैंने देखा कि एक रोगी और एक कुत्ता एक ही पात्र से खा रहे थे। चार लाख की आबादी वाले जमशेदपुर में अभी तक कोई जिला अस्पताल नहीं था। काफ़ी आन्दोलन के पश्चात् वहां अस्पताल खुला है परन्तु उसकी दशा यह है कि वहां की एक्सरे मशीन सारे वर्ष खराब पड़ी रहती है। टाटा कम्पनी का एक अस्पताल वहां है जो कि मुख्यत: उसके कर्मचारियों के लिये है और वहां पर शुल्क इतना अधिक है कि अन्य व्यक्ति उसका लाभ नहीं उठा पाते। दिल्ली की ही दशा देख लीजिये। विलिंगडन अस्पताल में प्रसूतिकर्म तथा स्त्रीरोग चिकित्सा के लिये केवल 19 पलंगों की व्यवस्था है। नार्सिंग होम तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था भी अपर्याप्त है। सफदरजंग अस्पताल के बारे में भी समाचारपत्रों में पढ़ा है कि वहां रोगियों का उपचार ठीक प्रकार नहीं किया जाता।

(डा० उ० मिश्र)

देश में जनसंख्या के अनुसार जितने डाक्टर होने चाहिये उतने नही हैं। डाक्टर नगरों में ही उपलब्ध होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में नही। डाक्टर कहते हैं कि उन्हें रोजगार नही मिलता और सरकार कहती है कि उन्हें डाक्टर नही मिलते। व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी अवश्य है। अधिकांश प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर नहीं मिलते। इसका कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों का खण्ड विकास अधिकारी जो कि स्नातक मात्र होता है डाक्टरों के ऊपर माना जाता है जिसे डाक्टर अपना अपमान समझते हैं और फिर वहां डाक्टरों के लिये जीप आदि की व्यवस्था भी नही की जाती अतः डाक्टर वहां जाना पसन्द नहीं करते।

निजी चिकित्सा कालेज खोलने के मार्ग में बहुत सी बाधायें हैं अतः ये नही खुल पाते। जमशेदपुर के गांधी स्मारक चिकित्सा कालेज की अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों की भांति ही सरकार के विभिन्न स्थानों पर चिकित्सा कालेज खोलने चाहियें। ऐसा एक कालेज जमशेदपुर में भी बनाया जाना चाहिये। निवासस्थान के प्रश्न के कारण अनेक विद्यार्थी चिकित्सा कालेजों में प्रवेश पाने से वंचित रह जाते हैं। क्षेत्रीय चिकित्सा कालेज बनाकर यह समस्या हल की जा सकती है।

यह धारणा गलत है कि हमारे जो डाक्टर विदेशों में हैं वे अच्छी सुविधाओं तथा आराम को छोड़कर यहां कम वेतन पर नही आना चाहते। 1963 में जब मैं लन्दन गया तो देखा कि वहां पर स्वास्थ्य सेवा में 75 प्रतिशत डाक्टर भारतीय अथवा पाकिस्तानी हैं। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि वे स्वदेश आने के लिये तैयार हैं बशर्ते कि उन्हें यह आश्वासन दिया जाये कि अपने ज्ञान का पूर्ण उपयोग करने के लिये उनके लिये सुविधाओं की व्यवस्था यहां कर दी जायेगी। यहां के अस्पतालों में डाक्टरों को हड़ताले करनी पड रही हैं यह हमारे देश के लिये एक निन्दा की बात है।

औषधियां उपलब्ध नहीं होतीं, कुछ का तो आयात भी नही किया जाता। एकस्व विधेयक के मामले में विलम्ब करने अथवा उसे पारित न होने देने के लिये निहित हित वाले पक्ष जैसे कि अमरीकी तथा ब्रिटिश सरकार सरकार पर दबाव डाल रहे हैं।

खाद्य अपमिश्रण विधेयक भी ठीक प्रकार लागू नहीं किया जा रहा है। इससे केवल इन्सपैक्टर लोग ही हजारों रुपये बना रहे हैं। एगमार्क घी तक में 20 प्रतिशत वनस्पति घी मिला पाया गया है।

उद्योगों द्वारा जल दूषित किया जा रहा है जैसे कि बूजराजनगर तथा चौद्वार के कागज उद्योग द्वारा इन उद्योगों को अन्य स्थानों पर ले जाया जाना चाहिये।

सरकार आयुर्वेदिक विद्यालयों की संख्या तो बढ़ा रही है परन्तु यूनानी चिकित्सा पद्धति को कोई प्रोत्साहन नही दिया जा रहा। मुझे बताया गया है कि हमदर्द दवाखाने को अनुसन्धान कार्य के लिये कुछ भूमि दी गई थी परन्तु फिर वह भी वापस में ले ली गई।

परिवार नियोजन स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या नहीं है अपितु यह एक सामाजिक-आर्थिक समस्या है। परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण को एक समस्या नहीं कहा जा सकता। परिवार नियोजन जनसंख्या पर भी नियंत्रण करने में असफल रहा है क्यों कि यह केवल उन्ही व्यक्तियों तक पहुंचाया गया है जो कि स्वेच्छा से ही इसे अपनाते, उन तक नहीं जिन्हें कि जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिये इसे पहुंचाने की आवश्यकता थी। इस समस्या का समाधान सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिये।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्न लिखीत कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपय
41	1	श्री यशपाल सिंह	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के कार्य-संचालन में सुधार . .	100
41	2	श्री यशपाल सिंह	राजधानी के निवासियों के लिये पर्याप्त पेय जल की व्यवस्था . .	100
41	3	श्री यशपाल सिंह	आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की सहायता देना . . .	100
41	4	श्री यशपाल सिंह	ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की व्यवस्था की योजनाओं को तेजी से पूरा करना	100
41	5	श्री यशपाल सिंह	चिकित्सा कालेजों की स्थापना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की पर्याप्त व्यवस्था	100
41	6	श्री यशपाल सिंह	आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के विकास के लिये एक अखिल भारतीय संस्था की स्थापना . . .	100
41	7	श्री बड़े . .	राजधानी में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के और आयुर्वेदिक औषधालय खोलना	100
41	8	श्री बड़े	दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के आयुर्वेदिक औषधालयों में पर्याप्त कर्मचारियों एवं औषधियों की व्यवस्था . . .	100
41	9	श्री बड़े	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के आयुर्वेदिक औषधालयों के कर्मचारियों को एलोपैथिक औषधालयों के कर्मचारियों के समान पर्याप्त सुविधायें प्रदान करना .	100
41	10	श्री बड़े .	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के आयुर्वेदिक औषधालयों के चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के लिये ड्यूटी के स्थान के निकट निवासस्थान की व्यवस्था करना .	100
41	11	श्री बड़े . .	आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना	100

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : स्वतंत्रता प्राप्ति के 20 वर्ष पश्चात् भी ग्रामीण क्षेत्रों में और बहुत से नगरीय क्षेत्रों में भी, विशेषत: हरिजनों के लिये, अच्छे पेय जल की व्यवस्था नहीं की जा सकी है। यह बड़ी गम्भीर स्थिति है और इस कठिनाई को दूर करने के लिये तुरन्त कार्यवाही करनी होगी। 1969 में महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी तक यदि हरिजनों के लिये पेय जल की उचित व्यवस्था नहीं की जा सकी तो इसका अर्थ होगा कि हमारी योजना में ही कुछ गड़बड़ी है।

गत 10-15 वर्षों में मलेरिया, हैजा, टाइफाइड जैसी छूत की बीमारियों पर बहुत हद तक विजय प्राप्त की गई है जिसके फलस्वरूप मनुष्य के जीवन की अवधि बढ़ गई है तथा जन्म दर बढ़ने के कारण जन संख्या में वृद्धि हो रही है। इस समस्या को हल करने के लिये नागरिकों को सरकार से सहयोग करना चाहिये। श्रमिकों में स्त्रियाँ तो परिवार नियोजन अपनाने की इच्छुक पाई जाती है परन्तु पुरूष उनके मार्ग में बाधक बनते हैं। स्वास्थ्य विभाग को विभिन्न श्रमिक संघों के साथ सहयोग करना चाहिये ताकि यह समस्या हल हो सके।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था की स्थापना में दस वर्ष के समय में 10-12 करोड़ रुपये लगे हैं। प्रतिवर्ष इसमें 50 विद्यार्थी प्रवेश पाते हैं तथा लगभग 200 अनुसंधानकर्ता कार्य करते हैं। इस संस्था को आवंटित राशि में कोई कटौती नहीं करनी चाहिये तथा उसे अधिक धनराशि देनी चाहिये।

अखिल भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान संस्था ने गत पांच-छः वर्षों में अनुसन्धान के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है। विज्ञान की उत्तरोत्तर प्रगति अपेक्षित है और इसमें अनुसन्धान का बहुत महत्व है। अनुसन्धान के लिये नियत राशि में लगभग 60 लाख रुपये की जो कटौती की गई है उसे बहाल किया जाना चाहिये।

आयुर्वेद के गत बीस वर्ष के इतिहास को देखने से पता चलता है कि इस क्षेत्र में अच्छी प्रगति नहीं हुई है। तथा इसे प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की आयुर्वेद अनुसन्धान संस्था ने स्थापना पश्चात् तीन वर्षों में बहुत अच्छा कार्य किया है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति यदि अच्छी सिद्ध हुई है तो उसे गांवों तक ही सीमित न रखकर शहरों में भी उसका विकास किया जाना चाहिय तथा इसके लिये अधिक धन की व्यवस्था करके उसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। वाराणसी के स्नातकोत्तर अनुसन्धान केन्द्र के बारे में डा० लक्ष्मणस्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में नियुक्त स्वास्थ्य सर्वेक्षण आयोजना समिति ने सिफारिश की थी कि विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त जो विद्यार्थी आयुर्वेद में स्नातकोत्तर अध्ययन करें उन्हे एम०डी० की डिग्री दी जानी चाहिये। अब मुझे पता लगा है कि इसे अन्य कुछ नाम दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में किसी के दबाब को नहीं मानना चाहिये तथा एम०डी० की व्यवस्था की जानी चाहिये।

आयुर्वेद के पोस्ट-ग्रेजुएटों को अन्य विश्वविद्यालयों अथवा उसी विश्वविद्यालय के पोस्ट-ग्रेजुएट अथवा फैलोशीप के समान परिश्रमिक नही दिया जाता। इस भेदभाव विद्यार्थियों को खलता है तथा इससे आयुर्वेद को प्रोत्साहन नहीं मिल सकता। आशा है कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में आयुर्वेद के प्रति न्याय करेंगे।

भारतीय अनुसन्धान चिकित्सा परिषद में आयुर्वेद तथा योग के प्रश्न का अध्ययन करने के लिये एक समिति स्थापित की गई थी। परन्तु मस्तिष्क की जांच को ही योग नही कहा जा सकता। उन्हें इसके पीछे विज्ञान की बात को समझना चाहिये तथा फिर आयुर्वेदिक सिद्धांतों के आधार पर अनुसन्धान कार्य करना चाहिये।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय आयुर्वेदिक अनुसन्धान के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। उन्होंने भगन्दर की प्राचीन चिकित्सा निधि का पता लगा लिया है जिससे रोग का तीन सप्ताह में उपचार हो जाता है तथा किसी चीरफाड़ की आवश्यकता नही होती। इस प्रकार के प्रयोगों के लिये मंत्रालय को अधिक धनराशि आवंटित करके प्रोत्साहित करना चाहिये।

पिछले अनेक वर्षों में मंत्रालय ने इस क्षेत्र में जो कार्य किया है मैं उसकी सरहना करता हूं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जनता की सामान्य धारणा यह है कि कांग्रेस शासन के 19 वर्ष बाद भी हमारे देश में सामान्य स्वास्थ्य गिरता जा रहा है।

कुछ समय पूर्व कलकत्ता में प्रायमरी स्कूलों में सर्वेक्षण किया गया था और पता चला कि 70 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों का पोषण ठीक से नहीं हो रहा है। हमारे देश के बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में सरकार गंभीर रूप से कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। सरकार ने आश्वासन दिया था कि स्कूल जाने वाले बच्चों को निःशुल्क भोजन दिया जायगा। अपने यहां मैंने देखा है कि जो लोग पैसा देते हैं उन्हें भोजन मिलता है और गरीब व्यक्तियों के बच्चों को भोजन नहीं मिलता क्यों कि वे पैसा नहीं दे सकते। सरकार ने हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में यह कार्य किया है।

सेरामपुर में एक अस्पताल है जिसकी दशा वैसी ही है जैसी अंग्रेजों के शासन के समय थी। वहां पर मरीजों के लिये रखे गये भोजन को कुत्ते उठा ले जाते हैं।

हुगली जिले में गांवों में कुछ अस्पताल तो हैं, लेकिन उनमें डाक्टर नहीं हैं। कई बार शिकायतें की गयी है लेकिन सरकार का जवाब होता है कि उनको गांवों में काम करने के लिये पर्याप्त संख्या में डाक्टर ही नहीं मिलते। वास्तव में सरकार 19 वर्ष बाद भी गांवों में रहने के लिये डाक्टरों को न्यूनतम सुविधाएं भी नहीं दे सकी।

रिपोर्ट में यह बताया गया है कि मलेरिया का उन्मूलन कर दिया गया है। लेकिन उसका सरकार को श्रेय किस हद तक है? कलकत्ता और इसके उपनगरों में चेचक महामारी के रूप में फैल रही है। हैजा के बारे में भी ऐसी ही स्थिति है। इनकी रोकथाम के लिए औषधियोंकी कमी है। इसके लिये केन्द्रीय सरकार जिम्मेवार है क्यों कि यदि केन्द्रीय सरकार औषधि नहीं देती तो राज्य सरकारों को ये औषधियां नहीं मिल सकतीं। फाइलेरिया के उन्मुलन के लिये कुछ भी नहीं किया गया है। कलकत्ता में केवल एक अस्पताल, ट्रापिकल मेडिकल इंस्टीटयूट है जहां फाइलेरिया के मरीजों का इलाज होता है और यह अस्पताल पर्याप्त नहीं है। इसके लिये तत्काल कोई कार्यवाही की जानी चाहिये।

पानी गंदा होता है। कलकत्ता में पानी के नलों में छोटे छोटे सांप और कीडे तक पाये गये। हुगली नदी के दोनों ओर कारखानों के मल को अभी तक रोका नहीं गया है। अतः पानी दूषित होने की बडी भारी संभावना है। झाडग्राम की जनसंख्या 20,000 से अधिक है लेकिन वहां पर मीठे पानी के संभरण के लिय अभी जलाशय (वाटर वर्क्स) नहीं बनाया गया है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों की हालत अभी भी बहुत खराब है। केवल पश्चिम बंगाल में ही ऐसी स्थिति नहीं है। पानी की कमी के कारण लोग रेलगाडियां रोक लेते हैं ताकि इंजन में से पानी लिया जा सके, हैदराबाद में ऐसा हुआ है। पिछली बार हरिद्वार में भी ऐसा ही हुआ। वहां लोगों को पीने का पानी देने की कोई व्यवस्था नहीं है। बिहार और पश्चिम बंगाल के गांवों में और आदिवासी क्षेत्रों में लोगों को एक एक बाल्टी पानी के लिये तीन-चार मील तक जाना पड़ता है। वहां पर कई स्थान ऐसे हैं जहां नलकूप होना चाहिये। नलकूप लगवाने के लिये पंचायत को अंशदान करना पडता है। यह कैसा कल्याण है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने रिपोर्ट छपी है कि उन्होंने ग्रामीण जनता को पीने का पानी देने के लिये बहुत काम किया है।

[श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुए
SHRI SHAM LAL SARAF *in the Chair*]

कलकत्ता में कलकत्ता मैट्रोपोलीटन आर्गेनाइजेशन है। पता नहीं वह कब जलाशय बनाएंगे और कब सफाई व्यवस्था करेंगे। अभी तो वे रिपोर्ट ही बना रहे हैं। पता नहीं उनकी रिपोर्ट और सिफारिशों को कौन लागू करेगा। कलकत्ता और वृहद् कलकत्ता में जल संभरण के बारे में कुछ कार्यवाही की जानी चाहिये। वहां पर जल-निस्सारण की भी आवश्यक व्यवस्था करने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये ताकि नगरपालिका और निगम पर बोझ कम पडे और वे अन्य बातों में ध्यान दे सकें। कलकत्ता में केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले उन

[दिनेना भट्टाचार्य]

कर्मचारियों को जो कलकत्ता शहर में रहते हैं रजिस्टर्ड डाक्टर से चिकित्सा कराने की सुविधाएं दी गयी हैं जब कि उस नगर में रहने वाले ऐसे ही कर्मचारियों को ये सुविधाएं नहीं दी गयी हैं। उनको जिला सर्जन या सब-डिविजनल सर्जन से इलाज कराना पड़ता है। यह भेदभाव क्यों है? इस भेदभाव को दूर किया जाना चाहिये। मुझे आशा है कि स्वास्थ्य मंत्री इस ओर ध्यान देंगी।

Shrimati Jayaben Shah (Amreli) : Mr. Chairman, Sir, I congratulate the Health Ministry of their good performance. But we pay more attention towards the curative side while more attention should be paid towards the preventive side. We have not been able to complete even half the work in connection with tackling the problem of drinking water. This is the biggest problem for the health of the country. I hope that plans will be made and implemented during the next five year plan. Some more money should be set apart for this.

The problem of town planning is a very big problem for the whole country. Town planning is not done properly. We should take up preventive measures so that diseases are controlled. Because it is said that "Prevention is better than cure". Small pox and Cholera are the diseases which are spreading in big cities. This is due to non-disposal of sewerage water in a proper manner. Unless and until proper arrangement is made in cities for water and sanitation, we cannot succeed in achieving the target. We have not been able to utilise fully the amount sanctioned for sanitation purposes. Today there is shortage of doctors in the Country. Doctors are not prepared to go to hospitals in villages. This aspect should be considered and some incentive should be given to doctors to inspire them to go to villages. The provision of good doctors and better medicines is absolutely necessary for rural areas. The health in villages is much deteriorated. There is no arrangement for water, electricity and sanitation in villages. More attention should be paid towards rural areas. Additional grant should given for the purpose.

There is a situation of uncertainty regarding the management of the Lady Hardinge Medical College. Either it should be run on voluntary basis by a trust or Government should take it over completely.

In cities there is shortage of hospitals, doctors and nurses. This Ministry should feel its responsibility towards the health of the country. In maternity hospitals more beds should be provided but delivery cases should not be placed on the earth. They should necessarily be provided beds.

Shri R. S. Pandey (Guna) : Mr. Chairman, Sir, I support the report and demands of the Ministry of Health. The Ministry has done good work within the resourses available and for this the Ministry and the Hon. Minister deserve congratulations. There has been a definite progress in the field of health during the three five year plans. There has been an increase in medical colleges and doctors. It is another thing that in view of vast demand, it has not been enough but we are marching ahead.

The greatest problem that we are facing today is the increasing population. The countries which give us foodgrains in assistance ask the question as to what steps we are taking to have control over increasing population.

In Japan and Scandanavian countries abortion has been legalised because they are aware of their resourses.

In the First Five-year Plan, a sum of 65 lakhs of rupees was provided for family planning but only a sum of rupees of 22 lakhs was utilised. In the Second Five

Year Plan a sum of rupees 495 lakhs was provided for the purpose but only 43 per cent money was utilised. Likewise during the Third Five Year Plan about 95 per cent was utilised. In the Fourth Five Year Plan a sum of rupees 95 crores has been provided for family planning. In the budget grants for 1966-67 a sum of Rs. 13 crores has been sanctioned by the centre and 150 lakhs by the states. 1700 sterilization units have been opened and 42,125 trained workers are there and 1,333 thousand operations were made. These figures show that we are marching towards our goal but the problem is vast and some radical measures should be adopted to deal with it so that our ideas, our traditions change.

There should be a programme for one hour relayed on A.I.R. for the propogation of family planning methods amongst the rural population. Documentaries on family planning should be prepared and screened in villages.

The provision of 95 crores of rupees for the purpose made in the Fourth Five Year Plan should be increased to 300 crores of rupees.

There should be family planning centres compulsorily in every block in the country. There is a need to arouse popular awakening and create consciousness among the people for creating such a condition that they are able to pull on satisfactorily.

We, Members of Parliament, should set an example in this respect.

Shri Rameshwaranand (Karnal) : It is not known why family planning has been clubbed with Health. It would have been better if 'Brahmcharya', 'Yoga', 'nutritious diet' etc. were clubbed with health.

The expenditure which is being incurred on family planning measures is meaningless. The Governments' policy of encouraging sterilisation and popularisation of loop is highly detrimental to the interest of the nation. It is better that we lay stress on 'Brahmcharya' for family planning and educate our people in this regard. For the health of the nation we will have to adopt ancient measures.

Charity begins at home. First, the Prime Minister, the Health Minister, other Ministers of the Centre and States and members of this House should popularise loops in their family and then others should be advised for its use. I agree that there should be birth control. But for this we should adopt measure of Brahmcharya.

In ancient days people used to live for 100 years. No person died earlier.

The adulteration of food is a greatest problem that country has to face. The Ministry has failed to check adulteration. There is great corruption. Inspectors take bribe from dealers and thus the problem of adulteration is not solved.

There is acute shortage of water in villages. Wells are at very far places. Especially Harijans have to face still more difficulties in getting water. They are not allowed to take water from general wells. The money for maintenance of wells etc. is not properly utilised for the purpose.

Proper attention should be paid for the encouragement of indigenous system of medicine. The people should be educated in regard to the efficacy of Indian herbs and plants. Preparation of vast programme is meaningless.

श्री प० श्रीनिवासन (मद्रास उत्तर) : सभापति महोदय, मलरिया उन्मूलन के कार्यक्रम की सफलता के लिय, जो भारत के इतिहास में एक अद्भुत चीज है, मैं स्वास्थ्य मंत्री को बधाई देता हूं। हालांकि मलेरिया का उन्मूलन कर दिया गया है लेकिन फाइलेरिया दस गुना बढ गया है। एक राष्ट्रीय फाइलरिया उन्मूलन योजना बनायी जानी चाहिये। इसका फल जरूर निकलेगा।

87 मेडिकल कालज बनाये जाने पर मैं मंत्रालय को बधाई देता हूं। चौथी पंचवर्षीय योजना में 30 नये मेडिकल कालज खोले जायेंगे जिनमें पांच रीजनल कालेज होंगे।

भारत में परिवार-नियोजन बहुत आवश्यक है। इस समस्या का उच्चतम स्तर पर समाधान किया जा रहा है। परिवार नियोजन के कई तरीके हैं। पुरुष तथा स्त्री के बन्ध्यीकरण सबसे अच्छा तरीका है लकिन यह दीर्घकाल में लाभप्रद है। इसलिये 'लूप' व्यवस्था अथवा गर्भाशयान्तर गर्भ-निरोधक व्यवस्था उत्तम है।

मैंने स्वास्थ्य मंत्री को सुझाव दिया था कि मेडिकल कालेजों में पचास प्रतिशत महिलाएं दाखिल की जायें क्योंकि गर्भाशयान्तर गर्भनिरोधक उपकरणों के सम्बन्ध में महिलाएं अधिक लाभदायक सिद्ध होंगी। यदि महिलाएं प्रशिक्षित की जायं और उन्हें सभी सुविधाएं और अवसर दिये जायं और यदि उनसे यह गारंटी ली जाय कि पांच वर्षों तक गांवों में काम करगी तो खाद्यान्न की कमी और बढती हुई जनसंख्या की समस्याओं को हल किया जा सकेगा।

पोस्ट-ग्रेज्युएट मेडिकल शिक्षा के लिये भारत भर में पांच या छः कालिज खोलने का विचार है। मद्रास में मद्रास सरकार ने इसके लिये अदयार के समीप 200 एकड भूमि दी है ; केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि वह उन्हें इस पोस्ट-ग्रेज्युएट चिकित्सा शिक्षा योजना को लागू करने के लिये सभी सहायता दे।

ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या बड़ी गम्भीर है। यह बहुत ही खेद की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 18 वर्ष के पश्चात् भी मनुष्य तथा मवेशियों को एक ही सा जल पीने को मिलता है। इस मामले में सरकार तथा योजना आयोग को अवश्य ही कुछ कार्यवाही करनी चाहिये ताकि ग्रामीण जनता को तरह तरह की बीमारियों से छुटकारा मिल सके।

Shrimati Sahodra Bai Rai (Damoh) : The Ministry should provide more hospitals and other medical facilities in the country. There should be at least one hospital after every 10 villages. In the materniry hospitals in the rural areas there should be adequate staff and equipment. There should be adequate number of beds in these maternity hospitals. Lady doctors, nurses, and midwives should be absorbed without any loss of time. Our hospitals need them badly and they should be employed immediately.

The Ministry should see that poor patients are given good medical treatment and are looked after properly. They should be given prescribed medicines. Complaints have come from several places that Doctors and other staff in Government hospitals sell medicines to private individuals . This matter should be enquired into.

Harijans and tribals particularly the women folk have to face great difficulty in getting water from the wells. Because untouchability is still prevalent in the rural areas. Wells should be sunk in localities which are inhabited by such people.

श्री शिकरे (मरमागोआ) : मंत्रालय ने स्वदेशी औषध प्रणाली के साथ सौतेली मां का सा व्यवहार किया है। स्वयं प्रतिवेदन के अनुसार तीसरी योजना के लिये निर्धारित की गई एक करोड़ रुपये की राशि में से पहले चार वर्षों में केवल 56 लाख रुपया खर्च किया गया है और सरकार शेष 44 लाख रुपया योजना के अन्तिम वर्ष में खर्च करना चाहती है। इससे पता लगता है कि कितने बेढंगे तरीके से काम हो रहा है। 1962 में स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने औषध

इतिहास संस्था भवन का शिलान्यास किया था जिसे दिल्ली का हमदर्द राष्ट्रीय प्रतिष्ठान स्थापित करना चाहता था। परन्तु चार वर्ष गुजर जाने के पश्चात् भी इसके लिये कोई भूमि नियत नहीं की जा सकी है जबकि इस संस्था के लिये केवल 100 एकड़ भूमि की ही आवश्यकता है। यह एक उदाहरण है जिससे पता चलता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय स्वदेशी प्रणाली में रुचि नहीं ले रहा है।

स्वदेशी औषध प्रणाली को प्रोत्साहन तथा सरकारी मान्यता दी जानी चाहिये। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में आयुर्वेद डाक्टरों का कोई खास कोटा निर्धारित किया जाना चाहिये ताकि लोगों को स्वदेशी औषध प्रणाली में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिय प्रोत्साहन मिल सके।

कैंसर से बहुत लोग मर रहे हैं। मंत्रालय ने इस बीमारी की रोकथाम के लिये पर्याप्त कार्यवाही नहीं की है। हमारे देश में प्रत्यक बड़े शहर में "टाटा मेमोरियल इंस्टीट्यूट" जैसी संस्थाएं होनी चाहियें ताकि कैंसर के रोगियों की ठीक तरह से चिकित्सा हो सके और इस रोग के बारे में अनुसन्धान किया जा सके।

मैडिकल कालेजों में प्रवेश पाने वाले प्रत्येक विद्यार्थि से एक बन्ध पत्र पर हस्ताक्षर कराये जाने चाहियें कि वह स्नातक बनने के बाद कम से कम पांच वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करेगा। इस सुझाव पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। साथ साथ सरकार को यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि इन स्नातकों को गांवों में उचित सुविधाएं उपलब्ध की जायें ताकि वे अपनी योग्यता का अच्छा प्रमाण दे सकें।

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : मंत्रालय ने अब तक रोग की रोकथाम की बजाय उसके उपचार पर अधिक ध्यान दिया है। मंत्रालय ने उतनी तत्परता से कार्य नहीं किया है जितनी कि इससे आशा थी। इसमें 'रूटीन' ढंग से कार्य हुआ है और उत्साह तथा जोश से काम नहीं हो रहा है। हमें आशा थी कि डा० सुशीला नायर के आने से स्वास्थ्य मंत्रालय में सेवा की भावना से कार्य होने लगेगा परन्तु ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता। स्वच्छता का अभाव, पानी की कमी, खाद्य में मिलावट, कूड़ा हटाना आदि जैसी समस्यायें अभी हल नहीं की गई हैं। होटलों तथा भोजनालयों में सफाई नहीं होती है। स्वास्थ्य अधिकारी अपना कर्तव्य ठीक तरह से नहीं निभा रहे हैं। मखियों आदि द्वारा दूषित किया हुआ भोजन खाने से तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। यह बहुत ही विचित्र बात है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के होते हुए भी यह सब कुछ हो रहा है। ऐसा लगता है कि मंत्रालय इन सब समस्याओं की ओर पूरा ध्यान नहीं दे रहा है।

भारतीय चिकित्सा परिषद् का इस मंत्रालय की नीतियों पर काफी प्रभाव रहता है। आयुर्वेद तथा यूनानी पद्धति के बारे में इस परिषद् का दृष्टिकोण परिषद् के अध्यक्ष के हाल ही में परिषद् में दिये गये इस भाषण से स्पष्ट हो जाता है जिसमें उन्होंने कहा है कि आयुर्वेद एक वैज्ञानिक पद्धति नहीं है और इसे बिल्कुल समाप्त कर दिया जाना चाहिये। वही व्यक्ति जो देसी पद्धति में विश्वास नहीं रखते आयुर्वेद तथा यूनानी पद्धति के बारे में मंत्रालय की नीतियां बना रहे हैं और उन्हें लागू कर रहे हैं। कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति ही इस बारे में सचाई का पता लगायेगा और इसको सही तरीके से हल करने के कोशिश करेगा। अतः मंत्रालय को देसी चिकित्सा प्रणाली के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिये। इस दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है। आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति के लिये एक अलग मंत्रालय होना चाहिये और यदि ऐसा नहीं किया जा सकता तो कम से कम मंत्रालय में इसके लिये एक अलग विभाग होना चाहिय। आयुर्वेदिक तथा यूनानी अस्पताल खोले जाने चाहियें और इन चिकित्सा प्रणालियों के बारे में अनुसन्धान करने की सुविधाएं भी दी जानी चाहियें। किसी चिकित्सा पद्धति के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये। गांधीजी चाहते थे कि दवाइयां सस्ती हों ताकि गरीब लोग भी उनसे फायदा उठा सकें। इसलिये मंत्रालय को उसी दृष्टिकोण से कार्य करना चाहिये।

श्रीमती अकम्मा देवी (नीलगिरि) : देश की जनसंख्या में हो रही वृद्धि बहुत अधिक चिन्ता का विषय है। इससे कुछ संतोष मिलता है कि सरकार ने जनसंख्या को इतनी तेजी से न बढ़ने देने

[श्रीमती अकम्मादेवी]

के लिये कई योजनाएं आरम्भ की हैं। नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन केन्द्रों का एक छाल बिछा दिया गया है और प्रचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 1965 में चालू की गई "लूप" पद्धति के भी अच्छे परिणाम निकले हैं फिर भी कहीं न कहीं कुछ त्रुटि रह गई है क्योंकि परिवार नियोजन कार्यक्रम सुचारु रूप से नहीं चल रहा है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिये सरकारी तथा गैर-सरकारी कार्यकर्त्ताओं के बीच सभी स्तरों पर पूरा पूरा सहयोग होना चाहिये। गैर-सरकारी कार्यकर्त्ताओं की संख्या सरकारी कार्यकर्त्ताओं की संख्या से दुगनी होनी चाहिये। अनुभवी महिला-कार्यकर्त्ताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। स्वेच्छा से काम करने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

मैडिकल कालेजों में कुछ प्रतिशत स्थान केवल ग्रामीण युवतियों के लिये सुरक्षित रखे जाने चाहियें। क्योंकि अपना पाठ्यक्रम समाप्त करने के पश्चात् वे ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा कर सकेंगी। वे परिवार नियोजन कार्यक्रमों को भी सुचारु रूप से चला सकेंगी।

कई राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर ही नहीं होते हैं। सहायक नर्सों तथा अनुभवी दाइयों को 'लूप' पद्धति में प्रशिक्षित किया जाना चाहिये ताकि वे यह कार्यक्रम लोगों के घरों में जा कर पूरा कर सकें।

यह बड़े संतोष का विषय है कि चौथी योजना अवधि में 30 नये मैडिकल कालेज खोले जायेंगे। मडिकल कालेजों के विस्तार के लिये 30 लाख रुपये की राशि रखी गई है जो बहुत ही अपर्याप्त है। इसके लिये और अधिक राशि नियत की जानी चाहिये ताकि सभी मैडिकल कालेजों में 200 तथा इससे अधिक सीटों की व्यवस्था की जा सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था करने का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथी योजना में इस प्रयोजन के लिये बहुत ही कम राशि रखी गई है। इस राशि में वृद्धि की जानी चाहिये। क्योंकि गांवों तथा आदिवासी क्षेत्रों में लोगों को पानी न मिलने के कारण बहुत कठिनाई होती है। उटकमण्ड जैसे क्षेत्र में भी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। इसलिये सरकार को इस मामले पर पुनर्विचार करना चाहिये और जल की व्यवस्था करने के लिये 600 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित करनी चाहिये।

Shri Mohan Swarup (Pilibhit) : Our population is increasing day by day but on the contrary there is acute shortage of doctors, medicines and hospitals in this country.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

Only a sum of Rs. 10,000 is provided for medicines for the district hospital, Philibhit which is utterly inadequate, as the total propulation of the district is six lakhs. Therefore this amount should be increased.

More amount should be allocated for health. The strength of doctors should be increased so that they may attend to patients properly.

31 new medical colleges are proposed to be opened during the Fourth Plan which is a welcome step because we shall have more of doctors and teaching facilities.

There should be a change in the attitude of the Ministry towards the indigenous systems of medicine. A rational policy should be adopted towards the

Ayurvedic and Unani Systems of medicines. The Ayurvedic colleges throughout the country should be affiliated with the respective universities so that they may develop on healthy lines and managed properly.

Factories, motor vehicles, etc. pollute air and water. Factories dicharge their wastes into rivers and pollute river water. This results in destruction of fish and the water becomes unfit even for animals. Buses and factories remit smoke which is very harmful for health. Separate areas should be earmarked for factories which are at a considerable distance from the residential colonies. Likewise smoke control areas should be formed. I would submit that a comprehensive legislation on air and water pollution should be enacted as has been done in countries like U.K. and U.S.A.

Shrimati Laxmi Bai (Vicarabad) : There is an acute shortage of doctors in the country. Doctors should not be allowed to go abroad. Before they are turned out of the medical colleges, they should be asked to sign a bond to serve the country for at least 12 years. If they do not so, all the money spent on them should be realised from them. Some such law should be passed and it should be enforced throughout the country.

Allopathic doctors do not like to serve in the villages. Government should therefore encourage the indigenous systems of medicines including Ayurveda, Unani and nature cure treatment. The contract of 12 years should be applied to these doctors also.

No adequate arrangements for water supply have been made in villages. Hyderabad city has been developing rapidly. More provision should be made for Hyderabad so far water supply is concerned.

Five regional medical colleges are being started very shortly. It is hoped that the work in this direction will be speeded up. The provision of adult education. Funds should be made available for the regional medical college at Nizamabad. At the time I want to urge that the subsidy should be given for the Master Plan of Hyderabad city. I shall also urge that at least one fourth of the amount should be spent on prevention. I shall like to suggest that a prevention training course should also be started on subsidy basis.

As far as family planning is concerned, it is a very important matter. It will not be sufficient in this direction to establish planning centres. We shall have to do much more in order to make family planning a success. In this direction my submission is that experienced, educated and religious minded persons should be employed, who may be able to impress upon the women in this regard and persuade them to adopt to new circumstances. We should do our level best to influence women folk.

I want to urge that the sale of exposed articles of food should be properly checked. It is doing great harm to the health of the people. This has also come to the notice of so many that the malpractices are going on in the hospitals. I would like to urge that steps should be taken to check the malpractices indulged in by the hospital authorities and the contractors in this connection. Eggs should be given but they should be rationed. It is not good that one may get and the other may be deprived of that.

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा (कचार) : मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करती हूँ, परन्तु मेरा कहना यह है कि योजना आयोग का कार्यक्रम कार्यक्रमानुसार कार्यान्वित नहीं हुआ है। योजना आयोग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों को जिस अवधि के लिए निश्चित किया गया था, उस अवधि में

[श्रीमती ज्योत्सना चन्दा]

कार्यान्वित हुआ नहीं। प्रशिक्षित व्यक्तियों को नौकरियां देने के बारे में विभिन्न राज्यों के बीच भी कोई समन्वय नहीं हो पा रहा। इसके परिणाम स्वरूप कुछ राज्यों में प्रशिक्षित लोगों की कमी है, और कुछ राज्यों में लोग फालतू पड़े हैं और उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा। वे बेचारे बेकारी का सामना कर रहे हैं।

इस सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि हमारे बहुत से चिकित्सा-स्नातक विदेशों में काम कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि उन्हें देश में ठीक वेतन नहीं मिलते। हमारे वेतन क्रम तथा दूसरी सुविधायें विदेशी वेतनक्रमों के मुकाबलें में बहुत कम है। मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे उपाय किये जाने चाहिए जिससे देश से बाहर गय लोग देश में आकर पुनः देश की सेवा में लग जाय। सरकार को इस तरह की योजना बनानी चाहिए कि प्रत्यक सब-डिवीजनल और जिला मुख्यालय अस्पताल में विशेषज्ञ, फिजीशियन और सर्जन की व्यवस्था की जा सके और इनमें संवेदना हरण के आधुनिक तरीके का प्रबन्ध किया जा सके। इन अस्पतालों में रोग जांच और शल्य चिकित्सा की दूसरी सुविधा भी होनी चाहिए।

यह बात भी देखने में आ रही है कि देश में से तपेदिक रोग कम नहीं हो रहा। इसका शायद कारण यह भी है कि सभी रोगियों को अस्पतालों में दाखिल नहीं किया जा सकता। परन्तु उनके उपचार के लिए अन्य व्यवस्था तो की जा सकती है। अतः घर पर ही उनके लिए औषधि इत्यादि की व्यवस्था करके रोग के उपचार करने का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। विस्थापितों में यह रोग बहुत है। उनको मेरे कचार जिले में उपचार के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। परन्तु उस वित्तीय सहायता का भुगतान इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वे लोग अपना उपचार लगातार कराते रहे।

परिवार नियोजन का कार्यक्रम शहरों में तो ठीक ही चल रहा है। जरूरत इस बात की है कि ग्रामीण जनता में इसका प्रचार किया जाना चाहिए। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि देश के 80 प्रतिशत लोग ग्रामों में रह रहे है। इन के लिए प्रशिक्षित दाइयों की सेवायें प्राप्त की जानी चाहिए। राज्य सरकारों पर जोर दिया जाना चाहिए कि वे परिवार नियोजन के कार्य को सफल बनाने के लिए दाइयों इत्यादि को प्रशिक्षिण देने का कार्यक्रम चालू करें।

होमियोपैथिक इलाज सस्ता है। गरीब लोग इसकी सस्ती दवाइयां आसानी से खरीद सकते हैं। मेरा आग्रह यह है कि सरकार को गांव तथा स्तर पर होम्योपैथिक दवाइयों के केन्द्र खोलने चाहिए। मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि होम्योपैथिक मैडिकल काउन्सिल का पुर्नगठन किया जाना चाहिए। मैं इस दिशा में यह बात बडी जोर से कहना चाहती हूँ कि केवल योग्य और कुशल व्यक्तियों को ही चिकित्सा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह प्रयास भी किया जाना चाहिए कि खाद्य तथा औषधियों में अपमिश्रण रोका जाये। इस सम्बन्ध में विधि को उचित रूप से लागू किया जाना चाहिए। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए जिससे द्वितीय श्रेणी के सी०एच०एस० डाक्टरों की पांच वर्ष के बाद प्रथम वर्ग में पदोन्नति हो सके। इस बारे में नियमों में संशोधन करना चाहिए।

श्री राजाराम (कृष्णगिरि) : सारे संसार में जनसंख्या पर नियन्त्रण करने के बारे में विचार किया जा रहा है। विश्व भर के नेता जनसंख्या पर नियन्त्रण करने के बारे में सोच रहे हैं। यदि हम जनसंख्या पर नियन्त्रण नहीं कर पायेंगे तो हमें भूख से सामना करना होगा। खाने को जो कुछ उपलब्ध होगा वह न मात्रा में पर्याप्त होगा और न वह अच्छी किस्म का ही होगा। मेरा कहना यह है कि परिवार नियोजन के कार्यक्रम को केवल विज्ञापन देकर ही सफल नहीं किया जा सकता। इसके लिए बहुमुखी कार्यक्रम होना चाहिए। जो लोग इस कार्यक्रम में सहयोग देते है उन्हें कुछ आर्थिक सहायता भी दी जानी चाहिए।

मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वह इस बात का पूरा ध्यान रखे कि जो राज्य परिवार नियोजन की नीति स्वीकार करते हैं । उन्हें लोकसभा में अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाय । मैं इस बात पर आग्रह करूँगा कि जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में स्थान देने की प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए । मैं सरकार से यह भी कहना चाहता हूँ कि कावेरी नदी से मद्रास को जल दिये जाने की मद्रास सरकार की योजना के लिए आर्थिक सहायता दे क्योंकि उससे इस मार्ग पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था भी की जानी चाहिए । यह बहुत ही आवश्यक है ।

परिवार नियोजन के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी देशभर में बहुत कम हैं । उनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए । आंध्र प्रदेश तथा मद्रास में इस दिशा में कार्य काफी ढीला है । इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए । देश में डाक्टरों की कमी को आम तौर पर बहुत महसुस किया जाता है । देश में आवश्यकता इस बात की है कि अस्पतालों में डाक्टरों की संख्या तेजी से बढ़ाई जानी चाहिए । जो संख्या आज है वह आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी नहीं है । अन्त में मेरा सरकार से निवेदन यह है कि प्रत्यक जिलें में एक मैडिकल कॉलेज खोला जाना चाहिए ।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : बहुत से माननीय सदस्यों ने स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यों की सराहना की है और उन्होंने बहुत से रचनात्मक सुझाव भी प्रस्तुत किये हैं । मुझे इस बात का अपार हर्ष है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम का सभी दिशाओं में व्यापक समर्थन हुआ है । ब्रम्हचर्य और संयम भी अच्छी चीजें हैं, अत: हमारा विचार भी यही है कि जो लोग संयम से रह सकते हैं, उन्हें ये कृत्रिम तरीकें नहीं अपनाने चाहिए । नैतिक मूल्यों को हम सब से ऊंचा स्थान देते हैं । परन्तु सभी लोगों से ऐसी आशा नहीं की जा सकती कि वे हर हालत में इस विषय में संयम से काम ले सके । अत: जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए तरीका तो अपनाना ही है ।

इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय को दोहरा काम करना पड़ता है । मृत्यु को कम करने और जन्म पर नियन्त्रण रखने का काम साथ साथ करना होता है । यह बात तो जगत प्रसिद्ध है कि जैसे मृत्यु कम होने पर समाज की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और कुछ समय में जन्म में भी कमी आ जाती है । अत: लोगों के आर्थिक स्तर को ऊंचा करना बड़ा ही आवश्यक हो गया है और उसके लिए जन्म में कमी करना बड़ा ही जरूरी है ।

कहा गया है कि परिवार नियोजन के लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया जाना चाहिए । इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती । इस विषय पर तो मंत्रिमंडल ही कोई निर्णय ले सकता है । परन्तु जो स्थिति है, उसे देखते हुए इतना ही कहा जा सकता है कि इस समय उचित यही दिखाई देता है जो भी कार्यक्रम है उसे स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ही कार्यान्वित किया जाय । इस कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिए और सारे देश में इसकी आवश्यकता को महसूस कराने के लिए, हम इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक महत्व दे रहे हैं । इस उद्देश्य के लिए मंत्रालय में एक विभाग भी बना दिया गया है जो इस दिशा में काफी अच्छा कार्य कर रहा है ।

मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि इस दिशा में सफलता के लिए केवल परिवार नियोजन केन्द्रों अथवा धन की व्यवस्था कर देने मात्र से काम नहीं चल सकेगा । जरूरत इस बात की है कि प्रत्येक व्यक्ति तथा प्रत्येक परिवार को इस सिद्धान्त को समझाने के लिए विशिष्ट प्रकार का कोई वैयक्तिक ढंग अपनाना होगा । यदि हमारी इच्छा इस कार्यक्रम को सफल बनाने की है तो हमें पुरुषों के साथ साथ इस कार्य में महिलाओं को भी प्रशिक्षित करना होगा । काफी कठिन समस्या है । जिस कार्यक्रम को हमने बनाया है उसके अन्तर्गत हमारे पास प्रति 10,000 व्यक्तियों के पीछे दो स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता होंगे । इन दो कार्यकर्त्ताओं में से एक पुरुष और एक महिला होगी । सारे देश में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का जाल बिछा दिया गया है और अपना संदेश घर घर पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है ।

[डॉ० सुशीला नायर]

इस बारे में मुझे यह भी निवेदन करना है कि प्रथम तीन योजनाओं के अन्तर्गत बन्धीकरण कार्यक्रम में काफी प्रगति हुई है। इसी तरह आई०सी०यू०डी० या लूप के मामले में भी प्रगति उत्साह वर्धक है। कानपुर में एक कारखाना स्थापित किया गया है जिसमें प्रति दिन 20,000 लूप तैयार होते हैं। आवश्यकता को देखते हुए कारखाने में उत्पादन बढ़ा दिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय स्वास्थ्य मंत्री कल अपना भाषण जारी रखें।

भारतीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी के बारे में आधे घंटे की चर्चा

HALF-AN-HOUR DISCUSSION RE: INDIAN ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES

डा० चन्द्रभान सिंह (बिलासपुर) : 3 मार्च, 1966 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1469 के उत्तर के सम्बन्ध में मैं यह आधे घंटे की चर्चा उठा रहा हूं।

प्रश्न यह था :

"क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी ने यह निर्णय किया है कि इसकी सदस्यता के लिए स्नातकोत्तर परीक्षाएं होनी चाहिए ;"

उत्तर यह था :

"जी हां।"

प्रश्न का दूसरा भाग यह था :

"यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;"

उत्तर यह था :

"सरकार को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं यदि कोई निगमित निकाय अपनी सदस्यता की लिए शर्तें विहीत करे।"

प्रश्न का तीसरा भाग यह था :

"क्या इंडियन मेडिकल काउंसिल और इंडियन मेडिकल एसोसियेशन इसके विरुद्ध हैं ?'

उत्तर यह था :

"मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया का यह विचार है कि राष्ट्रीय परीक्षाओं के लिए एक पृथक सांविधिक निकाय होना चाहिए।"

जो उत्तर दिये गये हैं वह ठीक नहीं हैं, क्योंकि यह सर्वविदित है कि मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया और इंडियन मेडिकल एसोसिशन दोनों भारतीय चिकित्सा विज्ञान द्वारा किसी भी राष्ट्रीय परीक्षा लिये जाने के विरुद्ध हैं। दोनों ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वे किसी भी ऐसे निकाय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षाएं लिये जाने के विरुद्ध हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसे पढ़ कर सुना दूं।

सभापति महोदय : यदि यह बहुत लम्बी नहीं है।

डा० चन्द्रभान सिंह : यदि आप इजाजत दें तो मैं इसे सभा-पटल पर रख दूंगा।

सभापति महोदय : जी हां। **[सभा पटल पर रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 6397/66]

डा० चन्द्रभान सिंह : इंडियन मेडिकल एसोसियेशन का यह कहना है कि भारतीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी होनहार विद्यार्थियों की तलाश करने के लिए बनाई गयी थी, और परीक्षाएं लेना इसके कार्यक्षेत्र में नहीं है। और इंडियन मेडिकल एसोसियेशन ने अपने उत्तर में कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसियेशन इस प्रस्ताव का विरोध करती है कि राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी स्नातकोत्तर डिग्रियां देने के लिये राष्ट्रीय परीक्षाएं ले। मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया ने इस प्रश्न पर पहले भी विचार किया था और यह संकल्प किया था कि सांविधिक राष्ट्रीय बोर्ड इन परीक्षाओं को ले।

Shri Hukum Chand Kachhavaiya : There is no quorum in the House.

सभापति महोदय : सभा में गणपूर्ति नहीं है। सभा अब कल के ग्यारह बजे तक स्थगित की जाती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 15 मार्च, 1966/25 चैत्र, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, March 15, 1966/ *Chaitra* 25, 1888 (*Saka*).